राजस्थान विधान सभा

तेरहवीं बैठक, दिनांक २६ फरवरी, १९५३

सदन का कार्य ६ बज कर ५ मिनिट (प्रातः) पर प्रारम्भ हुवा

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, (अध्यक्ष) पदासीन)

प्रश्न संख्या ३७०

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या ३७०

श्री श्यामलाल गोयल—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

जिला सवाई माधोपुर में गत वर्ष कितनी कितनी तकावी कहां कहां दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—सवाई माधोपुर में जहां जहां तकावी दी गई उसका **विवरण** इस प्रकार है:

क्रम संख्या	तहसील का नाम	साधारण तकावी	अकाल तकावी	योग
१.	सवाई माधोपुर	१७५०	१३६५०	१५४००
२.	खंडार	—	—	—
३.	मलारना चौड	२५०	४३००	४५५०
४.	गंगापुर	६०००	५२००	११२००
			२२००	२२००
५.	बामनवास	—	—	—
६.	नादोती	—	४६५०	४६५०
७.	हिन्डोन	२३३००	२१३००	४४६००
८.	टोडाभीम	१९००	२४००	४३००
९.	महवा	—	२०००	२०००
१०.	करोली	—	१२०००	१२०००
११.	सपोत्रा	—	—	—
१२.	मनद्रेल	—	—	—
	योग	३३२००	६७७००	१००९००

Page No.2

श्री श्यामलाल गोयल—कितनी रकम तकाबी के लिए मुकर्रर की गई थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसके लिए मैं नोटिस चाहूंगा ।

श्री श्यामलाल गोयल—क्या सरकार को यह पता है कि तकाबी मिलने का सिस्टम कितना जटिल है ; तकाबी जिसको देनी होती है, उस एप्लीकेन्ट को वह समय पर और जल्दी नहीं मिलती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसकी समय समय पर शिकायतें अवश्य आती हैं । इसके लिये हिदायतें भी जारी की गई हैं कि जल्दी से जल्दी तकाबी दे दी जाए ।

श्री श्यामलाल गोयल— क्या सरकार ऐसा सोच रही है कि एक टाइम मुकर्रर कर दिया जावे जिसके भीतर भीतर एप्लीकेन्ट को तकाबी मिल ही जानी चाहिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं स्वयं इसको पसन्द करूंगा । यह भी पसन्द करूंगा कि कोई निश्चित सुझाव मेरे पास आवें । शिकायतें आती हैं देरी की, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता; पर यदि समय निर्धारित करने से ही इस समस्या का हल हो सकता है तो बहुत ठीक है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ३७१

श्री श्यामलाल गोयल—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कितनी सरकारी बोरिंग मशीन, ट्रेक्टर, व बुलडोजर है ?

(२) उनको कहां कहां व किस किस काम में लिया गया है, और किन शर्तों पर ?

(३) क्या बोरिंग मशीन के नल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त न करने के कारण या और किसी कारण से वे पूरी तरह काम में न आ सकी हैं ?

(४) क्या सरकार का इरादा है कि हर जिले में कम से कम एक बोरिंग मशीन लगा दी जावे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(१ व २) कृषि विभाग के पास जो मशीनें व ट्रक्टर आदि है वे इस प्रकार हैं:—

कम्प्रेसर कुल ६ हैं

वितरण—

जिला सिरोही में	१
जिला भीलवाड़ा—जहाजपुर	१
जिला नागौर—परबतसर	१
जिला जयपुर—बादरासिंदरी	१

जिला जयपुर अंधी	१
जिला पाली	१

ये मशीनें कुओं को गहरा करने के काम म आती हैं और एडवान्स म ३०) रुपया फी फीट के हिसाब से रकम जमा कराने पर ही दी जाती हैं।

ट्रेक्टर कुल सात हैं –

वितरण—

जिला सिरोही में	२
जिला कोटा में	१
जिला जयपुर (कृषि फार्म दुर्गापुरा में)	२
मरम्मत के लिये पड़े हुए	२

ट्रेक्टरों से, जमीन साफ करके, जोतने का काम लिया जाता है। इनको प्राप्त करने के लिए भी विभागीय दर २०) रुपया प्रति एकड़ भूमि है जो एडवान्स में जमा करानी पड़ती है।

कृषि विभाग के पास २ बुल डोजर हैं जिनमें एक तो फिलहाल बेकार पड़ा है मरम्मत के लिये, व दूसरा लालमोट, जयपुर, में काम आ रहा है। इससे जमीन को समतल करके कृषि योग्य बनाया जाता है।

बोरिंग मशीनें कुल ४ हैं :—

वितरण—

अलवर में	१
भरतपुर में	१
नौरंगवाडा जयपुर	१

१ मशीन—जोधपुर डिविजन में छिद्र करन व ट्यूब वैल बनान के काम म आती है।

इन सब मशीनों का कार्य, विभाग द्वारा बिना किसी हानि व लाभ के अन्तर्गत होता है जिसका पूरा खर्च; जैसे काम करने वाले स्टॉफ का वेतन बारूद, डनोमाईट वगैरह, मशीन की टूट-फूट (depriciation and maintenance) काश्तकारों से वसूल किया जाता है। इसका अन्दाजन खर्चा, कुआ-निरीक्षण करने के बाद सुपरवाइजर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और वह खर्चा काम शुरू करने के पहले ही जमा कराया जाता है।

(३) कुछ समय पहले जरूर ये दिक्कतें पेश आई थीं पर अब स्थिति काफी सुधर गई है और काम जारी है।

(४) सरकार का इरादा प्रत्येक ऐसे जिले में जहां कुए खोदे जा सकते हैं बोरिंग मशीन रखने का नहीं है पर पत्थर तोड़ने के हेतु जरूर है जिसके लिए और मशीनें प्राप्त की जा रही हैं।

Page No.4

श्री सन्तोषसिंह—क्या जोधपुर में भी कोई बुलडोजर हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर ऊपर दे चुका हूं।

श्री श्यामलाल—क्या जिला सवाई माधोपुर में कोई मशीन भेजने का सरकार का इरादा है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में साफ कर दिया है कि कहां कहां मशीनें हैं।

श्री सन्तोषसिंह—क्या जोधपुर में बुलडोजर भजन का सरकार का विचार है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हम चाहते हैं कि सब क्षेत्रों में यह भेज जांय।

श्री सन्तोषसिंह—क्या बोरिंग मशीन किसानों को कन्सेशन रेट पर देन का विचार सरकार ने किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जैसा कि मैंने पहले कहा इसे हम व्यापक रूप से अलग अलग क्षेत्रों में चलाना चाहते हैं जिससे लोगों को कुए खोदने में दिक्कत न पेश आये। इसे हम नो प्रोफिट, नो लॉस के बेसिस पर किसानों को स्वावलम्बी बनाने के लिए देना चाहते हैं। जहां पर रेतीला प्रदेश हो वहां पर ये मशीनें अच्छी काम में आसकतीं हैं। चट्टानें खोदने आदि में जोधपुर डिविजन, पाली, सिरोही इन जगहों पर यह काफी उपयोगी साबित हो सकती हैं। इन जगहों पर इनको भजा जाना चाहिये।

श्री सन्तोषसिंह—बोरिंग के अन्दर पर फिट क्या रेट पड़ती है ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर! आर्डर!!

श्री श्यामलाल—क्या इलाका सवाई माधोपुर में ट्रैक्टर या बोरिंग मशीन भेजने का सरकार का इरादा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हर जिले में सरकार भजना चाहती है।

श्री श्यामलाल गोयल—क्या सरकार को यह विदित है कि बोरिंग मशीन को ज्यादा उपयोगी बनाने के लिये हर इलाके के हर क्षेत्र में इसको भेजा जाय ताकि ज्यादा उपयोगी हो सके।

श्री अध्यक्ष—आर्डर! आर्डर!!

प्रश्न संख्या ३७२

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १२)—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या सरकार के पास बाली व देसूरी तहसील के समस्त वाचनालयों की सूची है ?

Page No.5

[श्री भैरूंसिंह]

(ब) यदि 'अ' का उत्तर हां में है तो कृपया सूचित कीजियेगा कि इनमें कितने सरकारी एवं कितने गैर सरकारी हैं?

(स) यदि जहां ऐसे वाचनालयों का अस्तित्व ही न हो तो क्या सरकार जन-साधारण के ज्ञान-वृद्धि के हेतु कम से कम बड़ी आबादी के गांवों में ऐसे वाचनालय स्थापित करना पसन्द करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—चूंकि शिक्षा मन्त्री प्रवास में हैं इसलिये उनके प्रश्नों का उत्तर में देता हूं—

(अ) हां।

(ब) वाली नवयुवक मंडल को, १० रुपये मासिक सहायता दी जाती है। सारे गैर सरकारी हैं सरकार की ओर से मासिक सहायता दी जाती है।

(स) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १२)—इनको सरकार की ओर से क्या सहायता दी जाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—दस रुपये माहवार दी जाती है।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १२)—क्या सरकार दस रुपया वाजिब समझती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वे वाचनालय जन संस्थाएं खुद अपनी तरफ से चलाती हैं, केवल १० रुपये सहायता की तौर पर सरकार देती है।

प्रश्न संख्या ३७१

श्री भैरूंसिंह (वि० स० १२)—क्या शिक्षा मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) पिछले अधिवेशन में सरकार द्वारा सूचित किया गया था कि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हाईस्कूल तो है परन्तु प्राइमरी स्कूल नहीं है। क्या सरकार जानती है कि बरकाणा, तहसील देसूरी में हाईस्कूल होते हुए भी प्राइमरी स्कूल नहीं है?

(ब) यदि 'अ' का उत्तर हां में है तो क्या सरकार से आशा की जा सकती है कि इस अभाव को पूर्ति कर गांव के प्रारम्भिक शिक्षण कार्य में सहयोग देगी?

(स) यदि 'ब' का उत्तर हां में है तो इसकी कब तक आशा की जाय?

श्री भोगीलाल पंड्या—(अ) बरकाणा में सरकारी हाईस्कूल नहीं है, एडेड हाई स्कूल है। यहां प्राइमरी स्कूल नहीं है।

(ब) ऐसे अन्य मामलों के साथ साथ इस मामले पर भी विचार किया जायगा।

(स) आगामी वर्ष का बजट प्राप्त होने पर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जायगा।

Page No.6

प्रश्न संख्या ३७४

श्री श्यामलाल गोयल—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) जिला सवाई माधोपुर व जयपुर में कितने राजकीय औषधालय हैं ?

(ख) प्रत्येक औषधालय पर तनख्वाह, किराया मकान इत्यादि के रूप में मासिक क्या खर्च होता है?

(ग) हर औषधालय पर माहवारी औषधियों के लिए क्या खर्च किया जाता है ?

(घ) जिला सवाई माधोपुर के औषधालयों पर अब से दो साल पहले दवाइयों पर क्या खर्च होता था?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) जिला सवाई माधोपुर व जयपुर में क्रमशः ११ व २४ औषधालय हैं ।

(ख) प्रत्येक औषधालय पर तनख्वाह, किराया मकान इत्यादि के रूप में मासिक करीब रुपये २०० खर्च होता है ।

(ग) हर औषधालय पर माहवारी औषधियों के लिये औसतन रुपये ३० प्रतिमाह व्यय होता है ।

(घ) जिला सवाई माधोपुर के औषधालयों पर अब से दो साल पहले दवाइयों पर रुपये ८० प्रतिमाह व्यय होता था ।

श्री श्यामलाल गोयल—यह कम क्यों किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास–कुछ तो जनरल कट्स के कारण कमी की गई और कुछ एकीकरण के सिलसिले में सबको समान स्तर पर लाने के लिये ।

श्री श्यामलाल गोयल—जो तीस रुपया बतलाया गया है वह क्या पर्याप्त है एक औषधालय के लिये ? क्या इसको सरकार बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसको बढ़ाने का विचार कर रहे हैं ।

प्रश्न संख्या ३७५

श्री जवानसिंह—क्या व्यापार तथा व्यवसाय मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सिरोही जिले में ग्राम उद्योग के लिये सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है ?

(२) सिरोही जिले में हाथ कताई व हाथ बुनाई का धंधा होते हुए भी सरकारी सहायता क्यों नहीं दी जा रही है ?

Page No.7

श्री रामकिशोर व्यास—(१) सुमेरपुर सामुदायिक ब्लौक, जो इस क्षेत्र के बहुत निकट है, कुछ घरेलू उद्योगों में शिक्षण देने के लिये एक शिक्षण केन्द्र खोलने का विचार कर रहा है और जब ये केन्द्र आरम्भ हो जायेंगे तब सिरोही जिले के बहुत से गांवों को उनका लाभ पहुंचेगा। काम करने वालों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। उनको अपनी उत्पादित वस्तुओं की बाजार में खपत करने में औद्योगिक पथ प्रदर्शन और सहायता प्रदान की जाती है।

(२) सिरोही जिले के करघों से कपड़ा बुनने वालों को हमारी प्रदर्शन करने वाली पार्टियों द्वारा समय समय पर औद्योगिक सहायता दी गई है और उनको कपड़ा बुनने, डिजाइन तैयार करने तथा रंगने की सुविधाओं का प्रयोग में लाना सिखाया जा रहा है।

श्री जवानसिंह—आर्थिक सहायता क्या दी गई?

श्री रामकिशोर व्यास—आर्थिक सहायता कुछ नहीं दी गई।

प्रश्न संख्या ३७६

श्री श्यामलाल गोयल—क्या राजस्व मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) जिला सवाई माधोपुर में खालसा के ग्रामों में जो इनाम माफी की जमीनें हैं उनकी चकबन्दी हो गई है ?

(२) अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(३) अब चकबन्दी करने का कब तक इरादा है ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया—जिला सवाई माधोपुर में चकबन्दी का काम चालू होगया है। माफी की जमीनें बांटने का काम जल्दी चालू होगा।

दूसरा प्रश्न पैदा नहीं होता।

प्रश्न संख्या ३७७

श्री एच. के. व्यास—Will the Minister Incharge for Revenue be pleased to answer :—

(*a*) Is it a fact that the Jagirdars have made a writ application to the High Court challenging the validity of the Jagir Resumption Act?

(*b*) Is it a fact that the hearing of the case was fixed for some time in January?

(*c*) Is it a fact that the Government pleader agreed to the adjournment of the case?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(अ) हां ।

(ब) हां ।

(स) हां ।

श्री एच. के. व्यास—तो क्या यह समझा जाय कि एडजोर्नमेन्ट इसलिये मांगा गया कि नेगोशियेशन्स करने में सहूलियत हो सके ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री एच. के. व्यास—Sir, this is a valid supplementary. I am seeking information as to the considerations of Government in asking for such adjournment.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—There were many considerations with the Government.

श्री एच. के. व्यास—Will the Hon'ble Minister kindly state any one of them?

श्री अध्यक्ष—He wants one consideration.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I have already given.

श्री एच. के. व्यास—Has the attention of the Hon'ble Minister been drawn to press reports published in the Hindustan Times that the Congress High Command is calling a meeting of the Ministers as well as representatives of Jagirdars to discuss this question?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I have already replied yesterday that the Congress High Command has not called any meeting.

प्रश्न संख्या ३७८

श्री भैरू सिंह—(वि० सं० १६)—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या सरकार को यह मालूम है कि जयपुर शहर में गनगोरी बाजार के वीमन्स नॉर्मल स्कूल के सामने शराब का ठेका है जहां अक्सर बदमाश शराबी बैठे रहते हैं तथा भद्दे शब्दों का उच्चारण करते हैं, जिससे छात्रायें बड़ी परेशान हैं ?

(ब) क्या सरकार उस ठेके को वहां से हटाने का शीघ्र आदेश प्रदान करेगी; यदि नहीं तो क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—(अ) हां, सरकार को मालूम है कि जयपुर शहर के गनगोरी बाजार में महिला नॉर्मल स्कूल के सामने शराब के ठेकेदार की दुकान है। यह दुकान उस इमारत

[श्री भोगीलाल पंड्या]
में स्कूल होने से पहले की है। सरकार के सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि इस दुकान पर बदमाश लोग बैठते हैं और गंदे शब्दों का उच्चारण करते हैं जिससे छात्राऐं परेशान होती हैं। अलबत्ता यह शिकायत अवश्य आई है कि स्कूल की इमारत के सामने शराब की दुकान होना अनुचित है।

(ब) सरकार ने उक्त दुकान (ठेके) को वहां से हटाने के आदेश दे दिये हैं।

श्री रोशनलाल—कितने समय पहले यह आदेश दिये थे?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—काफी समय पहले दे दिये गये हैं। तारीख तो निश्चित रूप से मालूम नहीं है।

श्री भवानीसहाय—अब तक इसकी तामील क्यों नहीं हुई है?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—तामील हो रही है। यह दुकान सेप्रेट रेवेन्यू विभाग ने लगवाई थी। वहां से पूछा गया था। वहां से जवाब आ गया है कि वह कार्यवाही कर रहे हैं।

प्रश्न संख्या ३७६

श्री श्यामलाल गोयल—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर में कोई कॉलेज है?
(२) अगर नहीं तो कब तक कॉलेज खोलने का इरादा है?
(३) क्या अगले सेशन से डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर में कॉलेज हो जावेगा?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—(शिक्षा मंत्री की ओर से) (१) कोई नहीं है।

(२) कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता तथा सरकार की आर्थिक परिस्थिति को ध्यानमें रखते हुए अन्य ऐसे मामलों के साथ इस विषय पर भी विचार किया जावेगा।

(३) अभी इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या इस साल नये कॉलेज खुल रहे हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—(शिक्षा मंत्री की ओर से) अगले साल के बजट पर खोलने नहीं खोलने की बात निर्भर रहेगी।

प्रश्न संख्या ३८०

श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा—Will the Minister for Health be pleased to answer :—

(a) Is the Government thinking of raising the Dausa Dispensary to a well equipped Hospital.

(b) If so when?

Page No.10

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)--दौसा में जो मौजूदा डिस्पेन्सरी है वह प्रथम श्रेणी की डिस्पेन्सरी है जो कि प्रथम श्रेणी के सी. ए. एस. डाक्टर की देख रेख में कार्य कर रही है। अभी फिलहाल इस डिस्पेन्सरी को अस्पताल के स्तर पर लाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि ऐसा करने के लिए फण्ड्स की गुंजायश नहीं है।

प्रश्न संख्या ३८१

श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा--Will the Minister for Law be pleased to answer:—

(a) How many cases are pending in the High Court benches at Jaipur and Jodhpur?

(b) How many are more than 6 months old and what is the length of time of the oldest case?

(c) What is the average disposal of cases by judges on the basis of disposal for the last two years?

(d) What is he thinking for speedy disposal?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)—(क) उच्च न्यायालय में विचाराधीन मुकद्मों की संख्या जोधपुर में १४९४ और जयपुर बेंच में ३४०३ है।

(ख) ६ महीने से अधिक पुराने मुकद्मों की संख्या जोधपुर में ७०७ और जयपुर बेंच में २०४३ है। जोधपुर का सबसे पुराना मुकद्मा ६ साल ५ महीने पुराना है और जयपुर बेंच का ९ साल ५ महीने पुराना।

(ग) सन् १९५१-५२ में प्रति न्यायाधीश फैसला करने का औसत ५९० वार्षिक था। परन्तु यह संख्या निश्चित नहीं है और फैसले के लिये सामने आने वाले मुकद्मे के प्रकार के अनुसार यह संख्या घटती बढ़ती रहती है।

(घ) उच्च न्यायालय की राय में एक सातवें न्यायाधीश की नियुक्ति मुकद्मों के शीघ्र फैसला करने के लिये नितान्त आवश्यक है।

प्रश्न संख्या ३८२

श्री प्रभूदयाल—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

तहसील बीकानेर, ग्राम रायसर, के हल्के के पटवारी ने संवत् २००४ में १०० रु० खयानत किये थे? अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गई?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—हां, पटवारी के रोजनामचे से प्रतीत होता है कि ८९.१ रु० ६ आने की रकम खयानत हुई। इस विषय में जांच की जा रही है।

श्री रोशनलाल—यह कितना अरसा हुआ जांच होते हुए?

Page No.11

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री) -निश्चित समय नोटिस मिलने पर बता सकता हूं ।

एक सदस्य--यह जांच कब से शुरू हुई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—इसकी ठीक तारीख मालूम नहीं ।

श्री गुरुदयाल सन्धु—इसको चार साल व पांच साल तो हो गये, क्या चार, पांच साल और चलेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)--नहीं, ४, ५ साल और चलेगा ऐसा में नहीं समझता हूं ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या पटवारी अब भी अपनी नौकरी पर काम कर रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसके लिए नोटिस चाहियेगा ।

एक सदस्य--क्या यह मामला पुलिस को दे दिया गया है ?

श्री प्रभुदयाल—जांच की जा रही है, यह कहा है ; तो इसकी जांच करते हुए कितने साल हो गये ?

श्री मोहनलाल सखाडिया--निश्चित अवधि नोटिस के बाद ही मिल जायगी ।

श्री गुरुदयालसिंह संधु---क्या डिपार्टमेन्टल जांच हो रही है या जुडिशियल ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—जांच की जा रही है तो जुडिशियल एन्क्वायरी का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न संख्या ३८३

श्री प्रभुदयाल--क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि तहसील बीकानेर, ग्राम हिम्मतसर, गोमद जाट रिडमलसर वाले के नाम सरकारी रोजनामचे में ४७ रु. १२ आने वसूल शुदा दर्ज है, लेकिन सरकारी खजाने में जमा नहीं हैं ?

श्री मोहनलाल सखाड़िया (राजस्व मंत्री)—हां, पटवारी के रोजनामचे में ४८ रु. ६ आने हैं, दुधा चौधरी के जमा हैं ; लेकिन वह खजाना राज में जमा नहीं हुए हैं ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु —क्या यह पटवारी वही है जिसने खयानत की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)--जी नहीं, यह दूसरा है ।

Page No.12

प्रश्न संख्या ३८४

श्री श्यामलाल गोयल—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) गुडाचन्द्र जी, तहसील नादौती, जिला सवाई माधोपुर में बालिकाओं की पाठशाला है?

(२) अगर है तो कब से और उसमें कितनी अध्यापिकायें हैं ?

(३) जुलाई सन् १९५२ ई० से उस पाठशाला में कोई अध्यापिका रही है ?

(४) अगर नहीं, तो बालिकाओं की पढाई का क्या इन्तजाम किया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—(१) नहीं है। पहले थी, किन्तु इस वर्ष बन्द हो गयी।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) नहीं ।

(४) लड़कों का स्कूल है, बालिकायें पढ सकती हैं ।

श्री श्यामलाल गोयल—अगर वहां से लड़कियों का स्कूल हटा दिया गया है तो क्यों हटा दिया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—छात्राओं की संख्या बहुत ही कम थी ।

प्रश्न संख्या ३८५

श्री हरिकृष्ण व्यास की अनुपस्थिति के कारण यह प्रश्न नहीं पूछा गया ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ३८६

श्री भैरूंसिंह (खेजड़ला)—Will the Minister for Medical and Public Health kindly state :—

What offers have been made by the World Health Organisation and what advantages have been taken by the State of Rajasthan therefrom?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)—The following offers have been made by the World Health Organisation and advantages have been taken by the Govt. of Rajasthan as per details noted below.

(1) *Training of personnel in various subjects.*

(*a*) One doctor was sent for training at Calcutta in a short course in Nutrition.

(*b*) Some more applications have recently been forwarded to the Government of India for selection of candidates for undergoing further training abroad

(*c*) One full-trained staff nurse was deputed for undergoing training at the College of Nursing, New Delhi.

Page No.13

(2) *National Malaria Programme.*

"18,666 lbs. of wettable D.D.T. Powder has been received for use in this state. This is a free gift for distribution in this area.

(3) *B.C.G. Programme.*

The matter is under active consideration of the Government.

(3) *Services of a Specialist.*

(*a*) Dr. Horace Thronton, Flesh Expert, will shortly be arriving here on an inspection of this zone.

(*b*) This Government has requested the Central Government for the deputation of a professor of pathology under the Fullbright Scheme.

प्रश्न संख्या ३८७

राजा श्री मानसिंह—Will the Minister for Judicial Department be pleased to state whether he is aware that since the post of Special Magistrate, Jaipur Division, at Bharatpur has been abolished, certain classes of undertrial prisoners are suffering great hardship due to their cases pending in the Court, as the powers of Special Magistrate have not as yet been given to another Magistrate ?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)—इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है। थोड़े से उन मामलों के निबटारे के लिये, जिनकी परीक्षा काफी सीमा तक हो चुकी है, उन्हीं मजिस्ट्रेट को स्पेशल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया है जिन्होंने उन मामलों को अनिर्णित छोड़ा था। बाकी के मामलों को अन्य समुपयुक्त न्यायालयों में हस्तान्तरित करवा लिया जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार स्पेशल मजिस्ट्रेट दुबारा कायम करने का सोच रही है, ताकि न्याय जल्दी ही हो जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)—स्पेशल मजिस्ट्रेट दुबारा कायम करने का कोई विचार नहीं है।

प्रश्न संख्या ३८८

श्री प्रभुदयाल—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि मोजा राणियावास बड़ा की गिरदावरियों की संवत् ८७ से ९१ तक, ९१ से ९९ तक और ९९ से २००३ तक यानी ३ जिल्दें गायब हैं जो खेतों के असली रेकॉर्ड होते हैं ? अगर हां, तो क्या ऐक्शन लिया गया, अगर नहीं तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—हां, इस गांव की गिरदावरी के कुछ रजिस्टर गुम हैं जिनके विषय में जांच की जा रही है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह जुर्म नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—जी हां, जुर्म है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—तो क्या इस विषय म जांच कराई जा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—जी हां, कराई जा रही है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या वह पटवारी अभी भी काम कर रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—मैं इस संबंध में पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि वह काम कर रहा है, तभी तो जांच की जा रही है ।

श्री रोशनलाल—इसको खोये हुए कितने साल हो गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह राजस्थान बना, उसके पहले का वाका है ।

प्रश्न संख्या ३८६

श्री प्रभुदयाल—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम हेलेरा की गिरदावरियों के सरकारी खतों के कागजात जो असली रेकार्ड होते हैं संवत् ८७ से ९१ तक, ९१ से ९५ तक, ९५ से ९९ तक और ९९ से २००३ तक यानी ४ जिल्दें गायब हैं । अगर हां, तो क्या एक्शन लिया गया ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—यह भी उसी तरह का प्रश्न है ! इस गांव के कुछ रजिस्टर गुम हैं जिनके विषय में जांच की जा रही है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह सत्य है कि समूचे पटवारियों के रजिस्टर गुम हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—प्रश्न से स्पष्ट हो जायगा कि कुछ गांवों का प्रश्न है, सब का नहीं ।

प्रश्न संख्या ३६०

श्री त्रिवेणी श्याम—Will the Minister for Education be pleased to answer:—

Whether the teachers who have worked in election have been paid their T.A. and D.A. for the days they worked in election work ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—बहुत से अध्यापकों को चुनाव में काम करने के दिनों का यात्रा व्यय व भत्ता अभी नहीं मिला है क्योंकि शिक्षा विभाग के बजट में इस कार्य के लिये कोई धन राशि स्वीकृत नहीं हुई थी ।

Page No.15

[श्री भोगीलाल पंड्या]

इस विषय में चुनाव विभाग को लिखा जा चुका है और वहां से अन्तिम सूचना प्राप्त हुई है कि इस विषय में सरकार से निवेदन कर रक्खा है कि पहले यह रकम किस सीगे से दी जावेगी।

फन्ड्स के प्राप्त होते ही अध्यापकों को पेमेन्ट कर दिया जायगा।

एक सदस्य—वह कब तक प्राप्त हो जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—वह पिछले वर्ष के बजट में नहीं रखा गया था। इस वर्ष में रखा गया है और उनको दे दिया जायगा।

श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा—अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—बजट में गुंजाइश नहीं थी।

प्रश्न संख्या ३६१

श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा—Will the Minister for Education be pleased to answer:—

(a) Whether the pay of four teachers at Paparda, Tehsil Dausa who were suspended on 1-12-50 and reinstated on 5-4-51 and whose names are Shri Ram Swaroop, Kajor Mal, Ram Chandra and Hari Narain has been paid or not ?

(b) If not how much time will it take in making the payment of their salaries.

श्री भोगीलाल पंड्या (रसदमंत्री)—सर्व श्री रामस्वरूप, कजोरमल, रामचन्द्र व हरिनारायण अध्यापक पापरदा को मोअत्तिली के समय का वेतन नहीं मिला। इस मामले का निर्णय तो हो चुका है किन्तु मामला ६ मास से अधिक समय का हो जाने के कारण बिल पहले एकाउन्टेन्ट जनरल, जोधपुर से पास कराना पड़ेगा; इनके इस वेतन के चुकारे का शीघ्र प्रयत्न किया जावेगा।

श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा—कितना अरसा होगया ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसदमंत्री)—मैंने बताया, काफी समय हो गया। कितना समय हो गया यह पूरा मुझ मालूम नहीं है समय काफी हो गया। ६ मास से अधिक का समय हो गया था इसलिए वह ए. जी. जोधपुर के पास भेजा गया और वहां से पास होने पर पेमेन्ट कर दिया जायगा।

श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल है कि कितने साल हो गये ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—मैं इसके लिए नोटिस चाहता हूं। मुझे ठीक तारीख मालूम नहीं।

श्री त्रिवेदी श्याम शर्मा—यह सवाल में साफ लिखा हुआ है, फिर उसके लिए दुबारा नोटिस की क्या आवश्यकता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या(रसद मंत्री)--वह भूल से रह गया है। मैं जानकारी प्राप्त करके अगली बार मिलेंगे तब बतलाऊंगा।

श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा—तो यह समझा जाय कि मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)--जी यही।

श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा—तो मेरा क्वेश्चन स्टेन्डिन्ग रहा ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)--माननीय अध्यक्ष उसे स्टेन्डिन्ग रखेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा--जब मुझे जवाब नहीं मिला तो स्टेन्डिन्ग रहना चाहिये।

प्रश्न संख्या ३६२

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयाल सिंह। (प्रश्नकर्ता अनुपस्थित).

श्री अध्यक्ष--इसका उत्तर सदन की मेज पर रख दिया जावे।

श्री रामकिशोर व्यास--इसका उत्तर पहिले ता: १९ फरवरी को दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष—नेक्सट।

प्रश्न संख्या ३६३

श्री सोहनलाल—Will the Law Minister be pleased to state :—

(a) Whether there is any scheme for establishing Munsif cum Magistrate's Court in place of Extra Magistrates court at Salumber ?

(b) If so, when will the Government implement this scheme ?

श्री रामकिशोर व्यास—(a) There is no such scheme pending in respect of the appointment of a munsif and Magistrate at Salumber.

(b) This question does not arise in view of the reply of the (a) Part of the question.

प्रश्न संख्या ३६४

श्री प्रभुदयाल—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम किश्मी देसर, तहसील बीकानेर के रकबा राज में कई आसामियें काश्त करतीं हैं लेकिन सराकारी कागजातों में उनका नाम नहीं है, रकम भी वसूल की जाती है लेकिन जमा नहीं होती है; अगर हां तो क्या एक्शन लिया गया है ? अगर नहीं तो क्यों ?

Page No.17

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सरकार के पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। अगर कोई उदारहण दिया जावेगा तो उस पर जांच की जावेगी।

एक सदस्य—क्या सरकार उस पर जांच करने के लिए तैयार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने अपने उत्तर में बता दिया है कि उदारहण दिये जाने पर जांच की जावेगी।

एक सदस्य—बीकानेर तहसील में पटवारियों की इतनी शिकायतें होने पर भी वे लोग कई सालों से वहां पर कैसे काम कर रहे हैं उनके तबादले क्यों नहीं किये जाते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ट्रान्सफरें तो हुआ करती हैं और शिकायतें आती हैं तो उनकी जांच के बाद मुनासिब कार्यवाही की जाती है।

एक सदस्य—बीकानेर में अभी तक पटवारियों को क्यों नहीं बदला गया?

श्री अध्यक्ष—नेक्सट।

प्रश्न संख्या ३६५

श्री जवानसिंह—क्या अकाल सहायता विभाग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) गत वर्ष में अकाल पीड़ितों के सहायतार्थ जो सड़कें बनानी शुरू की थीं उनको पूरा करने के लिये सरकार विलम्ब क्यों कर रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस वर्ष सिरोही जिले में कहीं कमी वाला इलाका घोषित नहीं किया गया है इस लिये सड़कों का कार्य शुरू नहीं हुआ है। जब पी. डब्ल्यू. डी. को फन्ड दिये जावेंगे उस समय इस सड़क को पूरा कराने के लिये कोशिश की जावेगी।

श्री जवानसिंह—क्या यह काम ५३-५४ में जारी हो जावेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस सम्बन्ध में पी. डब्ल्यू. डी. विभाग से बात करके कार्यवाही जारी की जावेगी।

प्रश्न संख्या ३६६

श्री **मोहब्बतसिंह**—Will the Education Minister be pleased to state as to why the Sanskrit Pathshala of Sirohi has been locked since 23-8-52 ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—सिरोही की संस्कृत पाठशाला इस विभाग के आधीन कभी नहीं रही, यह प्राइवेट है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ३६७

श्री सज्जनसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या तलवास (जिला बूंदी) की स्कूल ऐसे मकान में रक्खी गई है जो एक लम्बा तिबारा है और उसमें कच्ची दीवारों से क्लासों के लिये विभाजन करके काम चलाया जा रहा है और इस इमारत की छत की कई पट्टियां टूट कर नीचे इस तरह से झुकी हुई हैं कि किसी भी समय, और खास तौर पर वर्षा के दिनों में, इनके गिरजाने से विद्यार्थियों के जीवन के खतरे की संभावना है ?

(ख) यदि हां तो सरकार इस स्कूल के लिये क्या व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तलवास के स्कूल की इमारत मरम्मत तलब है जो करादी जावेगी । इमारत की दशा अधिक खराब नहीं है ।

श्री सज्जनसिंह—जब उसके गिर जाने का खतरा है तो क्या सरकार उसको इसी साल के बजट में रकम रख कर ठीक कराने का प्रयत्न करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं इसका उत्तर दे चुका हूं कि इमारत की दशा अभी खराब नहीं है, साथ ही यह भी कहा है कि वह मरम्मत तलब है । वह मरम्मत करा दी जावेगी ।

श्री सज्जनसिंह—वह गिरने वाली है । अधिक खराब से आपका क्या आशय है ।

श्री भोगीलाल पंड्या—मरम्मत तलब है और मरम्मत करा दी जावेगी ।

श्री सज्जनसिंह—मरम्मत कब तक हो जावेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जल्दी ही करा दी जावेगी ।

श्री एच. के. व्यास—क्या पट्टियें गिरने के बाद ही उसकी मरम्मत कराई जावेगी, जब उसकी दशा अधिक खराब हो जावेगी और एक दो व्यक्ति··········

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ३६८

श्री सोहनलाल—Will the Health Minister be pleased to state:—

(a) Since when there is no Doctor for Sarada Dispensafy ?

(b) Will the Government appoint some doctor for Sarada Dispensary now ?

श्री रामकिशोर व्यास--(अ) पिछले तीन वर्षों से।

(ब) निकट भविष्य में ज्यों ही पब्लिक सर्विस कमीशन से द्वितीय श्रेणी के सिविल असिस्टेंट सर्जन्स का निर्वाचन हो जायगा इस स्थान पर किसी डॉक्टर की नियुक्ति कर दी जायगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३९९

श्री नारायणलाल—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला सीकर में कितने देहातों में सरकारी औषधालय खोले गये हैं ?

(२) क्या उनमें दवा आदि का तथा इन्जेक्शन की पूरी पूरी सुविधायें हैं ?

(३) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—सीकर जिले में अॅस्पताल व डिस्पेन्सरियां निम्नलिखित हैं:—

१. सीकर अॅस्पताल (ठिकाना सीकर के अधीनस्थ एवं उसके द्वारा प्रबन्धित।
२. कंवट डिस्पेन्सरी (सरकारी)
३. अजीतगढ़ डिस्पेन्सरी (सरकारी)
४. नीमका थाना डिस्पेन्सरी (सरकारी)
५. खन्डेला डिस्पेन्सरी (सरकारी)
६. दांता रामगढ. डिस्पेन्सरी (सरकारी)
७. श्री माधोपुर डिस्पेन्सरी (सरकारी)
८. थोई (प्रयोगिक डिस्पेन्सरी) सरकारी

(२) हां।

(३) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४००

श्री भैरू'सिंह (वि० सं० ११)—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. सन् १९५२-५३ में अब तक फेमिन रिलीफ में कुल कितने रुपये खर्च हुए हैं ?

२. इस खर्च का ब्योरा Constituency wise क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस विषय में जिलावार आंकड़े प्राप्त किये जा रहे हैं। कुछ जिलों के आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनको मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूं। दूसरों की सूचना, प्राप्ति होने पर टेबल पर दी जावेगी:

१. टोंक।

२. डूंगरपुर।

श्री भैरू ंसिंह—यह उत्तर मेरे प्रश्न संख्या ४०० का नहीं है ।

श्री खेतसिंह—आपने जो जवाब दिया है वह प्रश्न संख्या ४०१ का है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(Constituency wise) सूचना प्राप्त करके बता सकता हूं, यह नया प्रश्न पैदा हो गया है ।

श्री भैरू ंसिंह—सूचनायें कब तक प्राप्त होने की आशा है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अगले सेशन में ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट. ।

प्रश्न संख्या ४०१

श्री भैरू ंसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में बीज के लिये तकावी पिछले तीन सालों में कितनी कितनी हर जिले में दी गई थी और हर साल कितनी वसूल हुई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—

इस विषय में जिले वार आंकड़ों का ब्यौरा इस प्रकार है ।

१.	टोंक	सं० २००७	७००	रुपये
	टोंक	सं० २००८	९०	रुपये
	टोंक	सं० २००९	२००	रुपये
२.	चित्तौड़	सं० १९५२,५३	२१०	रुपये
३.	डूंगरपुर	सं० १९५०,५१	२७५	रुपये
	अलवर, सीकर, सवाई माधोपुर	इस कार्य के लिए कोई अलग तकावी नहीं दी गई		

बाकी जिलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।
वसूली के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं ।

प्रश्न संख्या ४०२

श्री प्रतापसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) बीदासर हाई स्कूल को एफीलियेट करते हुए विश्वविद्यालय ने क्या मांगें की थीं ?

(ब) उनमें क्या क्या पूरी की जा चुकी हैं?

(इ) जो बाकी रह गई हैं वे किस तरह और कब पूरी की जा रही हैं ?

Page No.21

श्री **भोगीलाल पंड्या**—(अ) विश्व विद्यालय ने जो मांगें की थीं उनकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(आ) इनमें से निम्न मांगें पूरी हो चुकी हैं।
१(अ) (ब) (स) (ज), २, ४ (अलावा कॉमर्स के) व ८

(ई) निम्न मांगें अभी पूरी नहीं हो सकीं:—
१. (अ) इसके लिये प्रबन्ध किया जा रहा है।

(ई) ऐनेटोमी टीचर की अब आवश्यकता नहीं है। यह विषय अब हाई स्कूल कक्षाओं में नहीं रहा।

(फ) (च) इन दोनों स्थानों का प्रोवीजन बजट में नहीं है। आगामी वर्ष का बजट प्राप्त होने पर **इस पर** विचार किया जायगा।

३, ५ व ६ ये सब तामीरी काम हैं। इनमें काफी धन और समय की आवश्कता है। सरकार की आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुये विचार किया जायगा।

(७) यह प्रश्न अभी हाई स्कूलों का है। इस विषय में चिकित्सा विभाग से लिखा पढ़ी हो रही है।

श्री **प्रतापसिंह**—यदि पब्लिक कुछ पैसा इकट्ठा करे तो उसमें सरकार क्या कुछ देना चाहेगी?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—पब्लिक जितना रुपया देना चाहे सरकार उसको सहर्ष स्वीकार करेगी।

श्री **प्रतापसिंह**—सरकार के पास कितना रुपया देने को है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—सरकार के देने के अनुपात में दूसरों के साथ साथ उनका जो हिस्सा आएगा।

श्री **प्रतापसिंह**—कितने कमरों की मांग की गई है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—

1. 5th Class Room 24' × 20'
2. One water room.
3. One water room.
4. Two latrines and 6 lavatories for students.
5. One lavatory for the exclusive use of the staff.

Page No.22

Items of Expenditure	*Amount of expenditure.* *Recurring*	*Non-recurring.*
Library	300	2000
Furniture	100	3000 for two years.
Games		
History and Geography	300	800
Anatomy and Physiology	50	500
Commerce	100	4000

श्री **प्रतापसिंह**—इस पर कितना रुपया लगेगा ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—जब तकमीना होगा तब पूरा पता लगेगा,—

लाइब्रेरी	३००	रुपये रेकरिंग	२०००	रुपये नॉन रेकरिंग
फरनीचर	१००	रुपये	३०००	रुपये २ वर्ष के लिये
गेम्स्				
इतिहास और भूगोल	३००	रुपये	८००	रुपये
ऐनोटोमी और फीजियोलोजी	५०	रुपये	५००	रुपये
कॉमर्स	१००	रुपये	४०००	रुपये

श्री **प्रतापसिंह**—वहां पर कॉमर्स का मास्टर कब भेजा जावेगा ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—अगले वर्ष जब सेशन शुरु होगा विचार किया जावेगा।

श्री **प्रतापसिंह**—पब्लिक की तरफ से वहां पर टाइप राइटर वगैरह का प्रबन्ध है फिर भी वहां पर अभी तक कोई मास्टर क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—हो सकता है कि भेजने की सुविधा नहीं हो इसलिये नहीं भेजा गया—

श्री **एच. के. व्यास**—सेशन शुरु होने के बाद विचार करने के बजाय तो अच्छा यही हो कि अभी विचार कर लिया जाए ताकि सेशन शुरु होते ही मास्टर का प्रबन्ध हो सके।

श्री **भोगीलाल पंड्या**—अगले सेशन के लिये अभी से विचार कर रहें हैं, इसीलिये ऐसा आश्वासन दे रहे हैं।

प्रश्न संख्या ४०३

श्री **प्रतापसिंह**—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(अ) बिदासर गर्ल्स स्कूल का किराया जब से स्कूल कायम किया गया है क्यों नहीं दिया गया है ?

Page No.23

[श्री प्रतापसिंह]

(आ) तीन साल से उक्त स्कूल के मेहतर को अलाउन्स क्यों नहीं दिया गया है ?

(ई) क्या अब मकान किराया व मेहतर का अलाउन्स जल्दी से जल्दी दिया जावेगा ?

श्री **भोगीलाल पंड्या** (शिक्षा मन्त्री की ओर से)--(अ) बिंदासर कन्या पाठशाला के किराये के सबन्ध में कोई कागजात उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा अनुमान है कि यह इमारत वहां की पब्लिक ने बिना किराये ही स्कूल के लिये दी है।

(आ) मेहतर को अलाउन्स दिया जा चुका है।

(ई) मेहतर के अलाउन्स का प्रश्न नहीं उठता। मकान के किराये के लिये अगर कोई कागजात जिसमें कि किराया तय किया हो पेश किये जावेंगे तो उस पर अवश्य विचार किया जायगा।

श्री **प्रतापसिंह**--जिस रोज स्कूल खोला गया था उस वक्त किराया किससे तय हुआ था ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**--मैं उत्तर में बता चुका हूं कि न तो कोई किरायानामा है और न कोई किराये की शर्तें हैं। अगर माननीय सदस्य को मालूम हो तो बतायें।

श्री **प्रतापसिंह**--किराये के बारे में कब से लिखा पढ़ी की जा रही है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**--लिखा पढ़ी से कोई मतलब नहीं। जब किराये की कोई शर्तें हों तो हो सकता है। ऐसा होता है कि लोग पहले तो जब स्कूल खुलवाना होता है तब बिना किराये ही स्कूल के लिये मकान देते हैं किन्तु जब स्कूल खुल जाता है तो फिर किराये के लिये, किराया लेने के लिये कोशिश करते हैं।

प्रश्न संख्या ४०४

श्री **जयचन्द्र**--क्या लॉ मिनिस्टर को ज्ञात है कि--

(१) छोटी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) के मुन्सिफ कोर्ट में दिनांक ११-९-५२ से मुन्सिफ का स्थान रिक्त है ?

(२) सरकार इसकी पूर्ति कब तक कर रही है ?

(३) क्या सरकार के सामने मुन्सिफी तथा मजिस्ट्रेटी सम्मिलित कर देने की योजना विचाराधीन है ?

(४) अगर है, तो यह योजना कब से कार्यान्वित होगी ?

श्री **रामकिशोर व्यास**--(१) छोटी सादड़ी में मुन्सिफ का न्यायालय पर्याप्त कार्य के अभाव के कारण आस्थगित रखा गया है। इस न्यायालय में १ जनवरी, १९५२ से ३१ अक्टूबर, १९५२ तक दायर किये गये नियमित मुकदमों की संख्या ८४ थी और सन् १९५१ में भी मुकदमें इतने कम थे कि ५८ ही दायर हुये। हाई कोर्ट ने उस न्यायालय का अन्त करने की सिफारिश की है और यह मामला

[श्री राम किशोर व्यास]
विचाराधीन है। छोटी सादड़ी में मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट के न्यायालय के निर्माण के विषय पर भी विचार हो रहा है।

(२) आम तौर पर संयुक्त न्यायालयों के संस्थापन के प्रश्न पर सरकार द्वारा क्रियात्मक रूप से विचार किया जा रहा है।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४०५

श्री **धर्मचन्द**—क्या मन्त्री मेडिकल विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) सपोटरा तहसील में जो आयुर्वेदिक औषधालय हैं उनका पांच वर्ष में सम्बन्धित इन्सपेक्टर तथा सब-इन्सपेक्टर ने कितनी दफे वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया है ?

(ख) यदि किया है, तो कब और किस वर्ष में ?

(ग) निरीक्षण गलत सिद्ध होने पर शासन की ओर से ऐसे अधिकारी को क्या दंड देने का विधान है ?

श्री **रामकिशोर व्यास**—तहसील सपोटरा में निम्न तीन औषधालय हैं—
नारोली, हाड़ोती और कुरगांव।

इन औषधालयों की स्थापना तीन वर्षों के अन्दर हुई है। सेशन १९५०-५१ में इन औषधालयों में से प्रत्येक का एक एक दफा निरीक्षण किया गया है। सन् १९५२ में १-२-१९५२ को इन्सपेक्टर भरतपुर को निरीक्षण करने की आज्ञा दी गई थी परन्तु इन्सपेक्टर ने निरीक्षण नहीं किया।

निरीक्षण गलत सिद्ध होने की इस कार्यालय को अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा होने पर राजस्थान सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन एण्ड कन्ट्रोल रूल्सके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

एक सदस्य—क्या और जगह भी निरीक्षण किये गये हैं ?

श्री **रामकिशोर व्यास**—यह तो एक अलग प्रश्न है।

एक सदस्य—क्या बीकानेर डिविजन में भी औषधालयों के निरीक्षण किये गये हैं ?

श्री **अध्यक्ष**—ऑर्डर ! नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४०६

श्री **भैरू सिंह** (वि० सं० ११)—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

Page No.25

[श्री भैरूंसिह]

(१) राजस्थान को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से फेमिन रिलीफ में कितनी आर्थिक सहायता मिली ?

(२) इस साल कितनी मिलने की आशा है ?

(३) अगर जवाब 'नहीं' में है तो क्या राजस्थान गवर्नमेन्ट ने इमदाद नहीं मांगी या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने इन्कार कर दिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की ओर से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सामने मांगें पेश की गई हैं। इसका अन्तिम निर्णय होना बाकी है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ४०७

श्री प्रतापसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सुजानगढ़ तहसील में अकाल है या नहीं ?

(२) पहले अकाल घोषित नहीं किया गया तो क्या अब घोषित करने का विचार है ?

(३) अकाल के बारे में स्थानीय अफसरों की क्या रिपोर्ट है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्या रिपोर्ट है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Scarcity conditions are declared on failure of crops in any particular area to the extent of exceeding 12 annas in the rupee. Fortunately Sujangarh tehsil had 8.92" rainfall in 1952 and damage to the Kharif crops was reported below 6 annas in the rupee. No scarcity conditions exist according to the report of Collector Churu.

श्री प्रतापसिंह—क्या इसके बारे में इस कॉन्स्टीट्यूएन्सी के किसी मेम्बर ने कभी आपको अकाल घोषित करने की सिफारिश की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरे ख्याल से इस बारे में मुझे कोई विशेष सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न संख्या ४०८

श्री मोतीराम—क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

जिला गंगानगर में सरकार उच्च शिक्षा की बढोतरी के लिये वहां के इन्टर कॉलेज को डिगरी कॉलेज में कब परिणत कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (शिक्षा मंत्री की ओर से)—फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

Page No.26

प्रश्न संख्या ४०९

श्री जगतसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या डूगला की जनता ने स्कूल की बिल्डिंग नई बनवाने में ५,००० रुपये सरकार के इस आश्वासन पर लगाये हैं कि इतनी ही रकम सरकार द्वारा सहायतार्थ मिलेगी और उससे मकान पूरा बन जावेगा ?

(आ) क्या यह सच है कि वह रकम नहीं मिली है ?

(इ) क्या अब यह आशा की जाय कि उपरोक्त रकम सरकार से मिलेगी ?

(ई) यदि हां, तो कब तक और कितनी ?

श्री भोगीलाल पंड्या (शिक्षा मंत्री की ओर से)—(अ) ऐसा कोई आश्वासन सरकार की ओर से नहीं दिया गया है।

(आ) इस विषय में अगले वर्ष का बजट प्राप्त होने पर राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यथासंभव विचार किया जायगा।

(ई) यह प्रश्न अभी नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ४१०

श्री लालूराम—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में अबरक की खान कहां कहां है ?

(२) इसके कितने ठेके गतवर्ष दिये गये थे ?

(३) सरकार को अबरक के ठेकों से गतवर्ष और इस वर्ष कितनी आमदनी हुई है ?

(४) जिला टोंक में अबरक के ठेके क्या दिये गये हैं ?

(५) अगर ठेके दे दिये गये हैं तो उनका काम चालू क्यों नहीं किया गया है ?

(६) यदि यह ठेकेदारों की इच्छा पर है तो सरकार ने इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(१) जयपुर और उदयपुर डिविजन में हैं।

(२) गतवर्ष २१ ठेके व १०७ प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस मन्जूर किये गये।

(३) माईका से आमदनी इस प्रकार है:—

१९५१-५२	११,७३,४८६ रुपये	
१९५२-५३	८,०४,४९५ रुपये	अभी तक

(४) जिला टोंक में अबरक के ठेके मोनोपोली खत्म होने के बाद अब दिये जा रहे हैं।

(५) ठेके के बाद में काम चालू करने के लिये कुछ समय अवश्य लगता है।

(६) नहीं, पर यदि वाजिब समय से ज्यादा समय लिया जाता है तो महकमा उसकी पूछताछ करता है।

श्री लालूराम—क्या माननीय मन्त्री महोदय इस साल आमदनी में दो लाख रुपयों की कमी होने का कारण बता सकेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास—कमी नहीं हो रही है, यह तो अब तक की आमदनी बताई गई है।

प्रश्न संख्या ४११

श्री नारायणलाल—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सीकर जिले में कितने हरिजनों के बेदखली के केसेज इस वर्ष चल रहे हैं ?

(२) उनमें से कितने केसेज का फैसला हो गया है और कितने बाकी हैं ?

(३) गांव खांखोली, तहसील सीकर, और गांव ढाकासा तहसील रामगढ और गांव दतुजला तहसील लक्ष्मणगढ़ के हरिजनों के बेदखली के मुकदमों पर क्या क्या कार्यवाहियां हुई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस तरह की कोई सूचनाएं नहीं रखी जातीं। फिर भी इसकी जानकारी हासिल करके सूचना दी जायगी।

सूचना जो बाद में प्राप्त हुई वह इस प्रकार है:—

(१) ३८

(२) उनमें से ३४ मुकदमों का फैसला हो गया है और ४ अभी विचाराधीन हैं।

(३) गांव खांखोली में बेदखली के २ मुकदमें दायर हुए जिनमें एक का फैसला हरिजन के पक्ष में हुआ और दूसरे मुकदमें में दोनों पार्टीज ने आपस में समझौता कर लिया।

(आ) गांव ढाकास का कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ। गांव दतुजला का इस बारे का एक मुकदमा दायर हुआ जो हरिजन के पक्ष में तय हुआ।

प्रश्न संख्या ४१२

श्री प्रतापसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या तहसील सुजानगढ़ के किसी पटवारी को ग्राम रामपुरा में तकाबी वसूल करने पर किसी मेम्बर म्युनिसिपिल बोर्ड, छापर व कांग्रेस कार्यकर्ता ने पीटा ?

(२) अगर पीटा तो किसने पीटा, नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

(३) जिसको पीटा गया उसका क्या नाम था ?

(४) तहसीलदार ने उपरोक्त मामले की रिपोर्ट की या नहीं ?

(५) अगर की तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(१) नहीं। पीटा तो नहीं पर उनके आपस में गर्मा गर्मी जरूर हुई।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(२) इस पटवारी का झगडा श्री लादूराम दूघेडिया मेम्बर म्यूनिसिपिल बोर्ड, छापर से हुआ ।

(३) पटवारी का नाम श्री चुन्नीलाल है ।

(४) हां । तहसीलदार ने रिपोर्ट की ।

(५) तहसीलदार की रिपोर्ट आने पर असिस्टेन्ट कलेक्टर, रतनगढ़ को यह मामला जांच के लिये सुपुर्द कर दिया गया है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या जांच पूरी नहीं हुई है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी नहीं, जांच पूरी होकर रिपोर्ट नहीं आई है ।

प्रश्न संख्या ४१३

श्री लालूराम—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में इस वर्ष हरिजनों को सरकारी पड़त जमीन कितनी दी गई और हर एक जिले में कितनी कितनी ?

(२) जिला टोंक में सरकारी पड़त जमीन काश्त करने के लिये कितनी कितनी व कितने हरिजनों को दी गई ?

(३) क्या रोड सेरेडा और लाक जिला टोंक में भी हरिजनों को जमीन दी जाने की कोई योजना है, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जयपुर व जोधपुर डिविजन से ही इस बाबत आंकड़े प्राप्त हुए हैं । जिनसे जयपुर में १०२१८ बीघा व जोधपुर में १४०३ बीघा हरिजनों को दिया जाना पाया जाता है ।

(१) इसके विषय में प्राप्त आंकड़े इस प्रकार हैं—

जिलेवार तफसील यह है:—

बाडमेर	३६५ बीघा
पाली	१०३८ बीघा
सवाई माधोपुर	१२५४ बीघा
टोंक	४३ बीघा
जयपुर	१२३७ बीघा
भरतपुर	७४८३ बीघा

(२) ४३ बीघा भूमि ७ हरिजन परिवारों को दी गई ।

Page No.29

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(३) बीड लाक में २४ बीघा भूमि चार हरिजन परिवारों को दी गई। बीड सांधरा का कुछ भाग हिज हाईनेस नवाब टोंक की निजी सम्पत्ति है और बाकी भाग पर वन विभाग का अधिकार है इसलिये इस बीड में अलॉटमेन्ट के लिये कोई जमीन खाली नहीं है ?

श्री लालूराम—जिन हरिजनों के पास जमीनें नहीं थीं उन्हीं को जमीनें दी गई हैं या आम तौर से हरिजनों को दी गई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आम तौर से जिनके पास जमीनें नहीं हों उन्हीं को दी जाती हैं।

एक सदस्य—क्या कोटा डिविजन में भी हरिजनों को जमीनें दी गई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जोधपुर और जयपुर इन दो डिविजनों की ही सूचना प्राप्त हुई है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—जयपुर और जोधपुर डिविजन में जो जमीन का वितरण किया गया है उसमें क्या इस बात की कोशिश की गई है कि हरिजनों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसका ध्यान अवश्य रखा जाता है कि जिनके पास जमीनें नहीं हों उनको देने की कोशिश की जाती है, पर इस मामले में भी वर्ग विशेष को ही दी जायं इस तरह का ध्यान नहीं रखा जाता।

श्री कंवरलाल जेलिया—तो फिर हरिजनों की अवस्था कैसे ठीक होगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने अर्ज किया कि जिनके पास जमीनें नहीं हों उनको जमीनें दिये जाने का ध्यान रखा जाता है, वर्ग विशेष का ध्यान नहीं रखा जाता।

श्री कंवरलाल जेलिया—जब विधान में हरिजनों के लिये और और प्रकार की सुविधायें हैं तो फिर जमीनें वितरण करने के बारे में हरिजनों के लिये सुविधा क्यों नहीं दी जाती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जमीन वितरण करते समय इस बात का ख्याल करना होता है कि खेती करने के लिये दूसरी जातियों की दरख्वास्तें आती हैं। जो काश्त करने वाले हैं उनको जमीन दी जाती हैं। हरिजन होते हुए भी किसान का कार्य कभी नहीं किया हो तो हरिजन होने मात्र से जमीन देना आवश्यक हो, यह ठीक नहीं है।

श्री धर्मपाल—हरिजनों को काश्त के लिये जमीनें नहीं दी जायेंगी तो फिर हरिजनों की हालत कैसे ठीक होगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस बात से इन्कार नहीं कि हरिजनों को जमीनें दी जायं। विशेष तौर से हरिजनों को जमीनें दी जायं इस बात का ख्याल रखा गया है। जयपुर डिविजन में तो काफी इलाकों में काफी तादाद में जमीनें दी गई हैं।

Page No.30

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—क्या सरकार को यह मालूम है कि बावजूद चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर के हरिजनों और दूसरे किसानों को रेवेन्यु में एक तरीके से मापा जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—रेवेन्यु विभाग की मन्जूरी से ही ये सुविधायें दी गई हैं।

श्री गोपीलाल यादव—क्या जमीन के बंटवारे के लिये माननीय मन्त्री ने रूल्स केबिनेट या हाउस की सेंक्शन से बनाये हैं जिन पर कि अमल किया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसके बारे में अलग अलग जगहों के लिये अलग अलग तौर से हिदायतें दी गई हैं। जिनमें खास ये हैं कि जमीन किसी बड़ी तादाद में न दी जायें, छोटी छोटी तादाद में दी जाय। छोटे टुकड़े बना कर दी जायें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको, लैंड-लैस टिनेन्ट्स को दी जाय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय और हरिजनों को भी दी जाय ऐसी हिदायतें अफसरों को दी गई हैं।

श्री गोपीलाल यादव—जिन गलत आदमियों को जमीनें दी जा रही हैं, क्या इनके खिलाफ अपील सुनने का अधिकार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह बड़ा व्यापक प्रश्न बन जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है, अलग अलग स्थानों की अलग अलग सुविधाओं को ध्यान में रख कर जमीनें दी गई हैं।

प्रश्न संख्या ४१४

श्री जगतसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—इस साल बोहड़े, बड़ी सादड़ी तहसील में मिडिल स्कूल की स्थापना की जावेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—बजट में गुंजायश और अन्यान्य स्थानों के बेलेंस को देखते हुए इस विषय पर पूरा लिहाज किया जावेगा।

श्री जगतसिंह—क्या इसके लिये सरकार ने कोई आश्वासन दिया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मिडिल स्कूल खोलने के जो नियम बने हुए हैं उन्हीं के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री जगतसिंह—क्या सरकार दूसरे स्थानों की बनिस्पत इस स्थान में मिडिल स्कूल खोलने के लिये प्रायोरिटी देगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या-प्रायोरिटी देने का कोई सवाल नहीं आता। आस पास की छोटी स्कूलों के छात्रों की संख्या काफी होनी चाहिये और बाकी शर्तें पूरी होनी चाहिये। फिर ओटोमेटिकली स्कूल खुल जायगा।

प्रश्न संख्या ४१५

श्री **धर्मचन्द**—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

करौली हाई स्कूल को इन्टरमीडियेट कॉलेज बनाने के विषय में सरकार की क्या नीति है ?

श्री **भोगीलाल पंडया**—जब बजट में गुंजाइश हो और करौली हाई स्कूल का इन्टर कॉलेज बनने का क्लेम दूसरे हाई स्कूलों के मुकाबले में वजनदार पाया जावे तभी उसे इन्टर कॉलेज बना दिया जावेगा, यही नीति है ।

प्रश्न संख्या ४१६

श्री **कस्तूरचन्द**—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

सेनेटरी इन्सपेक्टर्स के ग्रेड जोधपुर, उदयपुर व बीकानेर डिविजन में ८०-५-१५० रु० का था जिसको घटाकर एकीकरण के समय ६०-४-१०० रु० का क्यों कर दिया गया जबकि कम्पाउन्डर्स व डाक्टर्स आदि के ग्रेड बढ़ाये गये ?

श्री **रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)**—राजस्थान में एकीकरण के पूर्व सेनेटरी इन्सपेक्टर्स के भिन्न भिन्न डिविजनों में निम्नलिखित ग्रेड्स थे:—

जोधपुर	८०-४-१००-५-१५०-१०-२०० व ८०-४-१००-५-१५०
उदयपुर	६०-४-८०-५-१५०
बीकानेर	८०-३-११०

एवं अन्य स्थानों में इससे भी कम ग्रेड थे । किन्तु एकीकरण के समय सरकार ने संपूर्ण प्रान्त के ग्रेड्स ध्यान में रखते हुए समानता लाने के विचार से सेनेटरी इन्सपेक्टर्स के ग्रेड्स ६०-४-१०० रु० नहीं बल्कि ६०-४-१००-५-१३० निर्धारित कर दिये हैं । फिर भी जो व्यक्ति पुरानी ग्रेड के हैं वह स्वतन्त्रतापूर्वक वही ग्रेड रख सकते हैं ।

प्रश्न संख्या ४१७

श्री **कस्तूरचन्द**—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में "सी" नम्बर की डिस्पेन्सरियां कितनी हैं और हर एक डिस्पेन्सरी में खर्चे का क्या बजट है ?

२. क्या ये डिस्पेन्सरियां जन संख्या के आधार पर खोली गई हैं या सरकार की इच्छा पर ?

३. अगर जन संख्या पर निर्भर हैं तो एक डिस्पेन्सरी के लिये जन संख्या कितनी होनी चाहिये ?

४. अगर जन संख्या पर ही सरकार डिस्पेन्सरी कायम करना चाहती है तो क्या रायला रोड में भी डिस्पेन्सरी कायम करेगी ?

श्री **रामकिशोर व्यास**—अभी तक डिस्पेन्सरीज को श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है। भीलवाड़ा जिले में कस्बा भीलवाड़ा के अतिरिक्त १५ डिस्पेन्सरीज इस जिले के आधीन हैं जिनका सालाना खर्चा इस प्रकार है:—

१. शाहपुरा	२४,५५७ रु.	९. गुलाबपुरा	१०,०१९ रु.
२. मांडलगढ	८,८३४ रु.	१०. जहाजपुर	१०,७५५ रु.
३. रायपुर	९,००५ रु.	११. असिन्द	९,०५० रु.
४. कोटरी	६,४६० रु.	१२. सहारन	८,७६१ रु.
५. गंगापुर	८,८६४ रु.	१३. पुर	६,१८६ रु.
६. बगोद	६,१४९ रु.	१४. मांडल	६,४२० रु.
७. बेदनोर	९,६३० रु.	१५. बिजोलिया	१०,३३१ रु.
८. बगेडा	१०,१७१ रु.		

२. यह डिस्पेन्सरियां पहले से चालू हैं और कुछ एक वर्षीय योजना में खुली थीं। अब नई डिस्पेन्सरियां नियमानुसार खोलने के नियम सरकार के विचाराधीन हैं।

३. व ४. जैसा कि सरकार नियम निर्धारित करेगी उसी के अनुसार कायवाही की जावेगी और रायला रोड में डिस्पेन्सरी खोलने का विचार इन नियमों के आधार पर किया जावेगा।

प्रश्न संख्या ४१८

श्री **लालूराम**—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. राजस्थान में हरिजन काश्तकारों के पास पट्टा खतोनी के पर्चे मौजूद होते हुये भी क्या उन्हें मारपीट की जाती है, और जबरदस्ती उनकी जमीन छीनली जाती है ?

२. इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

३. क्या हरिजनों के लिये विशेष सुविधायें दी जावेंगी ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—किसी काश्तकार से जमीन इस कारण से नहीं छुड़ाई जाती कि वह हरिजन है। यह प्रधान तथा आर्थिक संघर्ष है जो मालिक जमीन व काश्तकार के बीच चलता है।

(क) जो कानून बनाया गया है वह लाभकारी सिद्ध हुआ है।

(ख) हरिजनों को विशेष सुविधा देने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री **श्रीदास गोयल**—क्या सरकार को मालूम है कि चांदी की कड़ियां पैरों में पहनने के कारण हरिजनों की जमीन छीनली गई और सैकड़ों की संख्या में उन्हें बाहर निकाल दिया गया ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—जी नहीं।

Page No.33

श्री गोपीलाल यादव—Does the Government know that the reason behind all this is the uncertainty caused by the unwillingness of the Government to place the Tenancy Bill before the House and have it passed ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—It is absolutely wrong. There is no unwillingness on the part of the Government but the Government is prepared with it and it will be placed before the House in the same session in its next sitting.

श्री गोपीलाल यादव—Personnel क्यों नहीं अनाउन्स किए गए ?

श्री अध्यक्ष—नेक्सट ।

प्रश्न संख्या ४१६

श्री सोहनलाल भटनागर—Will the Revenue Minister be pleased to state :—

Whether there had been suspension or remission in the Kharif and Rabi crops of the last year and the Kharif crop of this year in various Tehsils of Udaipur District ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—An amount of Rs. 3,72,238 was remitted during "Kharif" last year in Udaipur Distt. As regards the last Rabi Crop and the current Kharif, proposals regarding remission and suspension have been called from the Distt. authorities, according to the rules recently framed by the Govt., on receipt of which remission and suspensions will be granted on the scales prescribed in these rules.

प्रश्न संख्या ४२०

श्री धर्मचन्द—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

मिडिल स्कूल सपोटरा की बिल्डिंग जीर्णावस्था में तथा अपूर्ण है, इसको बनाने के बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार की आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त फंड प्राप्त होने पर अन्य मामलों के शामिल इसे भी लिया जायगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह प्रश्न नं० ४२० का उत्तर है या उत्तर ४२० है ?

प्रश्न संख्या ४२१

श्री धर्मचन्द—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) इस वर्ष सपोटरा में तथा मंडरायल तहसील में कितने नये प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं ?

[श्री धर्मचन्द]

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) भविष्य में स्कूल खोलने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री भोगीलाल पंडया—सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इस वर्ष कोई नया स्कूल नहीं खोला गया। भविष्य में आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अन्य ऐसे मामलों के साथ इस पर भी विचार किया जायगा।

प्रश्न संख्या ४२३

श्री कस्तूरचन्द—क्या न्याय मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. क्या सरकार के ध्यान में है कि बनेड़ा मुन्सिफ साहब के तबादले को अर्सा हो गया है ?

२. अगर ध्यान है, तो नये मुन्सिफ कब तक भेज जावेंगे ?

३. क्या गंगापुर जिला भीलवाड़ा मुन्सिफ कोर्ट में ८४ केसेज हैं, और फिर भी वहां पर मुन्सिफ नहीं हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)—मुन्सिफ बनेड़ा का न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा अभी आस्थगित रखा गया है क्योंकि वहां एक मुन्सिफ को पूर्ण रूप से कार्यरत रखने के लिए पर्याप्त कार्य नहीं था तथा वहां पर आवश्यक न्यूनतम कर्मचारी वर्ग वाद पत्रादि ग्रहण करने तथा न्यायालय के अभिलेख को समारक्षण में रखने के हेतु रखा गया है। विचाराधीन कार्य को किसी अन्य उपयुक्त न्यायालय को सौंपने की आवश्यकता की ओर हाई कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया गया था। हाई कोर्ट ने सूचित किया है कि जिला जज, भीलवाडा को अविलम्बनीय विचाराधीन मुकदमों को निकटतम दीवानी न्यायालय को हस्तान्तर करने का निर्देश दे दिया गया है।

२. कार्य की कमी के कारण इस न्यायालय के अन्त करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और सरकार का निर्णय शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगा।

३. प्रश्न में वर्णित ८४ संख्या वह संख्या है जो गंगापुर में मुन्सिफ के न्यायालय में १-११-५२, को विचाराधीन मुकदमों की अवशिष्ट संख्या प्रगट करती है। किसी न्यायालय के कायम रखने के प्रश्न का निर्णय दायर किये गये मुकदमों की संख्या के आधार पर किया जाता है जो १० महीनों में उसी अवधि (१-१-५२ से ३१-१०-५२ तक) में बनेड़ा के मुन्सिफ के न्यायालय में १६७ के विरुद्ध ९९ थी। गंगापुर के मुन्सिफ के इस न्यायालय के अन्त करने के प्रश्न पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

श्री किस्तूर चन्द—इस प्रश्न के क्लॉज ३ म "संभव" शब्द नहीं लगाया गया है। पता नहीं शायद मैंने ही नहीं लगाया हो।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४२४

श्री जगतसिंह—क्या मंत्री रिलीफ विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे—(क) बड़ी सादड़ी और डूंगला तहसीलों के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट, भील क्षेत्रों में रिलीफ कार्य अब तक क्यों नहीं शुरू किया गया?

(ख) यदि सरकार अब शुरू करना चाहती है तो वह कब तक और कितनी रकम इन क्षेत्रों में खर्च करेगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(1) These Tehsils have not been declared as affected with scarcity. There are pockets and villages in every district of Udaipur Division where Bhils also reside but it is very difficult to separate such areas and declare scarcity in them. The condition of standing crops is generally fair in these Tehsils.

(2) The Bhil population of these areas can be provided employment on the relief works in neighbouring areas which have been declared affected with scarcity.

श्री जगतसिंह—दूसरी जगह जल्दी काम शुरू कर दिया गया है और यहां देरी से शुरू करने का क्या कारण है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—चित्तौड़गढ़ कलेक्टर को रकम अलॉट कर दी गई थी। आवश्यकतानुसार काम शुरू किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४२५

श्री धर्मचन्द—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—सेटलमेन्ट उच्च अधिकारी को साल में कितने दिन का दौरा करना चाहिये और उन्होंने इस वर्ष कितने दिन दौरा किया है और यदि नियम से कम किया है तो क्यों?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—प्रत्येक सेटलमेन्ट अफसर को फील्ड सीजन में जो नवम्बर से मई तक होती है, प्रति माह तीन हफ्ता दौरा करना आवश्यक है। सेटलमेन्ट कमिश्नर व अतिरिक्त सेटलमेन्ट कमिश्नर के दौरे के दिनों की संख्या मुकर्रर नहीं है। सेटलमेन्ट के जिन अधिकारियों ने कम दौरा किया है उनके विरुद्ध जांच की जा रही है।

प्रश्न संख्या ४२६

श्री **कस्तूरचन्द**—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. क्या राजस्थान से शिक्षा प्राप्ति के लिए हिन्दुस्तान के बाहर हरिजनों को दूसरे देशों में भेजा गया है ?

२. अगर भेजने का विचार सरकार रखती है तो छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) किस ढंग से दी जावेगी ?

३. अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—(शिक्षा मंत्री की ओर से) आर्थिक कठिनाइयों के कारण राजस्थान सरकार ने भारत से बाहर शिक्षा प्राप्ति अथवा ट्रेनिंग के लिए जाने को अब तक कोई छात्रवृत्ति नहीं दी है। कुछ लोग भारत सरकार अथवा राष्ट्र संघ की शिक्षा योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा के लिए दूसरे देशों को भेजे गये हैं परन्तु ऐसे व्यक्तियों का चुनाव भारत सरकार अथवा राष्ट्र संघ की संबंधित एजेन्सियों द्वारा किया जाता है और ऐसी वृत्तियों के लिए दूसरे लोगों की भांति परिगणित जातियों के लोग भी आवेदन-पत्र दे सकते हैं।

२. सरकार का इस समय भारत के बाहर शिक्षा के लिए कोई छात्रवृत्ति देने का विचार नहीं है। यदि शासनिक आवश्यकताओं के कारण किसी व्यक्ति को इस तरह शिक्षण के लिए बाहर भेजने की आवश्यकता हो तो ऐसे मामले पर मेरिट्स के अनुसार विचार किया जा सकता है।

३. आर्थिक कठिनाई के कारण।

श्री **हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री**—क्या राजस्थान के बाहर भी व्यक्तियों को भेजा गया है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—(शिक्षा मंत्री की ओर से) यदि राष्ट्र संघ की एजेन्सियां और भारत सरकार द्वारा चुने गये होंगे तो अवश्य ही गये होंगे।

श्री **हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री**—क्या इनमें परिगणित जाति के व्यक्ति भी हैं ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—(शिक्षा मंत्री की ओर से) इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है। वैसे योग्य व्यक्तियों का तो भारत सरकार ने चुनाव किया ही होगा।

श्री **कस्तूरचन्द**—क्या योग्य होंगे तो उनको लिया जावेगा ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—क्यों नहीं लिया जावेगा, अब भी लिया जा सकता है। लेकिन यह सब भारत सरकार और राष्ट्र संघ की एजेन्सियों पर निर्भर है। आप तो छात्रों को तैयार करिए और उनको योग्य बनाने की कोशिश करिएगा।

सदस्यों को अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व मुझे सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित सदस्यों ने, जिनके सम्मुख समय लिखा हुआ है विधान सभा की कार्यवाही से अनुपस्थित रहने की प्रार्थना की है .....

श्री राधाकृष्ण (वि० सं० ११९)	वर्तमान सत्र
श्री श्रीगोपाल भार्गव	२४ फरवरी से २६ फरवरी
श्री भानुप्रतापसिंह	२८ फरवरी तक
श्री माधवप्रसाद एन. पंडित	२८ फरवरी तक

क्या सदन की यह अनुमति है कि इनको अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

स्वीकृत

आज्ञा प्रदान की जाती है।

प्रश्नों के सम्बन्ध मे पूछताछ

राजा श्री मानसिंह—On a point of a order, Sir, according to Rule 39 of our Rules of Procedure, if a question for oral answer is not reached within the time available for questions on any one day, answers to such questions as are left over shall be laid on the Table of the House. I asked certain questions on the 23rd February, Sir, and answers were supposed to be laid on the Table of the House, but they have not been so laid. I found informally from our office, Sir, that answers have not been received from the Government offices by the Minister concerned. Then the Minister concerned must take trouble to see that answers are laid on the table of the House. I want the answers to my questions.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Sir, I submit that there has been some discrepancy for certain answers have not been received in time. The Government has therefore appointed a Liaison Officer and I assure the Hon'ble Member that the answers which have not been laid will reach now and there will be no such discrepancy in future.

राजा श्री मानसिंह—Sir, May I take that answers to my questions will be laid on the Table in future?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Yes, Sir.

श्री मंगलसिंह कछवाहा—हमारे जो क्वेश्चन्स बाकी रह गये हैं तो उनका भी क्या यही हाल होगा ?

श्री अध्यक्ष तथा श्री उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव

श्री जसवंतसिंह (वि.दल के नेता)—Mr. Speaker, Sir, as the House is aware, a few days ago I gave notice of a no-confidence motion in the Chair and this was done in

[श्री जसवन्तसिंह]

the exercise of my public duties. I assure the House that there were no prejudices or grievances against any personality. Probably because of some prejudices from the other side also, a notice for no-confidence motion was given against the Deputy Speaker. Since then the Hon'ble Chief Minister and myself have been discussing the pros and cons of this question. It may be that our views, *i.e.*, the Chief Minister's and mine, and outlook may be different on many public affairs, and it is so. But as far as the interests of the country and this State is concerned, we view with each other. We thought that there was a very good feeling and atmosphere of cordiality prevailing in the House, and that if any step of the nature contemplated was taken, then that atmosphere of cordiality and friendship would be marred, and therefore we have unanimously come to the conclusion, whatever the repurcussions of this step on my part and on the part of the Hon'ble Chief Minister may be on our respective parties, in the interests of our State, we have decided, or in fact from both the sides notices have already been submitted,to the Hon'ble Speaker for permission of withdrawal.

I express my feeling in the end before taking my seat and I want to assure the Hon'ble Speaker that in doing so I had not any ill-will against the Hon'ble Speaker or anybody else, but in public affairs sometimes one has to take a step which one would not like to take. Such things do happen in public life. I hope that this will not create any ill-feeling in the House.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के माननीय नेता कुंवर जसवन्तसिंहजी ने जो भावनाएँ प्रकट की हैं मैं भी उन्हीं भावनाओं के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूं । सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष भिन्न भिन्न होते हैं, उनके दृष्टिकोण और उनके विचार कई मामले में भिन्नता जरूर रखते हैं, लेकिन उन भावनाओं को रखते हुए भी देश और प्रदेश की उन्नति और उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि जहां तक हो सके हम एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के साथ रहकर देश को आगे बढ़ाने का काम करें ।

अधिकार है प्रत्येक पक्ष को, अपने विचार रखने का और अपने दृष्टिकोण को रखने का, लेकिन जहां कहीं विचार और दृष्टिकोण रखने में कटुता आती हो, वातावरण बिगड़ता हो, उस समय दोनों पक्षों के लिए समझदारी की बात होगी कि वे आपस में समझौता करके मामले का निपटारा करें।

जिस समय ये अविश्वास के प्रस्ताव रक्खे गये थे विरोधी पक्ष की तरफ से और हमारे पक्ष की तरफ से, प्रस्ताव पेश होने के समय से ही हम लोग इस बात के ऊपर विचार करते रहे हैं कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी ।

[श्री जयनारायण व्यास]

हम इस बात में सहमत हैं कि प्रतिक्रिया अच्छी नहीं हो सकती, इसलिए हम एक मत से इस निश्चय पर पहुंचे कि दोनों तरफ के जो अविश्वास के प्रस्ताव हैं वे वापिस ले लिए जांय ।

मैं कांग्रेस पक्ष की तरफ से माननीय उपाध्यक्ष को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा उनके व्यक्तित्व के लिए कोई भी द्वेष भाव या दूसरी तरह की हल्की भावना कतई नहीं है । हम साथ में रहते हैं तो जैसे बर्तन भी साथ पड़े पड़े खड़क जाते हैं, उसी तरह से हममें भी कोई बात हो जाती हैं, लेकिन जहां तक देश और प्रदेश की तरक्की से ताल्लुक है हम उनका साथ देंगे और उनका साथ लेंगे और जहां तक वातावरण को शुद्ध और सुन्दर बनाने से ताल्लुक है, हम सहर्ष उनसे सहयोग लेंगे और अपना सहयोग उन्हें देंगे ।

इसी भावना से प्रेरित होकर इन दोनों अविश्वास के प्रस्तावों के withdrawal के नोटिस , अध्यक्ष महोदय, आपके पास आये हैं और मैं आशा करता हूं कि सदन इन दोनों को एकमत से स्वीकार करेगा और इस तरह न सिर्फ इस सदन का बल्कि देश का और इस प्रदेश का वातावरण शुद्ध हो, इसमें सभी माननीय सदस्यगण और विरोधी पक्ष के नेता मेरी मदद करेंगे ।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, हाउस के नेता और अपोजीशन के लीडर ने जो इस वक्त सूचना अपने समझौते की हाउस को दी है उसके लिए तो मैं उनको बधाई देता हूं लेकिन कम से कम यह आश्वासन जरूर चाहता हूं कि भविष्य में वे ऐसी गलत चीज की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे ।

आप देखते हैं कि इस गलत चीज ने अबतक क्या किया है, सदन का टाइम वेस्ट किया, गलत परम्पराएं कायम कीं । स्पीकर के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव का नोटिस नहीं आना चाहिये था वह आया और उसको रिटेलियेट करने के लिए डिप्टी स्पीकर के विरुद्ध भी अविश्वास के प्रस्ताव का नोटिस लाया गया ।

अगर किसी को नाराजगी थी तो उन्हें स्पीकर साहब के पास और डिप्टी स्पीकर साहब के पास जाना चाहिये था, अपनी नाराजगी उनके सामने जाहिर करनी चाहिये थी, कहना सुनना था और यह निश्चित था कि उसका कोई न कोई रास्ता निकल जाता । लेकिन यह नहीं किया गया और सदन के सामने नोटिस लाये गये । आपस में कटुता बढ़ी, वातावरण खराब किया गया और आखिर में वही हुआ जो होना चाहिये था । सब को सद्बुद्धि आई और इन नोटिसों को आज वापस लिया जा रहा है पर अब भी यह आश्वासन नहीं दिया गया है कि आइन्दा ऐसी चीज फिर इस सदन में नहीं आवेगी ।

अन्त में मैं यही चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी चीज दोनों पक्ष नहीं करेंगे । ऐसा आश्वासन इस सदन को दिया जाना चाहिये ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—मुझे इस विषय पर बोलते हुए बहुत संकोच का अनुभव हो रहा है ।

[श्री अध्यक्ष]

उस समय भी जो वातावरण अचानक पैदा हो गया था उस पर मैंने सदन को यह बतलाया था, माननीय सदस्यों को यह निवेदन किया था कि उत्तेजना के अन्दर कोई कार्य वे ऐसा न करें और इस सदन की परम्परा और शान को बनाए रक्खें ।

मुझे प्रसन्नता है कि सदन के नेता और विरोधी पक्ष के नेता दोनों ने अपनी ओर से, जो दोनों प्रस्ताव थे. उन्हें विदड्रा करने के लिए मूव किया है ।

मैं सदन को यह बतलाना चाहता हूं और विशेष तौर पर विरोधी पक्ष से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भी कई अवसर आये हैं जब कि सदन के नेता की ओर से और ट्रेजरी बेंचों की ओर से भी कुछ आपत्तियां की गई हैं, किन्तु मैंने भरसक इस बात का ख्याल रक्खा है और इस बात के लिए लीनियेंन्सी बर्ती है, विरोधी पक्ष के साथ कि उनको बोलने का पूरा मौका दिया जावे और जहां जो कुछ डिसीजन हों बराबर जुडिशियस कोन्शेंस और इम्पार्शियल हों ।

इसपर भी कोई मिसअन्डर्स्टेन्डिग हुई है तो मैं इस हाउस के सामने फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में मुझसे मिलकर कोई भी बात की जा सकती है ।

मैं बहुत आभारी हूं दोनों नेताओं का, सदन के नेता का और विरोधी दल के नेता का, कि उन्होंने सदन की परम्परा बनाने के लिए इस सदन की शान रक्खी है ।.

मैं इस चेयर की ओर से भी यह आश्वाशन देता हूं कि कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जिससे किसी भी बात में किसी के साथ पक्षपात किया हो । (हीयर हीयर चीयर्स)

मुझे बहुत सन्तोष है कि ये अविश्वास के प्रस्ताव वापिस लिए जा रहे हैं और एक बार और दोनों नेताओं को मेरी ओर से और उपाध्यक्ष की ओर से मैं उनके इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं ।

राजस्थान पंचायत विधेयक

Yes, now Panchayat Bill under consideration.

We have proceeded upto Clause 13 of the Rajasthan Panchayat Bill and we will take into consideration Clause 14 perhaps. As, there is no amendment to Clauses 14 and 15. I put the question is that Clause 14 and 15 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 14 and 15 are added to the Bill.

खण्ड १६

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री भैरूं सिंह (वि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज १६ में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है—

"Add a new sub-clause after sub-clause (15) :—"(16)—prepare a fortnightly statement showing the income and expenditure of the Panchayat and put on the Panchayat Notice Board."

उपाध्यक्ष महोदय, बाहर गांवों में यह देखने में आया है कि अक्सर लोग पंचायत बोर्ड और म्युनिसिपल कमेटी और अन्य कोई सार्वजनिक संस्थाएं जो होती हैं उनसे अपना असन्तोष जाहिर करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आजकल लोगों का ज्यादा नैतिक पतन हो चुका है और जो व्यक्ति पंचायत बोर्ड या किसी म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव में नहीं आते हैं वे लोग इस बात का प्रयत्न करते हैं कि जो लोग म्युनिसिपल बोर्ड या पंचायत के चुनाव में आगये उनको किसी न किसी प्रकार से बदनाम किया जाय। उन पर किसी न किसी प्रकार के इल्जाम लगाये जायं ताकि वे अच्छा कार्य नहीं कर सकें। बदनाम करने से वे चाहते हैं कि वे लोग हमेशा उनके सामने नतमस्तक रहें और उन लोगों की इच्छानुसार पंचायत बोर्ड और म्युनिसिपल कमेटियों में काम करते रहें। बदनाम करने की ज्यादा कोशिश जिस चीज के लिये की जाती है वह है फाइनेन्स के मामलात। अक्सर लोगों में यह विश्वास बनता जा रहा है कि पंचायत बोर्ड में रुपयों का दुरुपयोग होता है, उसका दुरुपयोग पंचायत बोर्ड और सार्वजनिक संस्थाओं में किया जाता है। उस रुपये से कई लोग तो अपना घर बना लेते हैं,ऐसी लोगों की आशंका है और यह आम धारणा भी है। इन सारी चीजों से दूर रखने के लिए व पंचायत बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड में जनता का विश्वास बनाये रखने के लिए पंचायतों के पंच और सरपन्च की यह ड्यूटी रख दी जावे कि जो कोई खर्चा हो उस खर्चे की रिपोर्ट १५ रोज के बाद पंचायत बोर्ड के नोटिस पर लगा दी जावे। फाइनेन्स के मामले में तो यदि खर्च की लिस्ट नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायगी तो लोग बदनाम करने का प्रयत्न करेंगे उनको इस कार्यवाही से अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा और जनता का विश्वास भी बना रहेगा। पंचायत पर जनता का विश्वास रहेगा और पंचायतें अपनी ड्यूटीज को ठीक तरह से अन्जाम दे सकेंगी। इस बात को दृष्टि में रखते हुए यह संशोधन आपके सामने रखा है कि उप सरपन्च १५ दिन का सारा खर्चा, आमदनी का स्टेटमेन्ट नोटिस बोर्ड पर लगा दे तो वे लोग जिनको अकाउन्ट्स में अविश्वास होगा नोटिस बोर्ड पर जा कर उसको पूरी तरह से देख लेंगे और इस तरह उनका अविश्वास दूर हो जायगा। पंचायत बोर्ड ने अपना रुपया किस किस मद में किस किस प्रकार खर्च किया है, कहीं रुपयों का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है, जब वास्तविक स्वरूप उन लोगों के सामने आजायगा तो अविश्वास की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी। कहीं पंचायतों के मेम्बरों ने अपना घर बनाने के लिए तो खर्च नहीं किया है, उसका सारा विवरण नोटिस बोर्ड पर आजायगा। जनता के समक्ष आजायगा तो जनता को किसी प्रकार की आशंका करने की गुन्जाइश न रहेगी। सारी जनता का विश्वास रहेगा, यह एक अच्छी चीज है। अविश्वास को दूर करने के लिए मेरा यह जो संशोधन है वह मानने योग्य है। आशा है माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे। इससे पंचायत बोर्ड की अच्छी परम्परा बनेगी, अविश्वास के कारण दूर हो जायगे और पंच अपना काम अच्छी प्रकार से चला सकेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सदन और माननीय मंत्री महोदय इस संशोधन पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और इसे स्वीकार करेंगे।

श्री तेजसिंह–माननीय उपाध्यक्ष, जो संशोधन भैरूं सिंहजी ने रखा है कि १५ दिन में पंचायत अपना हिसाब नोटिस बोर्ड पर लगादे जिससे पंचायत बोर्ड पर किसी को अविश्वास करने की नौबत न आवे। यहएक महत्वपूर्ण सुझाव है अगर जनता का विश्वास पंचायत में बना रहेगा तो काम सुचारू रूप से चल सकेगा और जनता को विश्वास हो जायगा कि जो खर्चा हो रहा है वह वाजिब हो रहा है। इस प्रकार यदि किसी प्रकार से किन्हीं लोगों को विश्वास पैदा हो जाता है तो उस अविश्वास को दूर करने के लिए यह अच्छा सुझाव है कि पंचायत अपना हिसाब हर पन्द्रहवें रोज नोटिस बोर्ड पर लगादे। इन शब्दों के साथ में श्री भैरूंसिंहजी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस आवश्यक संशोधन को माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे।

श्री रामकरण जोशी–माननीय उपाध्यक्ष, यह अमेन्डमेन्ट अच्छा होते हुए भी उपयुक्त यह रहेगा कि पंचायतों के संचालन के नियम जो धारा ८८ में आए हुए हैं, उन पर विचार करने के समय इसे लिया जा सकता है, इसे क्लॉज के बीच में इसको लेना उपयुक्त नहीं होगा। अतः मैं अमेन्डमेन्ट पेश करने वालों से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापिस ले लें।

श्री भैरूं सिंह–उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी के इस आश्वासन पर कि मेरा संशोधन उन नियमों में ले लिया जायगा, मैं अपना संशोधन वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—सदन के सामने यह प्रश्न है कि श्री भैरूंसिंहजी को अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैरूं सिंह—मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—सदन के समक्ष प्रश्न यह है कि खण्ड १६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खन्ड १६ विधेयक का अंग बना।

खण्ड १७

श्री उपाध्यक्ष—श्री तेजसिंह अपना खण्ड १६ पर संशोधन पेश करेंगे।

कुंवर श्री तेजसिंह—माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा संशोधन इस प्रकार है :–

"In sub-clause 2 line 2, after the word 'himself' and before the word **'from'** insert the words 'regularly for three months'."

In line 2, delete the word "five consecutive".

क्लॉज १७ की सबक्लॉज (२) जो कि इस प्रकार है:—

[कुंवर श्री तेजसिंह]

"(2) If any Panch, Sarpanch or Upsarpanch during the term of his office absents himself from five consecutive meetings of the Panchayat without giving information in writing to the Panchayat he shall cease to be such Panch, Sarpanch, or Upsarpanch and his seat shall become vacant."

इसमें ५ कान्जीक्यूटिव मीटिंगों का हिन्दी रूपान्तर ५ लगातार बैठकों से है। यह लगातार बैठकें १० रोज में भी हो सकती हैं, १५ रोज में भी सकती हैं और एक महिने में भी हो सकती हैं। अगर कोई पंच, सरपंच या उप-सरपंच इन ५ लगातार मीटिंगों में अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त समझा जावेगा।

इसमें मेरा संशोधन है कि फाइव कान्जीक्यूटिव मीटिंग्स से शब्द हटाकर यह जोड दिया जावे कि ३ महीनें तक पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहें तो स्थान रिक्त समझा जाय। समय निर्धारित हो जाना चाहिये। एक महीने, २ महीने या ३ महीने तक बराबर नहीं आता है तो वह स्थान रिक्त समझा जाय। यदि ५ मीटिंग के थोड़े से समय में ही उसका स्थान रिक्त समझा जायगा तो उसके साथ अन्याय होगा इसलिए उसके लिए एक निश्चित समय का निर्धारित होना आवश्यक है।

मेरा आगे का जो संशोधन है वह सब-क्लाज (४) में है वह इस प्रकार है:—

"In line 3 substitute the words 'through the S.D.M. of that area' for the words 'as may be deemed necessary'."

सब-क्लॉज (४) इस प्रकार है:—

"(4) The State Government may by order in writing and after giving him an opportunity of being heard and making such inquiry as may be deemed necessary, remove any Panch, Sarpanch, Upsarpanch."

पंच, सरपंच और उप-सरपंच को हटाने के लिए कहा है कि 'एज में बी डीम्ड नेसेसरी' जिसका मतलब है कि यदि सरकार उसकी एन्क्वायरी करना चाहें तो। इसके स्थान पर मेरा संशोधन है कि जो भी एन्क्वायरी हो वह सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के थ्रू होनी चाहिये। इसमें न्याय पाने की गुंजाइश रहती है, और जब सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा एन्क्वायरी हो तो क्लाज की सब-क्लाज (बी) की पहली लाइन में इसी "इन दी ओपीनियन ओफ गवर्नमेन्ट" के बजाय "इन दी ओपीनियन ओफ दी सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट" हो जाना चाहिए। इसी सब क्लाज का (बी) भाग जो कि इस प्रकार है :—

"(b) in the opinion of the State Government has been guilty of misconduct or neglect in the discharge of his duties or of any disgraceful conduct."

तो "स्टेट गवर्नमेन्ट" की जगह उसकी एन्क्वायरी सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट करे इसलिए उसकी जगह "सबडिविजनल मजिस्ट्रेट" शब्द जोड़ दिया जाय तो वह ठीक रहेगा।

इसके आगे मेरा एक प्रोवीजो है :—

"Add the following proviso at the end :—

'Provided that an appeal from the order of the S.D.M. shall lie to the District and Sessions Judge whose decision in the matter shall be final.'

[कुंवर श्री तेजसिंह]

चूंकि पंच, सरपंच, उपसरपंच, को हटाने के संबंध में एन्क्वायरी करना है, और उसका असर उसके ऊपर पड़ने वाला है; इसकी एन्क्वायरी ठीक तरह से हो सके, फैसला भी वाजिब हो और उनको अपील का भी अवसर दिया जाना आवश्यक है; इसलिए एस. डी. एम. के फैसले की अपील डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज के सामने आती है। उसका जो भी फैसला वह करे तो वह आखिरी फैसला इस संबंध में मान लिया जाय।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसी सेक्शन की सब-क्लाज (५) के संबंध में भी कुछ कहूंगा। इसके वर्डिंग्स इस प्रकार हैं :—

"(5) The decision of the State Government on any matter arising under this section shall be final and shall not be liable to be questioned in any court of law."

सब-क्लाज (५) में यह जो अधिकार सरकार को दिया गया है मेरे खयाल से वह ठीक नहीं है।

"The decision of the State Government on any matter arising under this section shall be final"

यह किसी हालत में ठीक नहीं कहा जा सकता है। इसलिये यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में आखिरी फैसला जो हो वह डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज के द्वारा ही होना चाहिये क्योंकि एक आदमी के भविष्य का निर्णय होने वाला है, उसको हटाया जाने वाला है; इसलिये उसकी अपील, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट की एन्क्वायरी की, डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज के सामने जानी चाहिये। उसका भी जो निर्णय हो उसमें किसी को शंका का स्थान नहीं रहेगा......

श्री श्रीदास गोयल—ओन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फारमेशन, सर, कृपया यह मालूम करें कि कोरम पूरा है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—(गिन कर) पूरा है।

श्री कुंवर तेजसिंह (अपना भाषण जारी रखते हुये)—माननीय उपाध्यक्षजी, इस प्रकार इस क्लॉज में मेरे संशोधन २ बातों पर आधारित हैं, एक रिक्त स्थान घोषित करने के सम्बन्ध में। इसमें ५ मीटिंग का समय नहीं रख कर कोई समय निर्धारित कर दिया जाना आवश्यक है। दूसरा संशोधन इस आधार पर है कि एक पंच, सरपंच और उप-सरपंच को हटाने के लिये उसकी एन्क्वायरी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा होनी चाहिये, और इसकी अपील का अवसर डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज के पास होना चाहिये। इन्हीं दो बातों पर मेरे संशोधन आधारित हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इन्हें स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मि० डिप्टी स्पीकर, सर। आई बेग टू मूव दी फोलोइंग एमेन्डमेन्टः-
"In Clause 17 delete sub-clause 4".

माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज का यदि मुलाहिजा किया जायगा तो मालूम होगा कि यह डिसक्वालिफिकेशन्स की क्लॉज है अर्थात्, कोई पंच चुन लिया गया और चुनने के बाद वह डिसक्वालिफाइड हो ऐसी परिस्थिति पैदा होगी तो वह मेम्बर नहीं रह सकेगा, अथवा लगातार ५ मीटिंगों में वह नहीं आया तो वह मेम्बर नहीं रह सकेगा, या उसने अगर ओथ नहीं ली तो वह मेम्बर नहीं रह सकेगा। तो यह तो ठीक चीज है कि डिस्क्वालिफिकेशन्स के बारे में भी कुछ रहना चाहिये बिल के अन्दर, लेकिन जो सब-क्लॉज (४) है उसमें बिलकुल ही भिन्न बात है और वह डिस्क्वालिफिकेशन्स के साथ न मालूम कहां से जोड़ दी गई है, या किस मन्शा से जोड़ दी गई है। यह सब-क्लॉज (४) यह है कि राज्य सरकार को भी अधिकार दिया है कि वह पंचायत के मामले में जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट हो, उसे भी अधिकार है देखभाल करने का, कि कोई पंच अपना काम कर रहा है या नहीं, कर रहा है तो ठीक कर रहा है कि नहीं, और जब कभी वह चाहे उससे एक्सप्लेनेशन पूछ ले और उसको हटादे। मेरा यह कहना है, माननीय उपाध्यक्षजी, कि इस प्रकार की सब-क्लॉज कायम रखना राज्य सरकार को लगातार इन्टरफियरेन्स करने के लिये अधिकार देना होता है।

माननीय उपाध्यक्ष, कुछ दिन पहले जब सदन में बहस हो रही थी उस समय यह विषय बहस के दौरान में आया कि एग्जिक्युटिव और जुडिशियरी अलग अलग होनी चाहिये। उस समय जहां तक मेरा ख्याल है सब इस बात को मान ही गये थे कि जुडिशियरी और एग्जिक्युटिव सेपरेट होनी चाहिये। कम से कम इसकी महत्वता को तो सब ही मान ही गये थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि उन पंचायतों के जिन्हें सिविल अधिकार भी दिये गये हैं, काम काज में सरकार इस प्रकार दस्तन्दाजी करती है तो यह कहां तक वाजिब है। फैसले व रिविजन आदि के अधिकार की तो बात ही छोडिये लेकिन आज हम देखते हैं कि सरकार पंचायत में से अमुक व्यक्ति को हटाने का अधिकार भी अपने हाथ में रखना चाहती है, जो पंचायतों के पंचों के हाथ में ही होना चाहिये। यदि इस कार सरकार अपना दखल करेगी तो पंचायतें निष्पक्षता से काम नहीं कर सकेंगी। यदि कोई पंच, सरपंच या उप-सरपंच किसी प्रकार का करप्शन करें तो उसमें दस्तन्दाजी सरकार को नहीं करनी चाहिये यह काम तो पंचायत के पंचों पर ही छोडा जाना चाहिये It is the Panchayat who shall look to its own members. If the Panchayat as a whole cannot perform its duties or functions, or there is necessity for intervention by the State Government, that has been separately provided for, तो मेरा अन्त में यह कहना है कि क्लॉज १७ के सब-क्लॉज (४) की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं रहती इसलिये इसको हटा दिया जाय। जहां तक पंचों का सवाल है वह तो पंचायत के पास ही किसी को हटाने आदि का अ कार रहना चाहिये। हां, जहां पंचायत का सवाल हो वहां पर दूसरी बात पैदा होती है वहां पर सरकार को दखल देना वाजिब है। इसलिये मैं यह एमेन्डमेन्ट पेश करके प्रार्थना करता हूं कि क्लॉज १७ के सब-क्लॉज (४) को डिलीट किया जाना चाहिये। इन बातों के साथ में अपना यह एमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--अब श्री भैरूसिंह अपना संशोधन नं० ८६ पेश करें।

श्री भैरूसिंह (१६)--माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज १७ के सब-क्लॉज (४) में मेरा एमेन्डमेन्ट इस प्रकार है Substitute the words "as may be deemed necessary" occurring in the third line of sub-clause (4) by the words "through Sub-Divisional Magistrate concerned".

माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज पर सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और उन्होंने इस सब-क्लॉज को हटाने के और किसी ने पंच, सरपंच और उप-सरपंच के बाबत जांच एस. डी. एम. के मारफत कराने के लिये संशोधन पेश किये हैं। मेरा संशोधन भी इस प्रकार का है। इस क्लॉज १७ के सब-क्लॉज (४) द्वारा सरकार ने सरपंच, पंच आदि को हटाने का अधिकार अपने हाथ में लिया है। यदि कोई शख्स किसी प्रकार के मिसकन्डक्ट का भागी बने और अपनी ड्यूटी को ठीक तरह से अन्जाम न दे और किसी मिसकन्डक्ट के कारण पंच रहने के लायक नहीं हो तो उसको सरकार अलग कर सकती है। इसके साथ साथ सरकार ने यह भी लिखा है कि उसको अपनी बरियत पेश करने के लिये मौका दिया जावेगा और इन्क्वायरी भी कराई जावेगी। मगर उसमें यह साफ प्रकट नहीं होता कि वह इन्क्वायरी किससे करवाई जावेगी। इसलिये इसके अन्तर्गत यह बात मालूम पड़ती है कि जांच पंचायत के इन्सपेक्टर या चीफ पंचायत ओफिसर के द्वारा ही कराई जावेगी। यह तो हम लोग जानते हैं कि पंचायतें अलग अलग गांवों में अपना कार्य करती रहती हैं और बहुत सी पंचायतों के लिये एक इन्सपेक्टर होता है। यदि किसी कारण से पंच या सरपंच से इन्सपेक्टर की नाइत्तफाकी हो तो पंच और सरपंच इस बात की आशा उस इन्सपेक्टर से नहीं रख सकते कि वह उनके साथ न्यायपूर्ण तरीकों से इन्क्वायरी करेगा। इसलिये वे चीफ पंचायत ओफिसर के पास लाजमी तौर पर जावेंगे। चीफ पंचायत ओफिसर को छोटी छोटी बातों के लिये हर गांव में जाना मुश्किल होगा। वह जा नहीं सकेगा और वह उस इन्क्वायरी को उसी इन्सपेक्टर के पास इन्क्वायरी के लिये भेजेगा जिसके प्रति पंच और सरपंच को अविश्वास हो गया है। मानलें कि पंचायतें जैसलमेर, बाडमेर या जोधपुर में हैं और वहां के पंच और सरपंच को यह विश्वास नहीं कि पंचायत का इन्सपेक्टर उनके खिलाफ की गई शिकायतों की सही जांच करेगा। अत: वे लाजमी तौर से चीफ पंचायत ओफिसर के पास आयेंगे। इससे उनको परेशानी होगी। इसलिये एस. डी. एम को अधिकार दे दिया जावे कि वह उनकी जांच कर सके। मैं समझता हूं कि इससे जनता को भी सन्तोष होगा और सरपंच और पंच को भी सन्तोष होगा और उसके सामने वे अपनी बरियत आसानी से पेश कर सकेंगे। एस. डी. एम. जो फैसला करेगा उनको मानना पड़ेगा और वे मानेंगे कि हमारे साथ जो कुछ हुआ है वह न्याय हुआ है। अगर पंच और सरपंच काम करने के अयोग्य होंगे तो उनको हटा दिया जावेगा। इसलिये जनता में भी कोई असन्तोष नहीं होगा और पंच और सरपंच को भी यह यकीन हो जायगा कि अदालत में उनका फैसला हुवा है। इतना ही कह कर मैं अपना संशोधन सदन के सामने विचारार्थ रखता हूं।

श्री जवानसिंह--माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज १७ के सब-क्लॉज (५) में मेरा संशोधन इसको हटाने का है। मैं खुद यह चाहता हूं कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास हो और इसीलिये मैं इस पर दो शब्द ही कहूंगा।

[श्री जवानसिंह]

हर एक व्यक्ति को जब यह क्लॉज देखने का अवसर मिला तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि सरकार यह क्यों चाहती है कि उनके हुक्म के खिलाफ कोई अदालत में न जाए। सरकार अपने खुद के कामों से अपने आपमें असन्तोष प्रकट कराती है और हमारे दिल में शंकाएं पैदा कराती है। सरकार क्यों नहीं यह आम हिदायत कर देती कि अगर किसी को हुक्म से नाराजगी हो तो वह अदालत में जा सकता है और न्याय पा सकता है। यदि सरकार यह समझती है कि जो कुछ वह करती है पक्षपात रहित करती है तो फिर उसको यह रखना चाहिये कि कोई भी लॉ कोर्ट में जावें, सरकार को उससे डरने की क्या जरूरत है। हम सब लोग इस बात को मन्जूर करते हैं कि हमारी जुडिशियल कोर्ट्स पक्षपात से ऊपर हैं और जब हम इस चीज को मान कर चलते हैं तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वहां पर कोई चीज पक्षपात से होगी या यों कहिये कि ऐसा नहीं होगा जैसा आप चाहेंगे और इस वजह से आप घबड़ाते हैं। हम यह चाहते हैं कि कानून के अनुसार काम हो। इसीलिये यह संशोधन रखा है।

श्री उपाध्यक्ष—सब संशोधन पेश हो चुके हैं। इस पर अब और कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज १७ के सम्बन्ध में मैं भी यह बात चाहता हूं कि यह तो एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग शुरू से नापसन्द करते हैं और गवर्नमेन्ट को कहने के लिये जहां कहीं हमें मौका मिला है कहा है कि ऐसी चीज नहीं करनी चाहिये जिससे गवर्नमेण्ट के प्रति लोगों का अविश्वास बढ़े। इसमें यह शर्त रखना कि कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते है यह उचित नहीं, अव्वल तो पंच की ऐसी ड्यूटी होती नहीं जिससे कि उसके खिलाफ कोई चार्ज लगे फिर भी अगर पंच अपना काम नहीं करते हैं या हाजिर नहीं होते हैं तो जिस प्रकार एसम्बली मेम्बरों को ६० दिन की हाजरी न होने पर मेम्बरशिप से खारिज किया जाता है उसी प्रकार ऐसा कोई रूल बना दिया जाना चाहिये। यदि ऐसी चीज होगी तो वे खुद रिमूव हो जावेंगे। गवर्नमेन्ट को कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि सब क्लॉज (४) और (५) की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामकरण जोशी—माननीय उपाध्यक्षजी, अभी जिस प्रकार के अमेन्डमेन्ट्स इस धारा में आये हैं उनका सबका मतलब एक ही है और वह मतलब यह है कि किसी पंच, सरपंच और उप-सरपंच के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार सरकार को अपने हाथों में नहीं रखना चाहिये, पंचायतों के जिम्मे कर देना चाहिये। वे लोग कोई भी ऐसा अनुचित कार्य करें तो उनके खिलाफ वोट ओफ नो कोन्फीडेन्स का प्रोवीजन रखना चाहिये या इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकार, एस. डी. एम. को दे देना चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि एस. डी. एम. और वो पुराने तरीके, जिन तरीकों से शासन-व्यवस्था आज तक चली आ रही थी, अगर वह सही तरीके और ठीक तरीके से जनता के मसलों को हल कर सकते होते तो आज इस नये विधान को, पंचायत विधान को इस सदन के सामने लाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती और उन अधिकारों को जो एस. डी. एम. और उनके अन्यान्य साथियों को मिले हुये थे, उनसे छीन कर गांवों के पंचों को देने की नौबत ही नहीं आती।

[श्री रामकरण जोशी]

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि यहां पर यह भी कहा गया है कि सरकार को किसी कोर्ट ओफ लॉ में अपने किसी डिसीजन की जांच करवाने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है। इसके बारे में मेरा नम्र निवेदन यह है कि इन वर्तमान न्यायालयों में देहात के आदमी मुकदमें नहीं लड़ सकते, मुकदमों के तरीके जो इस्तेमाल होते हैं उन्हें इस लायक नहीं समझा गया है कि देहातों के लोग उन तरीकों से लाभ उठा सकें। इसलिये उसी प्रणाली को जो कि देहात के लोगों के लिये हितकर साबित नहीं हुई है उसे इस कानून में जोड़ देने से इस बिल की जो मंशाएं हैं उन सबको खत्म कर देना होगा। इस कानून में आप लोग आगे चलेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस बात की कोशिश की गई है कि जिस लॉ कोर्ट और कानून की दुहाई दी जाती है उन सबसे यह कानून जुदा है। यह कानून एक नई परम्परा को लाने वाला है, जिसमें अब तक के जितने भी पुराने कानून हैं वे कोई बाधा नहीं डाल सकते। अगर इस नई परम्परा में पुरानी परम्परा को घुसेड़ा गया तो सामान्य लोगों के साथ जो फौरन कानूनी कार्यवाही का व्यवहार होता है उसमें रुकावट आ जावेगी। इस नई परम्परा के अनुसार देहातों के लोग छोटे-मोटे झगड़ों के फैसलों को खुद ही हल कर लेंगे। यह तरीका बिल्कुल सीधा-सादा है, सही है और टू दी पोइन्ट है। जो लोग वहां के रहने वाले होंगे वही जब वहां के झगड़ों का फैसला करेंगे तो उन मुकदमों की, हर हालात से वाकिफ होकर ही, फैसला करेंगे। वह फैसला सही होगा और असली बात को खोज निकालना सरपंचों के लिये दुश्वार नहीं होगा।

मेरे लायक दोस्तों ने यह भी कहा है कि इन पंचायतों के मुतल्लिक जांच करने के लिये इन्सपेक्टरों को ही भेजा जाय। मेरा निवेदन यह है कि चीफ पंचायत ओफिसर जिसका कि हैड क्वार्टर जोधपुर में है वह हर जगह कहां कहां जायगा। बाड़मेर, जैसलमेर आदि में उप चीफ पंचायत ओफीसर रखे गये हैं, वे वहां की जांच करने के लिये हर जगह जा भी सकेंगे और उनको जाने में सुविधा भी होगी। इन्सपेक्टर्स के खिलाफ चुनाव कार्यवाही में गैर कानूनी कार्यवाही करने की शिकायत होने पर डिविजनल पंचायत ओफिसर से जांच करवाई जाती है। आज की प्रणाली को हम इसीलिये तो गलत बताते हैं कि जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत होती है वह शिकायत के कागजात उसी के पास जांच के लिये पहुंच जाते हैं। वह तरीका इसमें नहीं रखा गया है।

स्टेट गवर्नमेन्ट व इससे सम्बन्धित डिपार्टमेन्ट इस पंचायत कानून की बातों को अच्छी तरह समझते हैं। कोई कितना भी पढा लिखा क्यों नहीं हो, जब तक इस कानून की स्टडी नहीं कर लेगा इसे समझ नहीं सकता और बिना समझे सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। क्या आप इस बात को पसंद करेंगे कि जिस तरह एस. डी. एम. के पास दूसरे रूटिन मामले रूटिन म आते हैं उसी तरह ये पंचायतों के मामले भी उसके पास जायं और वह इनका उसी तरीके से फैसला करे। मेरे ख्याल में आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। दर असल ऐसे मामले उनको देने चाहिये जो इनको समझते हैं और जो यह चाहते हैं कि हमें अपने अपने सूबों म असली राम-राज्य की तस्वीर खींचना है, सबको सस्ता और सही न्याय मिले। सिलेक्ट कमेटी में इस बिल पर खूब अच्छी तरह से विचार विमर्श कर लिया गया है और उपरोक्त बातों का इसमें पूरा पूरा ध्यान रखा गया है।

[श्री रामकरण जोशी]

मैं आपको एक बात और बतादूं, एक्जीक्युटिव और जुडिसियरी को अलग कर देना चाहिये; इस पर बहुत बहसें हुई थीं। पंचायतों में दोनों का एकाधिकार एक ही बोड़ी को दिया गया है, एक्जीक्युटिव और जुडिसियरी पॉवर्स एक ही बो ी को दिये गये हैं। इन सारी बातों को देखते हुये मैं समझता हूं कि आप साहबान मेरी बातों से सहमत होकर अपने अमेन्डमेन्ट्स को वापिस ले लेंगे। इस बिल के जरिये राजस्थान को एक नई परम्परा दी जायगी। अगर पुरानी परम्परा को लेकर इस नई परम्परा को जिससे कि सस्ता और सही न्याय आम लोगों को मिलने वाला है उसको खत्म करना है तो आप अपने अमेन्डमेन्ट्स पर जोर देंगे। सरकार की तरफ से मैं इस सदन को खातिर दिलाना चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत के बारे में आप किसी प्रकार की शंका न करें। किसी भी पंचायत में अनुचित कार्यवाही होने पर किसी सरपंच को निकालने, उप-सरपंच को निकालने और पंच को निकालने के बारे में जो सरकार के पास पॉवर्स रखे गये हैं उनके लिये यह कहा गया है कि ये पावर्स सरकार ने क्यों रखे? इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पॉवर्स तो सरकार के पास रहते हैं और रहते आये हैं। एक बोड़ी को, पंचों को, हटाना, रहने देना इतने से पॉवर्स के बारे में अगर आप यह कहें कि बड़ी बदनियति तथा बड़ा अन्याय हो जायगा, तो यह एक बहुत बड़ी बात आप सोच रहे हैं। सब सेक्शन (५) और (४) बहुत ही जरूरी हैं और इनके बिना कोई नियन्त्रण नहीं हो सकता। लॉ कोर्ट में फैसले की जांच का अगर प्रोविजन रखा गया तो कोई भी आदमी पैसे के बल बूते पर लॉ कोर्ट के द्वारा किसी भी पंचायत डिपार्टमेन्ट के भले आदमियों को इधर उधर घसीटता फिरेगा, मनमाने ढंग से ऐसा करेगा कि व्यवस्था नहीं जम सकेगी। इसलिये आप इस कानून पर, अपने ऊपर, गांवों के पंचों के ऊपर, इस बनने वाली बोडी पर विश्वास करते हुए अपने अमेन्डमेन्ट्स को वापिस ले लेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूं।

श्री तेजसिंह—मेरे संशोधन नम्बर १३६ और १३७ के जवाब नहीं आये।

श्री उपाध्यक्ष—कौन कौनसे संशोधन वापिस लेना चाहते हैं?

श्री तेजसिंह—मैं अपना संशोधन नम्बर १३८ से १४० तक वापिस लेना चाहता हूं।

(संशोधन नम्बर १३८ से १४० को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई)

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपना संशोधन वापिस नहीं लेना चाहता। इस सिलसिले में मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण के अन्त में जो सेन्टेन्स कहा उसको दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जो लोग चुन जावेंगे उनमें हमें विश्वास करना चाहिये और हम उनमें विश्वास करके चलें। मैं पूरी तरह से उनके सेन्टेंस की ताईद करता हूं और यह कहता हूं कि आप उनमें विश्वास क्यों नहीं करते हैं। मेरे संशोधन की मंशा यह है कि पंच, सरपंच या उप-सरपंच को निकालना है तो जो लोग चुन कर आये हैं, पंच बने हैं उनमें विश्वास किया जाय। वे लोग अगर किसी में विश्वास नहीं करते तो वे ही उसे निकालें परन्तु माननीय मन्त्री जी उनमें विश्वास नहीं करना चाहते। इसलिये मेरे अमेन्डमेन्ट को वापिस लेने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दूसरा पोइन्ट यह बतलाया गया कि नया ढांचा है, नया तरीका है इसलिये इसके ऊपर यदि खास अफसर की निगरानी रहती है तो रहने दी जाय। यह गलत चीज होगी और फालतू इन्टरफिअरेन्स होगा। पिछले साल डेढ़ साल का अनुभव में बताना चाहता हूं। मन्त्रीजी को मालूम होगा। शायद सदन को भी मालूम है या नहीं इसलिये सदन को इत्तिला के लिये बतादूं। एक पंचायत में ही नहीं बल्कि हरेक पंचायत में तीन-तीन, चार-चार मामले बगैर तय हुये पड़े हैं। उनका कई बार फैसला हुआ, बदला गया, फिर फैसला हुआ, फिर बदल गया; इस तरह के हर पंचायत में डिस्प्यूट्स हैं। कहीं पंचों में कहीं सरपंचों और पंचों में झगड़े चलते रहते हैं। यदि मन्त्रीजी जांच करने को तैयार हैं तो ९० प्रतिशत केसेज में एलीगेशन्स ये हैं कि सरकारी अफसरों ने हस्तक्षेप किया। ऐसी हालत में पंचायत को पूरी स्वतन्त्रता क्यों नहीं दी जाय। किसी पंच या सरपंच के मामले में दस्तन्दाजी न की जाय। यदि पूरी की पूरी पंचायत के खिलाफ कार्यवाही करनी हो तो सरकार हस्तक्षेप करे। इन शब्दों के साथ मैं अपने एमेन्डमेन्ट को प्रेस करता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री व्यास का संशोधन क्लॉज नम्बर १७ का स्वीकार किया जाय। संशोधन इस प्रकार है:—

"Delete sub-clause (4)."

(संशोधन अस्वीकृत हुआ)

श्री **भैरूंसिंह** (वि. सं. १६)—मैं अपना संशोधन वापिस नहीं लेना चाहता।

श्री **उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि श्री भैरूंसिंह का संशोधन जो इस प्रकार है स्वीकार किया जाय:—

"Substitute the words 'as may be deemed necessary' occurring in the 3rd line of sub-clause (4) by the words 'through the Sub-Divisional Magistrate concerned'.

(संशोधन अस्वीकृत हुआ)

श्री **जवानसिंह**—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने जैसे पहले अर्ज किया था मैं तो कोर्ट ओफ लॉं के पक्षपात रहित होने का दावा करता हूं और उसमें बहुत अच्छी तरह से विश्वास करता हूं। लेकिन क्योंकि सरकार को ऐसा विश्वास नहीं है इसलिये मैं अपने एमेन्डमेन्ट को प्रेस करना चाहता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि श्री जवानसिंह का संशोधन कि सब क्लॉज ५ डिलीट किया जावे, स्वीकार किया हो।

(संशोधन अस्वीकृत हुआ)

श्री **उपाध्यक्ष**—क्योंकि सब संशोधन अस्वीकृत किये जा चुके हैं इसलिये प्रश्न यह है कि क्लॉज १७ स्वीकृत हो।

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लॉज १७ विधेयक का अंग बना ।

खण्ड १८

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैरूंसिंह अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—क्लॉज १८ में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है :—

"Insert the words 'and published in the Rajasthan Gazette' after the words 'Chief Panchayat Officer' in line 4."

माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लाज की मंशा के अनुसार यदि कोई पंच, सरपंच या उप-सरपंच उस पंचायत से त्याग पत्र देना चाहता है और वह उस पंचायत में कार्य नहीं करना चाहे तो त्याग-पत्र देकर वह स्थान रिक्त कर सकता है और जब वह चीफ पंचायत ऑफिसर को अपना त्याग-पत्र दे देता है तो वह स्थान रिक्त समझा जावेगा । क्लाज १४ में यह दर्ज है कि "Every election or appointment of a Sarpanch, Upsarpanch and a Panch shall be notified in the Rajasthan Gazette in accordance with Rules made under this Act."

एक तरफ पंचायत के पंच, उपसरपंच और सरपंच की नियुक्तियों को आप राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित करते हैं और दूसरी तरफ पंच, उप-सरपंच या सरपंच जो पंचायत से त्याग-पत्र देकर अपना स्थान रिक्त कर देते हैं उनकी सूचना राज-पत्र में नहीं प्रकाशित की जाती है । मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो इत्तिला दी जाय और दूसरी तरफ स्थान रिक्त होने की इत्तिला न दी जाय । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस सूचना के प्रकाशित नहीं होने से इसका दुरुपयोग हो सकता है । मान लीजिये कि पंच, उप-सरपंच या सरपंच उस पंचायत से त्याग-पत्र दे देते हैं और स्थान रिक्त कर देते हैं किन्तु वे उस पंचायत के एरिया से बाहर हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति कलकत्ता से अपना त्याग-पत्र भेजता है और चीफ पंचायत ऑफिसर उस त्याग-पत्र को मन्जूर कर लेता है किन्तु जनता को मालूम नहीं होता कि किसी पंच ने त्याग-पत्र दे दिया है और वे इस तरह से अपना उम्मीदवार खड़ा करने में असमर्थ रहते हैं, तो इस त्याग-पत्र को अगर राज पत्र में प्रकाशित करा दिया जाता है तो जनता को मालूम हो जाता है कि अमुक पंच, उप-सरपंच या सरपंच ने इस्तीफा दे दिया है और वह इस्तीफा मन्जूर हो चुका है और वह राजस्थान राज-पत्र में आया हो चुका है । तो जनता को इससे विश्वास हो जाता है और स्थान जो रिक्त हुआ है उसके लिये उम्मीदवार खड़ा करने में सहूलियत होती है । इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी किया जा सकता है । इस प्रकार की धारणा को दूर करने के लिये ही मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है । इससे जनता को सहूलियत हो जायगी । मैं समझता हूं कि यह संशोधन माननीय मन्त्रीजी स्वीकार कर लेंगे ।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मंत्री)—माननीय उपाध्यक्षजी, पंच, उप-सरपंच या सरपंच जो चुने जाते हैं उनके बारे में सूचना राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित की जाती है । उस क्षेत्र के लोग जानते हैं कि ये हमारे पंच, उप-सरपंच या सरपंच हैं । कोई ऐसा वैसा आदमी आकर काम को हाथ में नहीं ले सकता । किसी भी पंच, उप-सरपंच या सरपंच के त्याग पत्र देने पर उसको राज-पत्र में प्रकाशित

[श्री रामकरण जोशी]

करने का कोई महत्व नहीं रह जाता है क्योंकि पंच को नोमिनेट किया जावेगा। यह पहले ही आ जाता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये चुनाव न होने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिये छः महीने के लिये नोमिनेट कर दिया जावेगा। चुनाव में यह बात आगई है कि किसी पंच, उप-सरपंच या सरपंच का चुनाव होगा तो उसके लिये नोटिफिकेशन होगा और वह नोटिफिकेशन राज-पत्र में प्रकाशित होगा। ऐसी सूरत में किसी भी रिक्त स्थान के लिये जनता को मालूम न हो, यह भ्रम-पूर्ण है। पंच नियुक्त किया जाता है तो सरकार का नोटिफिकेशन जरूर होता है, चुनाव के बारे में समय अलॉट किया जाता है, वह भी राज-पत्र द्वारा प्रकाशित होकर जनता को मालूम हो जाता है। अतः यह कहना कि जनता को रिक्त स्थान के लिये मालूम नहीं होगा बिना मतलब की और निर्मूल बात है। राजस्थान में ३२०० पंचायतें बनेंगी और इस प्रकार हरएक रिक्त स्थान के लिये राज-पत्र में प्रकाशित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे काम में, मैं समझता हूं कि रुकावट पड़ेगी। इस अमेन्डमेन्ट से काम के सुधरने पर असर नहीं पड़ता। अतः मैं कहूँगा कि अमेन्डमेन्ट मूव करने वाले सज्जन अपना अमेन्डमेन्ट वापिस ले लें।

श्री **भैरूंसिंह**—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मन्त्रीजी ने इस संशोधन के बारे में यह कहा है कि राजस्थान में काफी पंचायतें हैं और अगर हर पंचायत से पंच, उप-सरपंच या सरपंच अपना त्याग-पत्र दें और उनको राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित किया जाय तो काम में काफी रुकावट पड़ेगी और जब दुबारा चुनाव होगा तो उसको राज-पत्र में प्रकाशित कर दिया जायगा। तो इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह दिक्कत तो उस समय भी होने वाली है जब कि चुनाव होगा और राज-पत्र में प्रकाशित करेंगे। मैं यह नहीं समझता कि रिक्त हुए स्थानों के बारे में क्यों नहीं राज-पत्र में प्रकाशित किया जाता है। जिस कारण से पंच, उप-सरपंच या सरपंच ने इस्तीफा दिया है और उनके द्वारा जो जो स्थान रिक्त हुए हैं उनको राज-पत्र में प्रकाशित करने से जनता को सहूलियत रहेगी और जनता पशोपेश में नहीं पड़ेगी। इस प्रकार के रिक्त स्थानों के प्रकाशन से यह होगा कि लोगों को मालूम हो जायगा कि किस तारीख को किस किस जगह रिक्त स्थान हुए हैं और किस तारीख तक वे भरे जाने चाहिये। अर्थात् रिक्त स्थान जब हुआ है; उसकी तारीख और चुनाव जो होने वाला है उसकी तारीख; दोनों ही अगर प्रकाशित हो जाती हैं तो लोगों को दिक्कत नहीं रहेगी। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्रीजी इसको मन्जूर कर लें। मैं अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस नहीं लेना चाहता।

श्री **उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि श्री भैरूंसिंह ने जो संशोधन उपस्थित किया है जो कि इस प्रकार है—"Insert the words 'and published in the Rajasthan Gazette' after the words ' Chief Panchayat Officer ' in line 4."

क्या वह सदन को स्वीकृत है ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

The question is that clause 18 may be accepted as part of the Bill. Clause 18 runs as follows :—

"**Resignation of office of panch, or sarpanch.**—A Panch, Sarpanch or Upsarpanch may resign his office by letter addressed to the Chief Panchayat Officer, and, on such resignation being accepted by the Chief Panchayat Officer such Panch, Sarpanch or Upsarpanch shall be deemed to have vacated his office."

(स्वीकृत)

क्लॉज १८ बिल में अंग रूप स्वीकृत हुआ है ।

क्लॉज १६

श्री उपाध्यक्ष—इस पर श्री जवानसिंह अपना संशोधन रखेंगे ।

श्री जवानसिंह—इस क्लॉज में मेरे दो संशोधन हैं नम्बर ४७ और ५० । क्लॉज १३ में मैंने जैसे संशोधन पेश किये थे उनकी वजह से इस क्लॉज में भी ये संशोधन पेश किये हैं । परन्तु जिस प्रकार क्लॉज १३ में मेरे संशोधन नहीं माने गये इससे मैं इस क्लॉज में अपने उक्त संशोधनों को प्रेस करना नहीं चाहता ।

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि ये संशोधन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं अतः ये ड्राप हो गये । नेक्स्ट ।

श्री तनसिंह—श्री उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मेरा संशोधन है वह इस प्रकार है ।

"In sub-clause (1) insert the words 'or upsarpanch' after the word "Sarpanch" wherever occurs in the sub-clause."

मेरा इस संशोधन से यह आशय है कि इस सारे बिल को पढ़ने के बाद सरपंच खिलाफ तो अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने का विधान है पर उप-सरपंच के विरुद्ध कोई भी नियम या धारा मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुई ।

जब सरपंच जो कि कहीं से चुना हुआ होता है, जिसे सारे इलेक्टर्स चुनते हैं उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने का यदि अधिकार पंचों को दिया जाता है तो जिस उप-सरपंच को स्वयं पंच चुनते हैं उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने का अधिकार नहीं दिया जावे, इसका प्रयोजन समझ में नहीं आता । इसलिये मैंने सरपंच शब्द के पीछे उप-सरपंच शब्द को भी जोड़ा है ।

श्री रामकरण जोशी—मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

श्री **तनसिंह**—जो ४८ और ५१वां दो संशोधन हैं, इस सिलसिले में। यह मान लिया जावे कि ये दोनों ही स्वीकार कर लिये गये।

श्री **रामकरण जोशी**—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरपंच के बारे में हैं, उप-सरपंच के बारे में नहीं हैं। जब उप-सरपंच के मामले पर विचार करेंगे तब मान लेंगे।

श्री **तनसिंह**—संशोधन संख्या ५२ जो इसी क्लॉज के विषय में है वह यह है :—

"Insert the following new sub-clause after sub-clause (2) of the clause:—

'(3) Notwithstanding anything contained in this Act or rules made thereunder, a Sarpanch or an Upsarpanch shall not preside a meeting in which a motion of no-confidence is discussed against him but he shall have a right to speak and otherwise to take part in the proceedings of the Panchayat'."

मेरा ख्याल है कि माननीय मन्त्रीजी को इस विषय में भी कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि यह मानी हुई बात है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जब अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो उसको अधिकार नहीं होता कि वह चेयर पर रहे। यह कन्वेन्शन है और हमारे भारतीय संविधान में भी इसका उल्लेख आ गया है। इसलिये अगर यह क्लॉज जोड दिया जाय तो बेहतर है। क्योंकि इन दोनों का प्रभाव बहुत होता है। अगर ये चेयर पर रहे और अविश्वास का प्रस्ताव लिया गया तो इसका प्रभाव उस पर वोट देने वालों पर पड़ेगा ही। मेरा विश्वास है कि इसको भी स्वीकार करेंगे।

श्री **रामकरण जोशी**—इसको या उसको स्वीकार करने की बात नहीं है। यह उप-सरपंच वाली बात स्वीकार की जावेगी। सरपंच के बारे में तो ज्यों का त्यों ही है।

अगर यह तीसरी उप-धारा और जोड़ दी जावे तो यह ठीक नहीं होगा क्योंकि इस धारा में तो वोट ऑफ नो कान्फीडेंस लाने का तरीका स्वीकार किया गया है।

श्री **तनसिंह**—इसका मतलब फिर यह समझा जाय कि उप-सरपंच के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में कोई नया क्लॉज बनाया जावेगा।

श्री **रामकरण जोशी**—इसमें थ्री फोर्थ की मेजोरिटी का प्रश्न नहीं रहेगा।

श्री **तनसिंह**—हां तो फिर यह मुझे स्वीकार है।

श्री **उपाध्यक्ष**—कुंवर श्री तेजसिंह।

कुंवर श्री तेजसिंह—धारा १९ में मेरे संशोधन इस प्रकार हैं :—

"in line 3 substitute the word 'Signed' for the word 'carried'."

Page No.55

[श्री तेजसिंह]

इस धारा की सब क्लॉज (१) में

"In line 5 substitute the word 'moving' for the word 'passing'."

"In line 6 substitute the words 'may refer the matter' for the word 'resign his office by submitting his resignation'."

"In line 7 after the words "and there upon" and before the words "this office" insert the following words :—

"A date may be fixed by the Chief Panchayat Officer within a month for knowing the sense of the electors of the whole Panchayat Circle and if on the day fixed the motion is carried by a majority of the electors present and voting'.

"In Sub claue (2), in line 2 and 3 substitute the words three days' for the words, the prescribed in sub-section (1)"

सरपंच का चुनाव निर्वाचक मिल कर करते हैं तो सरपंच को हटाने का काम भी निर्वाचकों का ही होना चाहिये। चुनने का जब सब को अधिकार है तो हटाने का केवल पंचों को अधिकार कैसे दिया जा सकता है। यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के खिलाफ बात होगी और वह भी ३/४ के बहुमत से। इसलिये यह मेरा संशोधन है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा यही निवेदन है कि उसे हटाने का भी केवल उस सर्कल के निर्वाचकों को ही अधिकार है। जब चुनते समय उनकी राय ली जाती है तो हटाते समय भी उनकी राय लेना आवश्यक है।

श्री **हरिदत्त**—मुझे इस पर दो शब्द कहने हैं कि चूंकि सरपंच का चुनाव हमने बिल्कुल पृथक रक्खा है पंचों के चुनाव से, इसलिये यह तो होगा ही कि वे पंच और सरपंच कभी आपस में मिल कर काम नहीं करेंगे। और यह भी एक आपत्ति हमें थी कि जो भी पढ़े लिखे हों वही सरपंच हों। इस तरह से गांवों में भी दो चार पढ़े लिखे मिलेंगे वे सरपंच के लिये ही खड़े हो जावेंगे और इस तरह पंचों की तादाद पढ़े लिखों की ज्यादा नहीं होगी।

इस दूसरी आपत्ति को देखते हुये यह आशंका बनी ही रहेगी कि वे मिल कर कभी काम नहीं कर सकेंगे और वह सरपंचों के वास्ते एक खिलौना बन जावेगा ; जब चाहें वे पंच ३/४ की मैजोरिटी में हो जावेंगे और नो कान्फीडेन्स मोशन ले आवेंगे।

ऐसी सूरत में सरपंच को पंचों की मरजी पर ही छोड़ा जाना, यह प्रणाली असुविधाजनक रहेगी इस पर विचार अवश्य किया जाना चाहिये।

श्री **एच. के. व्यास**—उपाध्यक्ष महोदय, क्या मुझे अपना अमेन्डमेन्ट मूव करने का मौका नहीं दिया जायगा ?

श्री **उपाध्यक्ष**—अब श्री एच. के. व्यास अपना अमेन्डमेन्ट मूव करें।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—Dy. Speaker Sir, I beg to move the following amendment:—

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"In sub-cluase (1) of this clause in line 4 delete the words 'of not less than three-fourths'."

मेरे इस अमेन्डमेन्ट की मन्शा बिल्कुल उसके विपरीत है जो अभी मेरे माननीय मित्र ने दूसरे अमेन्डमेन्ट द्वारा पेश की है। मेरा यह कहना है कि इस बिल में खास कर क्लॉज २१ की तरफ आप यदि गौर फरमायेंगे तो यह मालूम होगा कि पंचायत एक बोड़ी कॉर्पोरेट गिनी गई है और उसे पर्पिचुअल सक्सेशन भी माना गया है और खास तौर से कन्डक्ट ऑफ बिजनेस के सिलसिले में धारा २१ के सब क्लॉज (८) के मुताबिक:—

"All matters coming before a meeting of a Panchayat shall be decided by a majority of the votes of the Panchas present and voting. The person presiding at such meeting shall, in case of equality of votes, have a casting vote.

तात्पर्य यह है कि पंचायत के काम करने का तरीका इस ढंग से मुकर्रर किया गया है कि जो भी कुछ समस्यायें आयें उनका फैसला बहुमत से कर लिया जाय। लेकिन अगर उनके सामने यह समस्या आये कि सरपंच पर उनका विश्वास नहीं रहा और उस पर उनको फैसला करने का मौका हो तो उसमें बन्धन डाला गया है कि थ्री-फोर्थ मेजोरिटी ऑफ दी टोटल नम्बर ऑफ पंचाज। मान लीजिये पंचायत के १२ मेम्बर हैं और उनका सरपंच पर विश्वास नहीं रहा तो कम से कम ९ पंच इकट्ठे होंगे और वे अगर मत देंगे तो सरपंच पर अविश्वास का प्रस्ताव पास होगा और वह गिना जावेगा। अब ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय कि १२ में से ९ के बजाय सात या ८ पंचो की राय यह है कि सरपंच निष्पक्ष नहीं है, यह सरपंच ऐसा नहीं है कि जिसमें विश्वास होना चाहिये, विश्वास खत्म होगया तो इसके लिये आप पूरे का पूरा बिल छान लीजिये कहीं भी कोई प्रोवीजन नहीं है, ऐसी परिस्थिति के बारे में। जो पंचायतें बहुमत से फैसला करेंगी और पंचों का बहुमत यह होगा कि उनका सरपंच में विश्वास नहीं तो कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि सरपंच को मानते जायं। ऐसी हालत में नतीजा क्या होगा, इसका अन्दाज लगाइये। सरपंच प्रिसाइड करेगा मीटिंग्ज को। किसी एक विषय में पंचायत के ७ व्यक्तियों की राय भिन्न है, वे एक प्रस्ताव लाने वाले हैं और प्रस्ताव पर फैसला करने वाले हैं उसे रूल आउट कर देंगे। फिर प्रश्न आयगा कि अब क्या करें सिवाय इसके कि थ्री-फोर्थ मेजोरिटी बिना कोई रिलीफ नहीं।

इस तरह से एक एबसर्ड पोजीशन हो जायगी। पंचायतों का अधिकार है कि वह मेजोरिटी के बल पर अपना फैसला कर सकती हैं। अगर सरपंच में विश्वास नहीं है तो कम से कम थ्री-फोर्थ मेजोरिटी होनी चाहिये। इसलिये थ्री फोर्थ मेजोरिटी का क्लॉज रखना आवश्यक नहीं। मेजोरिटी ऑफ टोटल नम्बर ऑफ पंचाज ही रखा जाना चाहिये। यदि अचानक मीटिंग बुला ली जिसमें कुछ चन्द आदमी हाजिर हों, वे अविश्वास के प्रस्ताव को मन्जूर कर लें तो फिर यह नहीं गिना जायगा। कुल बहुमत की इस प्रकार की राय हो कि सरपंच में विश्वास नहीं तो सरपंच को कायम नहीं रहने देना चाहिये।

जहां जहां म्युनिसिपिल लॉज हैं खास तौर से यू. पी. और सी. पी. में, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि अगर म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेन्ट का सीधा चुनाव होता है, वहां पर यह प्रोविजन है कि

Page No.57

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यदि म्युनिसिपिल कमेटी बहुमत से यह तय करती है कि हमारा प्रेसिडेन्ट में विश्वास नहीं तो ऑटोमेटिकली रीइलेक्शन होता है। अगर आपने इस प्रकार क्लॉज रक्खा जैसा कि आज है तो उसका नतीजा यह होगा कि लगातार डेडलोक की परिस्थिति पैदा होगी। कहा यह जाता है कि सरपंच को सब लोगों ने मिलकर चुना है, सात पंच उसको हटादें। मुझे इस दलील में तथ्य मालूम नहीं होता। कोई पंच आसमान से टपक कर तो पंचायत में नहीं आया है, वह भी तो चुन कर आया है। कलेक्टिवली समस्त मिलकर के इनक्यूमुलेटिव पॉजीटिव करेक्टर है, सारे के सारे एक ही क्षेत्र, एक ही इलाके के हैं। बहुमत की अगर यह राय है कि उनका सरपंच में विश्वास नहीं है, इसका मतलब है कि इलेक्टोरेट के ५१ प्रतिशत का उसमें विश्वास नहीं। इस प्रकार में इस बात पर इसलिये जोर दे रहा हूं कि अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई और थ्री फोर्थ मेजोरिटी हुई नहीं तो फिर इर्रेगुलेटीज होंगी, डेडलोक होगा, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जायगी कि सरपंच पंचों पर आश्रित रहेगा और दूसरी तरफ इस तरह से दोनों में रस्सा कसी होगी कि काम कुछ नहीं होगा। इसलिये हमें चाहिये कि ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिये। इसलिये मेरा अमेन्डमेन्ट जो इस प्रकार है सदन के सामने स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं:—

"In sub-clause (1) of this clause in line 4 delete the words 'of not less than three fourths."

श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय एच. के. व्यास ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं। विरोध करने का कारण यह है कि आपने यह दलील पेश की कि यह कोई बात नहीं कि अगर सरपंच डाइरेक्ट इलेक्ट होकर आये हैं तो भी पंचों का हक है, इसके लिये जो थ्री फोर्थ का सेफ गार्ड रखा गया है, उसको हटाकर, उसके महत्व को कम कर दिया जाय। इसके लिये पहली बात यह है कि सरपंच डाइरेक्टली सरपंच के रूप में चुना जाकर भेजा गया है। दूसरे पंच हैं वे पंच होकर के भेजे गये हैं। उनमें वैमनस्य होने पर या मित्रता बने या न बने जैसा कि श्री हरिदतजी ने कहा सरपंच बदला जा सकता है। और पंच लोग किसी तरह वगैर दलबन्दी या झगड़े से, जैसी भी स्थिति होगी, उसके अनुसार सरपंच को हटा देंगे। जैसा कि विधान सभा में सदस्य डाइरेक्टली चुन कर आये हैं स्पीकर के स्थान पर हम सब सदस्यों ने एक व्यक्ति को चुना, उसमें यह ठीक है कि टोटल नम्बर जो सदस्यों का होता है उनमें मेजोरिटी का सम्पर्क उनको हटाने के लिये जरूरी है। हमारी राजस्थान विधान सभा में १६० सदस्य हैं, हमें अध्यक्ष को हटाने के लिये ८१ वोटों की जरूरत है। किसी कारण से मामूली मेजोरिटी से हटा नहीं दिया जाना चाहिये, यह प्रोवीजन रखना जरूरी है। जनता के द्वारा सीधे चुन कर आये हुए सरपंच को चार-पांच पंच यदि किसी कारणवश उसको हटाना चाहें तो मैं यह समझता हूं कि यह ठीक नहीं होगा, गलत तरीका होगा। अगर इसके अलावा थ्री फोर्थ मेजोरिटी रखी गई तो यह किसी हद तक ठीक है; इसको भी मैं काफी नहीं समझता, ऐसे सरपंच के लिये जो जनता द्वारा चुना गया हो। इसके लिये अगर कुछ जनता की ओर से लिखित रूप में कुछ संख्या में उसकी शिकायत है, फिर थ्री फोर्थ मेजोरिटी से हटाया जाय तो समझ में आ सकता है। इसके लिये जो बिल में प्रोवीजन रखा गया है वह काफी नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं व्यासजी के अमेन्डमेन्ट का विरोध करता हूं, जो प्रोवीजन रखा गया है वह मैं काफी नहीं समझता हूं।

Page No.58

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, श्री तनसिंह के क्लॉज १९ के ऊपर दिये गये अमेन्डमेन्ट्स ४८ व ५१ को तो माननीय मन्त्रीजी ने मान लिया है, लेकिन ५२ के बारे में माननीय मन्त्रीजी ने अपनी कोई राय जाहिर नहीं की है। मैं इसके लिये यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब कि किसी भी पंचायत में सरपंच अथवा उप-सरपंच के खिलाफ नो कॉन्फीडेन्स का मोशन आजाय तो उस वक्त में सरपंच या उप-सरपंच स्वयं उस कुर्सी पर हो तो यह उस गांव के लिये या सरपंच या उप-सरपंच दोनों के लिये अच्छी परम्परा कायम नहीं होगी, क्योंकि सरपंच अथवा उप-सरपंच अपनी कुर्सी पर बैठे हुए रहें और जनता उनकी बुराई उनके मुंह के सामने करें, यह जनता के लिये जरा मुश्किल बात होगी। अगर सरपंच या उप-सरपंच कुर्सी पर नहीं हो तो जनता अपनी पूरी राय जाहिर कर सकती है। इसलिये यह प्रोवीजन जोड़ना बहुत आवश्यक है। उसके जोड़ने से यह हो जायगा कि सरपंच या उप-सरपंच दोनों में से किसी के भी खिलाफ नो कॉन्फीडेन्स मोशन आया हो तो वह उस वक्त चेयरमैन नहीं रहे। एक पंच को जिसे वे चाहें उस वक्त चुन लें। जैसा कि हमारे विधान सभा के अन्दर नो कॉन्फीडेन्स मोशन अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के खिलाफ आता है तो वह चेयरमैन नहीं रहता है, इस प्रकार उनको भी नहीं रहना चाहिये। इसलिये मेरा खयाल है कि मन्त्रीजी इसको ठीक से पढ लें और मन्जूर कर लें।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मंत्री)—श्री जवानसिंहजी ने जो एटीट्यूड इस प्रस्ताव के अमेन्डमेन्ट पर लिया था मैं उम्मीद करता था कि मि० व्यास भी वहीं एटीट्यूड लेंगे। मि० व्यास का कल की कार्यवाई से कोई मतलब नहीं। आज की कार्यवाही में किसी तरह से रुकावट पैदा करने की ओर उनका ध्यान है। इस बारे में कि जो "नाट लेस दैन थ्री फोर्थ" इसको यदि नहीं हटाया जायगा जैसा कि मि० व्यास अन्दाजा करते हैं तो डेडलाक पैदा हो जायगा, क्योंकि मेजोरिटी उनके खिलाफ हो जायगी। मैं यह समझता हूं कि इसको हटा देने से रोजमर्रा डेडलाक आयेगा। लोग यह कोशिश करेंगे कि अपनी थोड़ी सी मेजोरिटी बना कर नो कॉन्फीडेन्स का मोशन पास कर दें। यह डेडलाक का अमेन्डमेन्ट है, यह अव्यवहारिक है। बड़े दुख के साथ मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

मैं चाहता हूं कि सरपंच के बारे में जिस तरह की उप-खण्ड (१) में मोशन ओफ नो कॉन्फीडेन्स का प्रोवीजन है वह ज्यों का त्यों रहना चाहिये। उप-सरपंच के बारे में उसमें कुछ भी जिक्र नहीं आया है तो श्री तनसिंहजी ने कल जो सुझाव दिये थे वह मैंने स्वीकार कर लिये हैं। आज भी उन्होंने एक योग्य सुझाव दिया है। वह सुझाव यह है कि सरपंच या उप-सरपंच जिसके भी खिलाफ नो कॉन्फीडेन्स का मोशन आता है वह उस वक्त अध्यक्ष पद पर नहीं बैठता है। इसलिये इस धारा में इस तरीके से एमेन्डमेन्ट मन्जूर करने के बाद:—

"(4) Notwithstanding anything contained in this Act or rules made thereunder, a Sarpanch or an Upsarpanch shall not presido at a meeting in which a motion of no-confidence is discussed against him but he shall have a right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Panchayat."

यह यों ही जायगी। सब-क्लॉज (१) As it is; सब-क्लॉज (२) After the motion is............

Page No.59

श्री हरिकृष्ण व्यास--On a point of information, Sir, if the Hon'ble Member in charge has finalised the proposal, let it be reduced to writing. After all it is a law and we cannot change it just like this.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मंत्री)--माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि मैं एमेन्डमेन्ट स्वीकार कर रहा हूं अपनी तरफ से फाइनेलाइज नहीं कर रहा हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--अमेन्डमेन्ट आप स्वीकार कर रहे हैं तो अमेन्डमेन्ट की मन्शा स्वीकार कर रहे हैं। The wordings of the amendment you should read now. You must re-draft exactly correct to the word and to the letter. Otherwise if you read it, it will be very difficult to follow it.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मंत्री)--मैं समझता हूं कि मन्शा और वर्डिंग्स वही के वही रहेंगे जो इनमें हैं। नम्बर १ जैसी है वैसी ही रहेगी।

सब-क्लॉज (२) इस प्रकार होगी:--

"After the motion is carried by a majority of not less than three-fourths of the total number of Panchas, the Sarpanch or the Upsarpanch, as the case may be, shall, within three days of the passing of the motion, resign his office by submitting his resignation to the Chief Panchayat Officer and thereupon his office shall be deemed to be vacant."

अब जो सब-क्लॉज (२) है वह सब-क्लॉज (३) हो जायगा और सब-क्लांज (४) इस प्रकार होगा:-

"(4) Notwithstanding anything contained in this Act or Rules made thereunder, a Sarpanch or an Upsarpanch shall not preside at a meeting in which a motion of no confidence is discussed against him but he shall have a right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the panchayat."

श्री उपाध्यक्ष--संशोधित क्लॉज १९ आपके सामने रखी है। अब जो संशोधन सदस्यों ने दिये हैं उनको मिला कर वह इस प्रकार है:--

"19. *Motion of No-confidence.*—(1) A motion of no-confidence may be moved by any Panch after giving such notice as may be prescribed against the Sarpanch or Upsarpanch.

(2) After the motion is carried by a majority, in case of Upsarpanch and by a majority of not less than three-fourth of the total number of Panchas in case of Sarpanch, as the case may be, shall, within three days of the passing of the motion, resign his office by submitting his resignation to the Chief Panchayat Officer and thereupon his office shall be deemed to be vacant.

[श्री उपाध्यक्ष]

(3) If the Sarpanch or Upsarpanch as the case may be, against whom a motion of no-confidence has been carried, does not resign his office within the period prescribed in sub-section (2), he shall be removed from his office by the Chief Panchayat Officer.

"(4) Notwithstanding anything contained in this Act or rules made thereunder, a Sarpanch or an Upsarpanch shall not preside at a meeting in which a motion of no-confidence is discussed against him but he shall have a right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Panchayat."

श्री एच. के. व्यास--We must get a few minutes at least to study the new clause that has been put forth.

श्री रामकरण जोशी--There is nothing new in it. Only the amendments have been added.

श्री एच. के. व्यास--Still the wordings are new and have to be gone through.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मंत्री)--(श्री एच. के. व्यास के ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठने पर) श्री उपाध्यक्ष, मि० व्यास ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठे हैं········(हंसी)

श्री एच. के. व्यास--(पुनः अपनी जगह पर जाते हुये)

There are only three sub-clauses.

श्री रामकरण जोशी--No, No.. There is one more sub-clause (No: 4).

"(4) Notwithstanding anything contained in this Act or rules made thereunder, a Sarpanch or an Upsarpanch shall not preside at a meeting in which a motion of no confidence is discussed against him but he shall have a right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Panchayat."

श्री कानसिंह--अगर सरपंच और उप-सरपंच मीटिंग में भाग नहीं लेंगे तो क्या उनको वोट देने का राइट नहीं होगा ?

श्री रामकरण जोशी--I think he can do according to law.

श्री उपाध्यक्ष--संशोधनों पर श्री एच. के. व्यास विचार कर रहे हैं और दूसरे जिन जिन सदस्यों के संशोधन हैं जिसमें श्री जवानसिंह वाला संशोधन तो ड्रोप हो चुका है, श्री तेजसिंह वाला संशोधन स्वीकार कर लिया गया है, इसके अलावा किसी सदस्य को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।

श्री एच. के व्यास—मैंने एमेन्डेड वशन पर विचार किया। सरकार ने ३/४ मेंजोरिटी सरपंच को हटाने के लिये कायम रखी है और मेरे एमेन्डेन्ट पर मंत्री महोदय ने यह कहा कि वह तो एक डेडलाक का एमेन्डमेन्ट है पर यह तो अनुभव में पता लगेगा कि आया यह डेडलाक का है या नहीं। यदि ३/४ मेंजोरिटी नहीं हुई तो सरपंच को रूल्स के मुताबिक नहीं हटा सकेंगे और आपस में काफी असंतोष रहेगा। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हू कि आम जनता के नाम पर इसका विरोध किया जा रहा है। मगर ऐसा आम जनता के नाम पर विरोध करना बेकार है। पंच भी सरपंच की तरह ही जनता से चुने हुए आये हैं। यदि ५१ प्रतिशत को उस सरपंच में विश्वास नहीं है तो भी वे उसको हटा नहीं सकेंगे। वहां पर जनता का सवाल नहीं है। वहां पर प्रश्न सिर्फ यह है कि आगे चल कर काम करने में बड़ी कठिनाई होगी। मगर इस विषय पर दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं; एक यह कि कभी भी सरपंच को हटाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। सरपंच को नहीं हटाने का एक दूसरा डेमोक्रेटिक तरीका है। माननीय मंत्री महोदय ने जो यह तरीका रक्खा है 'वह नाइदर फिश नोर फाउल' के सिद्धान्त को चरितार्थ करता है। इतना कह कर मैं निवेदन करता हूं कि इस पर सदन की राय ली जाए।

श्री उपाध्यक्ष—सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि श्री एच. के. व्यास द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

जो इस क्लॉज पर संशोधन थे उनमें से कुछ तो वापिस लेने की स्वीकृति चाहते हैं, कुछ स्वीकार कर लिये गये हैं। जो लोग वापिस लेना चाहते हैं वे भी ले लिये जावें और संशोधन मंजूर कर लिये गये हैं जिनको अभी पढ़ा गया है वे स्वीकार किये जावें या नहीं। पहले सदन की स्वीकृति के लिय संशोधन जो वापिस लेना चाहते हैं उनको एक साथ लिया जाता है कि उन संशोधनों को वापिस लेने की स्वीकृति दी जाय।

(स्वीकृति दी गई)

संशोधन जो सरकार ने स्वीकार नहीं किये हैं उन्हें वापिस लेने की स्वीकृति दी जाती है।

(विराम)

अब सवाल सदन के सामने यह है कि संशोधित क्लॉज नं० १९ को इस बिल में अंग रूप से स्वीकार किया जावे।

श्री एच. के. व्यास—उन सब संशोधनों को जो स्वीकार किये गये हैं उनको एक बार फिर से पढ़ा जावे।

श्री उपाध्यक्ष—संशोधित क्लॉज नं. १९ इस प्रकार है:—

"19. Motion of No-confidence.—(1) A motion of no-confidence may be

Page No.62

[श्री उपाध्यक्ष]

moved by any Panch after giving such notice as may be prescribed against the Sarpanch or Upsarpanch.

(2) After the motion is carried by a majority, in case of Upsarpanch and by a majority of not less than three-fourths of the total number of Panches in case of Sarpanch, as the case may be, shall, within three days of the passing of the motion, resign his office by submitted his resignation to the Chief Panchayat Officer and thereupon his office shall be deemed to be vacant.

(3) If the Sarpanch or Upsarpaneh as the case may be, against whom a motion of no-confidence has been carried, does not resign his office within the period prescribed in sub-section (2), he shall be removed from his office by the Chief Panchayat Officer.

"(4) Notwithstanding anything contained in this Act or rules made thereunder, a Sarpanch or an Upsarpanch shall not preside at a meeting in which a motion of no-confidence is discussed against him but he shall have a right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Panchayat."

श्री उपाध्यक्ष—जो इस संशोधित क्लॉज को अंग रूप से मंजूर करने के पक्ष में हों वे हां कहें और जो विपक्ष में 'हों' वे 'ना' कहें ।

श्री एच. के. व्यास--I want to request you that some verbal amendment be made.

सब-क्लाज २ में 'आफटर' की जगह 'इफ' कर दिया जावे तो ठीक है । दूसरे सब-क्लॉज (४) में वर्ड 'इन' को हटा दिया जावे ।

श्री रामकरण जोशी—इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड १९ विधेयक में अंग रूप से स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

यह संशोधित खण्ड सर्व सम्मति से विधेयक में अंग रूप से स्वीकार किया गया ।

खन्ड २०

श्री उपाध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास इस पर अपना अमेन्डमेन्ट पेश करेंगे ।

श्री एच. के. व्यास—Deputy Speaker, Sir, I beg to move the following amendment:—

" In this clause fifth line (on page 7) after the word " as " insert the following:—

" the original election took place ".

and delete the following :—

" may be prescribed. The foregoing provisions of this Act shall apply to such election. "

यह क्लॉज बाई इलेक्शन से ताल्लुक रखता है। और इस क्लाज में यह रखा गया है कि यदि कोई वेकेन्सी हुई तो फिर चीफ पंचायत ऑफिसर वेकेन्सी को फिल-अप (fill up) कराने के लिये दुबारा इलेक्शन करवायेंगे। इस क्लॉज में शब्द "प्रेस्काइब्ड" का मतलब यह है कि जो रूल्स बने हुए हैं वह भी "प्रेस्क्राइब्ड" में आ सकते हैं और जो नये रूल्स सरकार बनायेगी वह भी "प्रेस्काइब्ड" में आ सकते हैं।

यह स्टेटस है तो कोई रूल्स में नया तरीका डालने की गुंजाइश नहीं है। ऐसी हालत में यह अजीब ढंग से क्लॉज रखा गया है। मेरा अमेन्डमेन्ट जो रखा गया है उसमें यह है कि इसमें प्रेस्क्राइब्ड लेने की कोई जरूरत नहीं है। इससे इसकी भाषा भी सीधी हो जाती है। जिस तरह ओरीजिनल सीट्स भरी हुई थी उसी तरह से वेकेन्सीज भरी जायेंगी। यदि सरपन्च की जगह खाली होगी तो सारी पंचायत का चुनाव होगा और उप-सरपंच की जगह खाली होगी तो पंचायत के मेम्बर नया उप-सरपन्च चुनेंगे। मेरा खयाल है कि इस एमेन्डमेन्ट को मंजूर नहीं करने की कोई बात नहीं है। मेरा है, इसलिए मन्जूर नहीं किया जाय तो यह बात अलग है।

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं श्री एच, के. व्यास के इस अमेन्डमेन्ट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्री एच. के. व्यास के इतने अमेन्डमेन्ट आये और गिर गये। यह मन्जूर कर लिया जाय तो कोई खास फरक नहीं पड़ेगा। अगर यह अमेन्डमेन्ट मान लेते हैं तो इनको भी तसल्ली रहेगी।

सरपंच, उप-सरपंच, या पंच की मृत्यु अथवा रेज़िगनेशन देने पर बाइ इलेक्शन्स होंगे। आपने इसमें दिया है प्रेस्क्राइब्ड मेनर; इसका मतलब मैं तो यही जानता हूं कि जिस तरह से ओरिजनल चुनाव होते हैं उसी तरह से चुनाव करके वेकेन्सी फिल-अप की जायगी। मेरा खयाल है कि मंत्री महोदय की भी यही मन्शा होगी कि इसी तरह से बाइ इलेक्शन्स हों। अतः मेरा यह निवेदन है कि अगर यह अमेन्डमेन्ट मान लिया जाय तो बहुत अच्छा होगा।

श्री जवानसिंह—इस क्लॉज में मेरा भी संशोधन है कि जहां ६ महीने की मियाद रखी गई है वहां तीन महीने की मियाद रखी जाय और जैसा कि कहा गया कि अमुक अमेन्डमेन्ट अमुक व्यक्ति विशेष का है इसलिए मन्जूर कर लिया जावे, इससे मैं सहमत नहीं हूं। अगर कोई फायदे की बात है तो उसको जरूर मन्जूर करना चाहिये। क्योंकि हमारी पंचायतों की कुल टर्म तीन साल की रखी गई है उसमें से ६ महीने निकाल दें तो बाकी ढाई साल की टर्म रहती है। तीन साल के पीरियड में अगर ६ महीने का पीरियड निकाल दिया जाता है तो यह अनुचित होगा। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छः महीने की बजाय तीन महीने का अरसा रख दिया जावे। अगर तीन महीने से पहले वेकेन्सी होती है और आप यह ख्याल करते हैं कि तीन महीने बाद दूसरा इलेक्शन हो जायगा तो भले ही आप मत करिये। छः महीने का पीरियड बहुत ज्यादा रहेगा।

श्री रामकरण जोशी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि श्री व्यास के वर्बल संशोधन स्वीकार किये गये हैं और जैसा कि माननीय खेतसिंहजी ने कहा कि किसी को सन्तोष हो जाय इसलिए संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आगे जो वाजिब संशोधन हैं वे स्वीकार किये जायगे। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का ध्यान नहीं रखा जा सकता। श्री जवानसिंह जी ने छः महीने की बजाय तीन महीने का अरसा रखने के लिये जो संशोधन रखा है उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि उसमें यह बात नहीं है कि छः महीने ही लगें। नोटिफिकेशन निकालने आदि सब कामों में तीन महीने से ज्यादा अरसा नहीं लगेगा। तीन महीने या तीन महीने से कम अरसे में भी काम पूरा हो सकता है लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में तीन महीने का अरसा अपर्याप्त भी हो सकता है। तो जिन परिस्थितियों में तीन महीने का समय पूरा नहीं पड़ता वहां दिक्कत हो जाती है, इसीलिए ६ महीने का अरसा रखा गया है। इन ६ महीनों में तीन महीने भी सन्निहत हैं। किन्हीं केसेज में तीन महीने से ज्यादा अरसा लग सकता है। इस वजह से ६ महीने का पीरियड रखा गया है। ऐसी स्थिति में मैं जवानसिंहजी से निवेदन करूंगा कि वे अपने इस संशोधन को वापिस लेलें।

श्री जवानसिंह—मैं सदन से अपने संशोधन को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री जवानसिंहजी को अपना संशोधन वापिस लेने की स्वीकृति दी जाय।

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान हुई।

श्री जवानसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री एच. के. व्यास—अगर माननीय मंत्रीजी को इतने हेवी ट्रबल्स पसन्द हैं तो मैं अपने अमेन्डमेन्ट को प्रेस नहीं करता।

Page No.65

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि श्री एच. के. व्यास को अपना संशोधन वापिस लेने की स्वीकृति प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

श्री एच. के. व्यास--मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि क्लॉज २० बिल का अंग माना जाय । क्लॉज २० इस प्रकार है :-

"**Bye Election.**—In the event of the office of a Panch, Sarpanch or Up-sarpanch becoming vacant by death, removal, resignation or otherwise under this Act, which shall be forthwith reported to the Cuief Panchayat Officer, an election to fill the vacancy shall be held in such manner as may be prescribed. The foregoing provisions of this Act shall apply to such election and the Sarpanch, Upsarpanch or Panch so elected or appointed shall hold office for the remainder of the term during which the out-going Sarpanch, Upsarpanch or Panch would have been entitled to hold office if the vacancy has not occurred :

Provided that such vacancy shall not be filled up if the said term would expire within six months from the date of the occurence of such vacancy."

(स्वीकृत)

क्लॉज नं. २० बिल का अंग बना ।

श्री उपाध्यक्ष—अब क्लॉज नं. २१ में श्री तेजसिंह अपने संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

श्री तेजसिंह—क्लॉज २१ में मेरा पहला संशोधन इस प्रकार है:—

"Sub-clause (2)—

In line 3 substitute the word 'month' for the word 'fortnight.'"

पंचायतों के लिये लाजमी तौर पर मीटिंग्ज का समय तय करते समय हमें यह ख्याल रखना चाहिये कि किसी पंचायत में काम अधिक होता है तो किसी में काम कम होता है । इसलिए १५ दिन के अन्दर कम से कम एक मीटिंग बुलाना ठीक नहीं है । इसलिए मैंने अपने एमेन्डमेन्ट में फोर्टनाइट के बजाय एक मंथ कर दिया है ।

मेरा दूसरा संशोधन सब-क्लॉज (४) में है जो इस प्रकार है :—

"In line 1 substitute the owrds 'one half' for the words 'one third'".

[श्री तेजसिंह]

मेरा यह संशोधन कोरम के संबंध में है । मूल क्लॉज में कोरम वन थर्ड ऑफ दि होल नंबर ऑफ पंचाज इन्क्ल्यूडिंग सरपंच रखा गया है । किसी किसी पंचायत में या अधिकतर पंचायतों में ९ से अधिक पंच नहीं होंगे। इसलिये केवल सरपंच, उप-सरपंच और एक पंच इकठ्ठे हो गये तो मीटिंग हो जायगी; यह ठीक नहीं होगा। इसलिये मैंने अपने संशोधन में वन थर्ड के बजाय वन हाफ कर दिया है। इसका मतलब यह होगा कि कम से कम ५ पंच इकट्ठे होंगे तभी कार्यवाही की जा सकेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह संशोधन मंजूर कर लिया जाय।

मेरा तीसरा संशोधन सब-क्लॉज (६) में है जो इस प्रकार है:—

"In line 3 after the word 'a person' and before the words 'from amongst' insert the following words :—

'able to read and write Hindi'.

जब किसी मीटिंग में सरपंच और उप-सरपंच दोनों ही अनुपस्थित हों तो पंचों में से किसी को सरपन्च चुना जायगा। पर इस क्लाज में यह नहीं लिखा हुआ है कि वह हिन्दी पढ़ लिख सकता हो, ऐसा पंच होना चाहिये। कोई भी सरपंच का काम करने वाला हो उसके लिये हिन्दी पढ़ लिख लेना आवश्यक है। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि "able to read and write Hindi" ये शब्द और बढ़ा देने चाहिये ताकि यह उप-खण्ड साफ हो जाय।

मैं अपने एमेन्डमेन्ट नं० १५० को प्रेस नहीं करना चाहता

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज २१ की सब क्लॉज (५) में मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

"In sub-clause (5), the word 'not' be inserted between the words 'shall' and 'ordinarily', and the words 'except sitting as Court' be substituted for the words 'but any......................................voting'."

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हर जगह एक आम रिवाज और परम्परा है और मेरा ख्याल है कि इसी कारण आपने भी रखा है कि अदालतों का काम खुले तौर पर होता है जैसा कि हमारे यहां दीवानी और फौजदारी की अदालतें मुकद्दमों की सुनवाई करते समय हर किसी को कोर्ट में जाने देती हैं उसी प्रकार जब हमारी पंचायतें भी यदि किसी मुकद्दमे की सुनवाई कर रही हैं या फैसला दे रही हैं तो यह उचित है कि उन मामलों की सुनवाई या फैसले के समय हरएक आदमी को वहां पर आने की इजाजत हो। लेकिन जब पंचायतें अपना दूसरा एग्जीक्युटिव का काम कर रही हों उस समय हरेक को उनकी कार्यवाही के समय आने देने की इजाजत नहीं देनी चाहिये। जिस ढंग से मौजूदा पंचायतें काम कर रही हैं वह ठीक नहीं है। आजकल जिस तरह की कोम्युनल रंग की पंचायतें हैं उनको इम्प्रूव करना है। पंचायतों की तरक्की करने की जैसी आपकी इच्छा है वैसी ही हमारी भी इच्छा है कि कोम्युनल ढंग की पंचायतें न हों और बहुत इम्प्रूव्ड फोर्म की पंचायतें हों और उनके काम में किसी तरह की दसतन्दाजी न हो ? उन पर कोई दबाव

[श्री जवानसिंह]

नहीं डालने पावे। आप यदि उनकी मीटिंग्ज में हरेक को आने की इजाजत देंगे तो उनके काम के समय दूसरे दस आदमी आकर बैठ जावेंगे और उनसे नौक झोंक करने लगेंगे और काम अच्छी तरह नहीं करने देंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां तक एग्जीक्यूटिव काम का ताल्लुक है पब्लिक हित को ध्यान में रखते हुए आम पब्लिक के लिये खुली नहीं होनी चाहिये और जब पंचायतें कोर्ट का काम करती हों उस समय पब्लिक के लिये उसके दरवाजे खुले रहने चाहियें। यही तरीका हर जगह काम में लिया जाता है। इसलिये निवेदन है कि संशोधन मंजूर किया जावे।

श्री **हरिदत्त**—इस संशोधन के बारे में दो शब्द मैं भी अर्ज करना चाहता हूं। यदि पंचायतों का काम गांवों में बैठकर खुली शक्ल में होगा तो कोई काम नहीं हो सकेगा। जहां हुक्का लेकर पंच बैठेंगे वहां दस आदमी हुक्के के लिहाज से आ बैठें। इसके अलावा बहुत से विरोधी लोग आकर उपद्रव करने लगेंगे। ऐसी हालत में पंचों के पास कौनसी शक्ति होगी कि जिससे वे उन उपद्रवियों को वहां से हटा सकेंगे। एग्जीक्यूटिव काम करते वक्त मकान के अन्दर बैठकर अच्छी तरह से शान्ति से विचार करें और पक्ष या विपक्ष का लिहाज न करते हुए किसी चीज का निर्णय करें। अलबत्ता जब पंचायत अदालत का काम करने बैठें तो खुली शक्ल में वह अदालत का काम करेगी। इसमें यह ध्यान रखना चाहिये कि गांव की हालत देखते हुए जितने आदमियों के बैठने की गुंजाइश हो उतने ही को इजाजत देनी चाहिये। मैं समझता हूं यह संशोधन हमारी पंचायतों का काम अच्छी तरह से चलाने के लिये है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—Mr. Speaker Sir, I beg to move the following amendment in this clause :—

"Add the following sub-clause (10) after sub-clause (9) :—

"(10). If the Sarpanch fails to call a meeting of the Panchayat during the prescribed time limit even after receipt of a requisition under sub-section (3), the signatories to the requisition shall have the right to call a meeting and such meeting if called shall be a valid meeting'."

इस क्लॉज के सब क्लाज (३) की तरफ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्लॉज में यह लिखा है कि सरपन्च जब आवश्यक समझे तब मीटिंग बुला सकता है। "and shall, when required in writing to do so by not less than one-third of the Panches cal a special meeting of the Panchayat within three days of such requisition". अर्थात् अगर तिहाई से ज्यादा पंच लिख कर मांग करें तो यह फिर मेन्डेटरी प्रोविजन होगा। फिर सरपंच के लिए यह कानून जरूरी रहेगा और उसको मीटिंग बुलानी पड़ेगी। he shall have to call the meeting.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लेकिन यदि इस प्रोविजन के बावजूद भी सरपन्च तीन दिन के अन्दर मीटिंग न बुलाए तो क्या परिस्थिति होगी वह इस क्लॉज् में कहीं प्रावाइड नहीं की गई है। मैंने उसी सिलसिले में यह एमेन्डमेन्ट रखा है कि यदि रिक्वीजिशन मिलने के बाद भी तीन दिन में मीटिंग न बुलाई जाय तो रिक्वीजिशन के जो सिगनेटरीज हैं अर्थात् जिन्होंने लिखकर मीटिंग की मांग की है कि मिटिंग बुलाई जानी चाहिये तो उनको अधिकार होगा कि वे मिटिंग कन्वीन कर लें। और उनके द्वारा बुलाई गई मिटिंग का अगर कोरम पूरा हो जाय तो वह मीटिंग कानूनी गिनी जायगी। किसी भी संस्था के यूनियन्स, कोओपिरेटिव सोसायटीज या प्रजातान्त्रिक संस्थाओं के विधानों को देखें तो आपको मालूम होगा कि उनमें यह चेन्ज रखा जाता है। अगर आप रिक्वीजिशन करते हैं तो मिटिंग बुलाना लाजमी होगा। फिर भी अगर मीटिंग नहीं बुलाऐंगे तो सिग्नेटरीज को अधिकार होगा कि वे खुद मीटिंग बुला लें। मेरे अमेन्डमेन्ट की यही मंशा है और मैं इन शब्दों के साथ अपने अमेन्डमेन्ट को पेश करता हूं।

श्री **रघुराजसिंह**—श्री जवानसिंह जी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है मैं उसका समर्थन करता हुआ उसके अन्तर्गत कुछ संशोधन रखना चाहता हूं।

श्री **अध्यक्ष**—अमेन्डमेन्ट ट अमेन्डमेन्ट ?

श्री **रघुराजसिंह**—मेरा यह संशोधन है कि Ordinaily held in camera except when setting as Court". मैं आशा करता हूं कि आप इसको मंजूर करेंगे।

श्री **मथुरादास माथुर**— Mr. Speaker, Sir, Mr. H.K. Vyas has moved an amendment adding sub-clause (10) after sub- clause (9) which is as under:—

> "(10) If the Sarpanch fails to call a meeting of the Panchayat during the prescribed time limit even after receipt of a requisition under sub-section (3),"

then he says,

> "the signatories to the requisition shall have the right to call a meeting and such meeting, if called, shall be a valid meeting."

Sir, I stand to oppose this amendment and would suggest something which would be acceptable to the House and the Member concerned. The duties of a Panchayat are not only to pass Resolutions, but to decide a number of cases. Mr. Vyas forgets that the Panchayat is not an ordinary society which will pass Resolutions and go away; it is a Court also. Therefore, if it is provisionally added that if a Sarpanch, for some reasons, administrative or otherwise, is unable to call a meeting, what is going to happen? The Upsarpanch or the staff may call a representative

[श्री मथुरादास माथुर]

meeting and the Members will collect and decide the cases and after that go home. So a court can function no where in the world in that way. Even if there are sufficient reasons for not calling a meeting, still the remaining members will call a meeting and decide cases. May be for party considerations, may be for political or other personal reasons. If a Sarpanch is not able to call a meeting, then the remaining members will meet and decide cases and go home. This is going to create chaos in the Panchayats which are yet an experiment in Rajasthan. I do not think such a provision should be added.

But it is also necessary that if the majority of the people want to meet and decide cases, they should do so, and wherever arbitrary decisions would have been taken, then there can be another man who can be appointed to decide the cases. But after all there should be a provision to that effect.

So I submit that if the Sarpanch or Upsarpanch fails to summon such meeting, in clause (3) I want to add that "if the Sarpanch or Upsarpanch fails to call such meeting without sufficient reason, it shall tantamount to misconduct." That will make the Sarpanch and Upsarpanch behave in a better way and to keep loyalty to the Panchayat and not to behave in an arbitrary way. I think this is an amendment which the Hon'ble Member will accept. This will solve both the purposes. The Panches will be much more loyal and also there will be no chaos which is going to be created otherwise.

श्री **रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज २१ में जिन प्रकार के अमेन्डमेन्ट आए हैं वे अव्यवहारिक हैं और पंचायत के कामों में बाधा डालते हैं और पंचायतों को आम लोगों के टच से दूर करने वाले हैं। तो मैं इन अमेन्डमेन्टस के बारे में यह निवेदन करूंगा कि वे इस तरह से ठीक नहीं हैं। एक अमेन्डमेन्ट यह रखा गया है कि बजाय पन्द्रह दिन के एक महीने में मीटिंग होनी चाहिये क्योंकि पंचायत के जिम्मे कुछ केसेज का फैसला करना होता है, सारे क्षेत्र के फैसले उसके जिम्मे होते हैं, बदमाशों को सजा देने के फैसले होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कामों की जिम्मेदारियां होती हैं, आदि। मैं आपको इस संबंध में बताऊं कि फोर्मर राजस्थान में पंचायतें काम कर रही थीं वे हर आठवें दिन मिलती थीं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आदि वे नियत कर लेते थे, अर्थात् उन्होंने एक दिन एक तारीख मिलने की मुकर्रर कर रखी है। एक दिन सप्ताह में बैठक होती थी। वे सप्ताह के काम को निकालती थीं। इस बात को देखते हुए मिलना तो आठवें दिन ही चाहिये था उनके क्षेत्र की जो जिम्मेदारियां हैं किन्तु अब फोर्टनाइट में तो अवश्य ही मिलना चाहिये महीने भर में एक दफा मिलने की बात करना अपने रिजोल्यूशन को केवल पास करना ही मात्र है, किन्तु यह अव्यवहारिक है। उनको देखते हुए १५ दिन में अवश्य मिलना चाहिये।

[श्री रामकरण जोशी]

दूसरी बात है कोरम के बारे में। कहा गया है कि आधा कोरम होना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता है कि पांच का आधा २॥ कोरम कैसे होगा ? तो मैं समझता हूं कि कोरम भी १/३ ठीक है और वही माना जाना चाहिये।

तीसरी बात यह कही गई है कि पंचायत की मीटिंग बन्द कमरे में होनी चाहिये। अगर इसकी आवश्यकता पड़े तो इसका प्रोविजन इसमें है अन्यथा आम तौर पर तो मिटिंग्स सबके सामने होना चाहिये क्योंकि उन लोगों को फैसला करना पड़ता है। यदि बन्द कमरे में फैसला करें तो आम लोगों को यह शक हो जाता है कि अन्दर ही अन्दर यह क्या फैसला कर रहे हैं ? अतः न्याय जो कुछ करना है वह सबके सामने ही क्यों न हो ? हुक्का पंच के लिए भी कहा गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों पर हुक्का पंच नहीं इकठा हुआ करते हैं। वहां जो पंच इक्कठे होंगे वे न्याय करने के लिए ही होंगे, अत हुक्का पंच बैठ जायेंगे, ऐसी कल्पना करना ठीक नहीं है।

श्री **रघुवीरसिंह**—ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कोर्टस जो हों वे भले हो ओपन में हों किन्तु मीटिंग ओपन नहीं होनी चाहिये।

श्री **रामकरण जोशी**—अब मैं आगे चलता हूं।

श्री तेजसिंहजी ने सुझाव दिया है कि वह "एबल टू रीड एंड राइट" हो। वह इसमें आ गया है। यह है सब-कलॉज ७ में कि 'Unless a Panch able to read and write Hindi is present at it"

ऐसे मौके पर जब कि सरपंच और उप-सरपंच गैरहाजिर हैं तब तक पंचायत की कार्यवाही नहीं हो सकती जब तक कि एक भी व्यक्ति हिन्दी का जानने वाला न हो।

आगे श्री व्यास ने जिस भावना से अपना अमेन्डमेन्ट रक्खा है वे अपने इस संशोधन द्वारा पंचायत के काम में केओस पैदा कर देना चाहते हैं। इनका संशोधन है कि सरपंच अगर मिटिंग न बुलावें समय में तो मीटिंग चाहने वाले मीटिंग बुला लें। तो क्या वे इस मीटिंग में किसी सरपंच या उप-सरपंच के खिलाफ वोट ऑफ नो कान्फीडेंस के मामले पर किसी बात का फैसला करेंगे ? उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारियां हैं, फैसले करने हैं। तो ये सब काम बिना रेकार्ड और फाइलों के पंच कैसे कर लेंगें। ये काम बिना रेकार्डस् फाइलों के और सरपंच की स्वीकृति के होने असम्भव हैं। सरपंच एक एग्जिक्यूटिव हैड है। इसलिए इसकी गैरहाजरी में मीटिंग बुलाना और बिना उसके रेकार्ड नहीं प्राप्त हो सकते तो बिना रेकार्ड के फैसले कर देना, यह तो केओस पैदा करने जैसी बात हुई। और यह मिसकन्डक्ट वाली बात माथुर साहब ने कही है और अगर मीटिंग समय पर न बुलावे तो मिसकन्डक्ट की बात होनी चाहिये, यह तो समझ में आने वाली बात हो सकती है।

इसलिये यह धारा ज्यों की त्यों पास कर लेनी चाहिये।

श्री जवानसिंह—मुझे सचमुच बहुत दुःख है। मैंने जिस प्रकार का संशोधन रक्खा था और जैसा मैंने निवेदन किया था उसका मतलब और जो मेरी मंशा थी उसको माननीय मंत्रीजी मन्जूर करते हैं और यह भी मन्जूर करते हैं कि एक पंचायत जब फैसला देने बैठेगी तो वह सब के लिए खुली रहनी चाहिये। मेरे संशोधन का मतलब भी यही था कि पंचायत 'एज ए कोर्ट' है तो खुली रहे। जब इस प्रिंन्सिपल को मन्जूर कर लेते हैं तो इसके बाद में तो दलील दूसरी थी नहीं। ऐसा होते हुए भी दूसरे के संशोधन को केवल इसलिए नहीं मानना चाहते, क्योंकि वह दूसरों ने पेश किया है। अगर यही तरीका है आपस में सहयोग का तो फिर जैसा आप उचित समझें करें। मैं अपना संशोधन वापिस लेने को तैयार नहीं हूं।

श्री एच. के. व्यास—Mr. Speaker, Sir, I also want to insist on voting on my amendment. The Hon'ble member-in-charge has termed this as an amendment which will create chaos. I most respectfully submit that this shows a collosal ignorance of the law which the Hon'ble Member has himself directed. I want to draw his pertinent and specific attention to sub-clause (3) of this clause. The words are :—

"(3) The Sarpanch *may* whenever he thinks fit and *shall*, when required in writing to do so by not less than one-third of the Panchas call a special meeting" The first is an optional provision while the second is a mandatory provision. Therefore the contingency in which a requisition is sent is being treated in the law as having an entirely distinct place, and the specific words "shall call a meeting" give it the shape of a mandatory provision of law. Now, my Hon'ble friend has made a suggestion that if he does not call a meeting, it shall be treated as a misconduct. Of course this is going to be treated as misconduct. This is going to be treated as much more. This is going to be treated as a deliberate and direct VIOLATION of a mandatory provision of the law.

But that is not the point. The point is that, in case somebody does this, what remedy is provided in the Act. I know it has been elsewhere provided that in case a Sarpanch fails to call a meeting the Chief Panchayat Officer shall order a meeting to be called or call it himself. But nothing further has been provided, and therefore we are left in a position where there is mandatory provision of law for somebody who violates it. Well, the Member-in-charge has said "We will consider and take action". If this is the seriousness which the Member-in-charge attributes to such an important piece of law, there is nothing to say. Well, I can be accused of having moved an amendment which will create chaos. But I will certainly say that whatever is happening here carries with it an indication of the sense with which things are being taken and I will further say that if this amendment is not accepted and when the Act will be put to practice use, people will find out the defects of this law. As a matter of fact, it is not the amendment which will create chaos, but a rejection of this amendment is an indication of the light nature in which a mandatory provision of law is to be taken.

Page No.72

[श्री एच. के. व्यास]

With these few words I submit my opinion before the House and desire my amendment to be put to vote.

श्री रघुराजसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो अमेन्डमेन्ट पेश किया गया है उसको माननीय मंत्री द्वारा मंजूर नहीं किया गया है। मुझे खुद को इसका अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि कलेक्टर के कोर्ट्स के अन्दर होता है कि कलेक्टर को एग्जीक्युटिव के पावर्स भी होते हैं और जुडिशियरी के भी। एग्जिक्युटिव के जुडिशियरी में नहीं आने चाहिये। जुडिशियरी का वर्क होगा वह अलग होगा। जब पंचायतों को हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी दोनों के अधिकार दे रहे हैं तो हमें इस अमेन्डमेन्ट पर विचार करना उचित होगा और यह अमेन्डमेन्ट मानने योग्य है।

कुंवर श्री तेजसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय मंत्रीजी ने फरमाया कि ५ पंच जहां होंगे उनका कोरम क्या ढाई का होगा। तो जहां १३ का कोरम होगा वहां क्या कोरम डेढ़ का होगा? जब कि क्लॉज ६ में कुछ शब्द जोड़ देने से सब अर्थ निकल सकता है तो ७ को रखने से क्या फायदा। जब थोड़ा सा शब्द लगा देने से काम चल सकता है तो क्लॉज ७ की कोई आवश्यकता नहीं।

कुंवर श्री तेजसिंह—मैं अपना अमेन्डमेन्ट नं०. १४७, १४८, १४९ वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—सदन के सामने प्रश्न यह है कि कुंवर श्री तेजसिंह अपने अमेन्डमेन्ट संख्या १४७, १४८ तथा १४९ वापिस लेना चाहते हैं। क्या सदन की आज्ञा है?

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान हुई।

कुंवर श्री तेजसिंह—मैं अपने तीनों संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधन सं० ५५ जो सदन के सामने है, स्वीकृत हो।

(अस्वीकृत)

The amendment is last.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधन संख्या ५६ स्वीकृत हो।

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

श्री अध्यक्ष—Now the question is that clause 21 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 21 is added to the Bill.

धारा २२

श्री अध्यक्ष—Now the question is that Clause 22 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 22 is added to the Bill.

(विराम)

There is only one clause, than we will finish this chapter. If the House like we can take this Clause No. 23.

धारा २३

कुंवर श्री तेजसिंह—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज २३ पर मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

"For para two substitute the following:—

'Provided that the approval shall be presumed if it is not returned by the Chief Panchayat Officer within a month'."

इस क्लॉज में यह लिखा है कि किसी पंचायत में सेक्रेटरी या और कोई आदमी को रखने की आवश्यकता हो तो पंचायत द्वारा चीफ पंचायत ऑफिसर की एप्रूवल ली जाय। जैसा कि अभी मन्त्री महोदय ने कहा था कि वे ३५०० पंचायतें बनाने जा रहे हैं तो हरेक पंचायत को सेक्रेटरी और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता प्रतीत होगी तो इस प्रकार सब को चीफ पंचायत ऑफीसर से इजाजत लेनी पड़ेगी और ऐसी हजारों दरख्वास्तें आयेंगी। मेरा अनुभव है कि मामूली कागजात का जवाब पंचायत ऑफिसर से नहीं आता है इसलिये यह बहुत ही आवश्यक है कि कुछ टाइम बांध दिया जाय जैसा कि मैंने रखा है कि एक महीने में वह स्वीकृति पंचायतों तक पहुंच जाय। यह जो इसमें रखा गया है कि चीफ पंचायत ऑफीसर दरख्वास्तों को मन्जूर कर लें और बाद में पंचायत सेक्रेटरी और दूसरे कर्मचारियों को रखा जावे, यह अनावश्यक प्रतिबन्ध है। पंचायतों का काम सुव्यवस्थित रूप से चल सके इसलिये यह आवश्यक समझकर इस संशोधन को मैंने रखा है। सदन से आशा है कि इसको मन्जूर कर लिया जायगा। अगर यह नहीं किया गया तो पंचायतों का काम खतम हो जायगा, दरख्वास्तें चीफ पंचायत ऑफीसर के सामने पड़ी रहेंगी और एक एक वर्ष तक नियुक्तियां नहीं हो सकगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—श्री व्यास।

श्री हरीकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment in this clause:—

" In the clause, second line, delete the following :—

' with the previous approval of the Chief Panchayat Officer' adu delete the whole of para two."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

The reason why I put this amendment is like this. Every Panchayat has been authorised to appoint the staff for carrying on the public duties, and the last line of this clause lays down that this appointment shall be done on such conditions of service as may be prescribed. Not only the appointment should be made for the purposes of carrying on duties as imposed on it, not only that the appointment should be made on terms and conditions of service as prescribed, but that the appointment should be made with the previous sanction of the Chief Panchayat Officer. I consider this, Sir, as absolutely redundant and unnecessary and delaying, and also, derogatory to the dignity of a panchayat. It is a very unnatural situation in which we would be putting ourselves. We rely on the Panchayats to the extent that they can adjudicate on matters of dispute, we can rely on their sense of judgment, passing of sentences. They have been given such duties as Courts have been discharging till now in the country. Yet we are not prepared to trust them in giving them the power of appointment of staff for carrying on the day-to-day administration of the Panchayats. I submit, Sir, this is highly unnatural. It is derogatory to the status of a Panchayat, and therefore, I move that the provision regarding the previous sanction of the Chief Panchayat Officer should be deleted.

There is yet another reason for which I want to move for this deletion, and that is with regard to the possible delays that it will cause. As my friend just now said, hundreds and thousands of Panchayats will be formed in Rajasthan. That alone is then a sufficient reason for my moving this amendment. I do not know the intention of the mover of this Bill, but in any case we can understand the intentions of those Members who object to my amendment. Is it to be considered that every such Panchayat shall apply to the Chief Panchayat Officer for the appointment of each individual person, and no appointments shall be made till the Chief Panchayat Officer sanctions it? It will cause inordinate delay, and if I am permitted to say, Sir, this is exactly what will create chaos. It is therefore that I submit this motion for deletion before the House for acceptance.

श्री रामकरण जोशी—मैं इन अमेन्डमेन्ट्स का जवाब देने की आवश्यकता नहीं समझता। और न कोई जवाब देने की बन्दिश ही है। लेकिन एपॉइन्टमेन्ट के सम्बन्ध में एप्रूवल के लिये जो लिखा है और उसके बारे में जो कहा गया है इस सम्बन्ध में मैं यह कह देना चाहता हू कि होल टाइम आदमियों के लिये यह शर्त रखी गई है। अब यह कहा जाता है कि मर्जी आयगी उसी को रखा जावेगा, यह तो एक निर्मूल धारणा है जिसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता

[श्री रामकरण जोशी]
राजस्थान में कई पचायतें अपना काम अच्छी तरह से कर रही हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर वे अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेलें तो अच्छा है वरना वोट ले लिये जावें।

श्री एच. के. व्यास--मैं चाहता हूं कि इस पर वोट ले लिये जावें।

श्री अध्यक्ष--सदन के सामने प्रश्न यह है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाए या नहीं।

(अस्वीकृत)

यह एमेन्डमेन्ट अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष--अब सदन के सामने प्रश्न यह है कि संशोधन संख्या १५६ स्वीकार किया जावे। जो इसके पक्ष में हों वे 'हां' कहें और जो विपक्ष में हों वे 'ना' कहें।

श्री हरिदत्त इस बिल पर बहुत से संशोधन आये हुए हैं। इसमें समय भी काफी लगता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि नेक्स्ट सेशन में इनको रखने से पहले इन बचे हुये एमेन्डमेन्ट्स को संशोधन प्रस्तावकों की एक सिलेक्ट कमेटी बना कर उसके सुपुर्द कर दिया जावे जो इन पर विचार कर लेगी। इससे हाउस का समय भी बच जावेगा और लाभ भी हो जावेगा और काम भी हो जावेगा। उसके चेयरमैन मन्त्री महोदय होंगे।

श्री रामकरण जोशी—इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले इसके लिये सिलेक्ट कमेटी बन चुकी थी और उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इसलिये नई सिलेक्ट कमेटी बनाने का सवाल पैदा नहीं होता। मैं महानुभावों से मिलने के लिये तैयार हूं। यदि वे चाहें तो मुझसे मिल कर इस सम्बन्ध में बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा यह बात है कि कुछ व्यक्ति तो इस पर बोलना ही चाहते हैं और जो लोग बोलना ही चाहते हैं उनको तो हम रोक नहीं सकते, चाहे कितनी ही बार यह बिल सिलेक्ट कमेटी में क्यों न जावे। इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज कर उनके बोलने पर बन्दिश लगाना होगा।

श्री हिम्मतसिंह--क्या माननीय मन्त्री महोदय यह चाहते हैं कि हम गूंगे होकर बैठ जावें? उनका क्या यह मतलब है कि हम बोलें नहीं?

श्री रामकरण जोशी—मुझको गलत समझ लिया गया है।

श्री हिम्मतसिंह—श्री हरिदत्तजी ने जो सुझाव रखा है वह बहुत अच्छा है इससे हाउस का समय भी बच जावेगा और काम भी जल्दी से हो जावेगा और एमेन्डमेन्ट्स की जांच भी हो जावेगी। जो जो एमेन्डमेन्ट्स मानने योग्य हों वे मान लिये जावेंगे और जो बाकी बचेंगे उन्हीं पर बहस यहां पर होगी। इसके अलावा कभी कभी और अक्सर यह देखने में आया है कि अमेन्डमेन्ट

[श्री हिम्मतसिंह]

की उपयोगिता को मानते हुए भी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। उसे शायद इतना समय जो मिल जावेगा ठंडे दिमाग से विचार कर लेंगे। यदि सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना मुनासिब नहीं समझते हैं तो वे खुद ठंडे दिल से इन एमेन्डमेन्ट्स पर सोच लें और जिनको वे मन्जूर करना चाहते हैं हमें लिख कर भेजदें ताकि बचे एमेन्डमेन्ट्स पर ही बहस हो।

श्री रामकरण जोशी—मुझे निवेदन करना है कि जिस प्रकार मेरे माननीय साथी ने जिक्र किया है वह ठीक नहीं है। मैं उन्हें याद दिलाऊं कि उनकी अध्यक्षता में इस बिल की बहुत सी धाराएं पास हुई हैं और उन्हें अच्छी तरह विदित है कि जो संशोधन स्वीकार करने योग्य होते हैं उन्हें मैं स्वीकार कर लिया करता हूं और जो संशोधन इस लायक नहीं हों कि उन्हे स्वीकार किया जाय उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता।

आपस में मिलना जुलना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन दुबारा इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना, जब कि एक बार सिलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है तो यह कोई न्यायसंगत चीज नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—The point that was raised by Shri Hari Dutta was that if by mutual discussions, not exactly in the form of a Select Committee, but by way of an informal meeting of the members who have tendered these amendments, the points may be thrashed out, the amendments which may be acceptable may be taken as adopted so the time of the House may be saved. I think it is advisable and there should be no hesitation in accepting this.

श्री मथुरादास माथुर—We are prepared for it.

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment of Shri Taj singh he accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

श्री अध्यक्ष— w the question is that Clause No. 23 be adopted.

(स्वीकृत)

Clause 23 is added to the Bill

(विराम)

I have to inform the House that we will meet, after the House will adjourn now, on the 17th March at 8.30 A.M. and then again we will meet on the same day in the afternoon also for the presentation of the Budget.

श्री जसवन्तसिंह—What time in the afternoon, Sir ?

श्री अध्यक्ष—That we will decide in the House when we meet in the morning of the 17th. We may meet after 2 or 3 or 4 as the case may be.

(विराम)

Now we adjourn for the 17th morning.

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर ५४ मिनट पर १७ मार्च, १९५३ के ८.३० बजे तक के लिये स्थगित हुई)

सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक २६ फरवरी, १९५३

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(वे प्रश्नोत्तर जो सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गए तथा जिन्हें मुद्रित कराने की सम्बन्धित मन्त्रियों की अनुमति प्राप्त है)

श्री एच. के. व्यास—Will the Minister Incharge for Education be pleased to answer:—

(a) What newspapers are being subscribed to by the schools and the Education Department ?

(b) What is the total amount paid to each during 1952-53 ?

उत्तर—

The list of newspapers approved by the Department in the year 1952-53 are given below :—

1. Rastra doot.
2. Jagti Jot.
3. Lok Jeewan.
4. Delhi express.
5. Message weekly.
6. Lok Vani

It is not compulsory for schools to subscribe to all the newspapers which have been approved. The schools are at liberty to subscribe any of the newspapers they like which have been approved by the department or Government this year or in the previous years. They can however also subscribe to newspapers which have also not been approved by the department.

It is not possible to collect information from 4500 schools in such a short time. The papers for which Primary and Middle Schools have to subscribe are sanctioned by the Inspectors of schools on the recommendations of the Headmasters and the Deputy Inspectors of Schools. The papers for High Schools and Colleges are subscribed by the Headmasters and Principals themselves.

No paperwise account is maintained.

It will take time to collect the required information from 4500 schools.

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ४०२ देखिये)

Details of condition upon which recognition is granted to S.D.C. High School, BIDASAR.

S. No.	*Conditions*

1. That the following additional staff possessing the requisite minimum qualifications be appointed in scales prescribed by the university before class ninth is started:—

   (a) A qualified Head master.

   (b) Three graduatb teachers, preferably trained, qualified to teach one or more of the following subjects:— Eng., Maths., Hist., Geog. and Hindi.

   (c) One Sanskrit teacher.

   (d) One B.Com. with steno-typing in inter Com. for teaching Commerce.

   (e) One anatomy teacher.

   (f) One trained Physical Instructor.

   (g) One whole time matriculate clerk knowing type-writing.

   (h) One whole time Librarian.

2. That one more trained graduate be appointed in July, 51, before class 10th. is started.

3. That the following additions be made to school building:—

   (a) 5 class rooms (24' × 20') by July, 51.

   (b) 1 water room and one store room.

   (c) 2 Laterines and 6 urinals for students.

   (d) 1 Lavatory for the exclusive use of the staff.

4. That the following recurring and non-recurring grants be made available and spent over having equipment and appliances.

	Recurring P.A.		*Non Recurring* (spread over two years).
Library ..	.. 300	2000	,,
Furniture ..	.. 100	3000	,,
Games & upkeep of Playgrounds.	.. 300	2000	,,
Hist. & Geog.	.. 100	800	,,
Anatomy etc.	.. 50	5000	,,
Commerce ..	.. 100	4000	,,

5. That a hostel be provided as early as possible to attract students from the primary and the Middle school of the neighbouring areas.

6. That levelling and fencing of the Playground be made.

7. That proper arrangements be made for the Medical examinations Health and recreations of scholars.

8. Suggestions-necessary inferior servents be appointed for the school.

परिशिष्ट ३

(वे प्रश्नोत्तर जो प्रश्न-काल में न लिये जा सकने के कारण सदन की मेज पर रखे गये)

४२७. (७३ एल. एम.) श्री कस्तूरचन्द, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ७२—क्या इन्डस्ट्रीज मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जिनिंग फैक्ट्रीज कितनी हैं और कहां कहां हैं ?

(ख) सरकारी रेट से मजदूरों को क्या तनख्वाह मिलनी चाहिये ?

(ग) क्या फै मजदूर आठ आना प्रतिदिन देते हैं, वह ठीक है ? अगर ठीक नहीं तो गंगापुर के मजदूरों को मजदूरी के आठ आना प्रतिदिन देते हैं उसके लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

(घ) क्या सरकार इसी प्रश्न को शिकायत समझ कर कार्यवाही करेगी ? करेगी तो कब तक ? नहीं तो, क्यों ?

ख. — —भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में २३ जिनिंग फैक्ट्रीज ... र फैक्ट्रीज हमीरगढ, बीगोद, केचना,
सदस्य खड़ा हुआ। उस ... ६० ... हो अभी आपने ...
मिले। यह भी खीज है। ... अंगुचा, शुभगढ, गुलाबपुरा,
उपरान्त ...
हो गया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ×××× के लोगों सुन लो।

... ट नियत नहीं है क्योंकि जिनिंग

श्री प्रद्युम्न ...

... has ever

कई माननीय सदस्य : ये शब्द वापिस लें।

श्री उपाध्याय ... ibutes or has distributed
आप से भी ... not ?
पढ़े। ... ders that these Farms are for
ध्यान ... of any kind ever been made in
रगि ...

श्री मोहनलाल छंगानी : साथ साथ बोलने पर अश्रव्य।

... ilities such as best selected soil, abun
dan ... icient money available, best seeds and
up- ... are these Farms running in loss ?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया: साथ-साथ बोलने पर अश्रव्य।

... मोहनलाल छंगानी : अपमान ज ... गवर्नमेन्ट के ३ कृषि फार्म हैं जिनके नाम मंडोर, सादड़ी और बिलाड़ को वापिस लें। ... के लिये हैं मंडोर फार्म में समय समय पर कृषि विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण के ... हैं।

(ब) सन् ... ठ के ... २ में इन फार्मों के निम्नलिखित आय व व्यय रहे हैं।

फार्म का नाम	आय	व्यय
१. मंडोर	५४०४ रु०	१२३८९ रु०
२. सादड़ी	१५४२ रु०	६९०९ रु०
३. बिलाड़ा	२१७१ रु०	५३०९ रु०

(स) अपनी सीमाओं में इन फार्मों में शुद्ध सद बीजों की वृद्धि की गई है और उनको जिला कृषि अधिकारियों को जमीदारों के खेतों में बोने के लिये दिया गया है। उन्होंने फसलों की पैदावार की उन्नति के लिये संशोधित खाद्य (फरटीलाइजर्स) का उपयोग, खाद्य का निर्माण, सिंचाई व खेतों के उन्नत साधनों का किसानों के लिये प्रदर्शन किया है।

Page No.82

प्रश्न संख्या ४२१

श्री मंगलसिंह कछवाहा—Would the Minister-in-charge of Agriculture be pleased to answer :—

(a) How many Government Agriculture Farms are there in Jodhpur Division, and with what aims and objects ?

(b) What is the running cost of each and with what income annually ?

(c) What benefits have they given so far and are giving to the Agriculturists ?

(d) Are they running in loss ? If so, how much annually in the last three years ?

(e) Is there any Mahe... in this ...

if not, wh...

...महोदय, एक रामकुमार नाम के व्यक्ति का खून हुआ। दिन दहाड़े नीम के थाने में मैं आपसे निवेदन करदूं कि उस मामले को भी दबा दिया। इस हाउस में उस बात चर्चा हुई थी कहा था यह कांग्रेसी सरकार नहीं यह मोदी की सरकार है नीम के थाने के प्रभावशाली कांग्रेसी नेता श्री श्रीकृष्ण मोदी के सामने रामकुमार का खून हुआ था। दिन दहाड़े हत्या हुई मुझे बड़े खेद के साथ निवेदन करना पडता है कि इस प्रकार के कारनामें इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि इस प्रकार आप जनसंघी कार्य-कर्त्ताओं को खतम नहीं कर सकेंगे। हम भ्रष्टाचार को खतम करने के लिये शहीद तक हो जावेंगे—देश के लिये मर मिटेंगे।

बड़े दुर्भाग्य की बात है आज राजस्थान ...

...चुका है यह ...इसी प्रकार कोई नई बात नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि तुम्हारे खिलाफ में चार्जेज हैं, तुम पाकिस्तान के जासूस हो—देशद्रोही हो।

(श्री हादी और गुमानमल लोढ़ा व कई माननीय सदस्य बोलने लगे; भारी शोरगुल:अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर। आर्डर—माननीय सदस्य—स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार आपस में एक साथ बोलने से न तो सदन की कार्यवाही चल सकती है और न ही एक दूसरे माननीय सदस्यों के विचार सुने ही जा सकते हैं इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चले उसके लिये ऐसी व्यवस्था सदन में की जाय कि दोनों पक्षों के लोग ... मातहत ...सके। और ...

४२८. (६८/आर. एम.) श्री धर्मचन्द, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ३६—क्या मन्त्री कृषि विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

गत वर्ष सब-तहसील करनपुर के १९ ग्रामों में फसल खरीफ की पैदावार वर्षा कम होने के कारण बहुत कम हुई, फिर भी वहां के किसानों को छूट क्यों नहीं मिली इसका क्या कारण है ?

उत्तर—जिला अध्यक्ष की रिपोर्ट से पाया जाता है कि सब-तहसील करनपुर, तहसील सपोटरा के सिर्फ रावतपुर और मार्ची गांवों में वर्षा कम होने पर फसल का भारी नुकसान हुआ। बाकी इस.के में फसल की हालत मामूली ठीक थी। इन दो गांवों के लिये छूट देने की कार्यवाही सम्बन्धित अधिकारियों के विचाराधीन है।

(द) फार्मों में निम्नलिखित हानि रही है।

फार्म का नाम	वर्ष १९५०–५१	१९५१–५२
मंडोर	१३५२४ रु०	६९८५ रु०
सादड़ी	५५१२ रु०	५३६७ रु०
बिलाड़ा	२२१२ रु०	३१३८ रु०

इससे प्रकट है कि हानि हर वर्ष पहिले दो फार्मों में पर्याप्त मात्रा में कम होगयी है। पहिले वर्ष में हानि में कमी ६६०० रु० की है जो अति संतोषप्रद है। तीसरे फार्म में कुछ हानि बढ़ी है। सन् १९४९–५० के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

(ह) जोधपुर डिविजन में कोई भी मैकेनाइजड फार्म नहीं है। वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों के कारण कोई भी नया कार्य हाथ में लेना संभव नहीं है।

(फ) सी ५९१ गेहूँ हर वर्ष मंडोर फार्म में पैदा होता है। सन् १९५०-५१ व १९५१-५२ में किसानों को बीज वृद्धि के लिये इस फार्म से जिला कृषि अधिकारी को लगभग १३० मन सी ५९१ गेहूँ दिया गया।

(ज) फार्मों पर बीज वृद्धि के लिये शुद्ध गेहूँ के बीज बोये जाते हैं और उन्नत खेती के तरीके जैसे कि कतारों में बीज बोना, इटंरकलचर का प्रदर्शन करना इत्यादि, दर्शक एवं किसान फार्म पर इनको देखने आते हैं।

जब अधिक पूंजी प्राप्त हो सकेगी तो हर मौसम में प्रमुख फार्मों पर प्रदर्शन के लिये एक बार किसान दिवस मनाया जाया करेगा।

(ह) रुपये की कमी के कारण यथा संभव साधन फार्मों में प्राप्त नहीं हैं जो निम्न लिखित हैं:—

सादड़ी व बिलाड़ा फार्म तारों द्वारा सुरक्षित नहीं है। फार्मों की फसलें कभी सुरक्षित नहीं है। आवारा पशुओं की संख्या जो राजस्थान में अत्याधिक है, उनके भयंकर हमलों से फार्म की फसलों की पूर्ण रूप से रक्षा की आशा करना संभव नहीं है। इन दोनों फार्मों के तार लगाने केलिये ४००० रु० की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित साधन इन फार्मों में आवश्यक हैं।

(१) मंडोर फार्म

जमीन को समतल करना व खेती के योग्य बनाना	२००० रु०
कूप निर्माण और उस पर पम्पिग सैट फिट करना जिससे कि सिंचाई के क्षेत्रफल में वृद्धि हो	८००० रु०
ट्रेक्टर	१५००० रु०

[redacted]

(२) सादड़ी फार्म.

कार्यालय फार्म मैनेजर का रहने का मकान, श्रम के रहने के लिये मकान, बैल व औजारों के लिये छप्पर.	१०००० रु०
फार्म पर मकान न होने के कारण फार्म मैनेजर को फार्म से दूर रहना पड़ता है जिसके कारण फार्म की देख भाल में ढिलाई रहती है.	
कृषि औजार	३००० रु०

(३) बिलाड़ा फार्म

कार्यालय श्रम के रहने के लिये मकान, बैल व औजारों के लिये छप्पर.	१००००रु०
कृषि औजार	१०००रु०
बैल जोड़ी.	१०००रु०

बजट में कमी के कारण फार्मों पर मामूली उन्नति ही संभव है अन्यथा इन फार्मों की पूर्व स्थिति रखने के लिये ही पर्याप्त है।

४३०. (१०० आर. एम.) श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ५९—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) तहसील चाकसू में चंदलाई नाम के बीड़ की जमीन का वितरण किन किन को नहीं हुआ ?

(ख) क्या इस बीड़ की जमीन में से दलित वर्ग के लोगों को भी जमीनें दी गई ?

(ग) यदि हां, तो कितने परिवारों को और कितनी कितनी?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों?

(ङ) क्या तहसील जयपुर के झोटवाड़ा बीड़ की जमीनों में से भी कुछ दलित वर्ग के लोगों को जमीन दी गई ?

(च) यदि दी गई तो कितनों को?

उत्तर—

(क) बीड़ चंदलाई जिसका रकबा ६९६ बीघा था इन आसामियों को अलॉट किया गया।

१.	शान्ति स्वरूप	२५बीघा
२.	शम्भू नाथ	७५ बीघा
३.	ग्राम सेवा मंडल	२७५ बीघा १३ बिस्वा

४.	शिवचन्द	११ बीघा
५.	हरिश्चन्द्र	२५ बीघा
६.	रामलाल	२५ बीघा
७.	पूरणचन्द्र गोस्वामी	९९ बीघा
८.	प्यारे मोहन	९९ बीघा
९.	बद्रीनारायण	३ बीघा
१०.	हजारीलाल	१० बीघा
११.	गोविन्दराम	३ बीघा

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(घ) जमीन ज्यादा नहीं थी और इस प्रान्त में हरिजनों को पहले बहुत कुछ दी जा चुकी थी इसलिये उन्हें कोई रकबा ऑलाट नहीं किया जा सका।

(ङ) बीड़ झोटवाड़ा अभी तक वन विभाग के आधीन है और राजस्व विभाग को काश्त के लिये नहीं सौंपा गया है।

(च) प्रश्न पैदा नहीं होता।